[2019] 8 एस. सी. आर *26*

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(पूर्व में वित्तीय के रूप में जाना जाता है

टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड*) &* ओआरएस।

वी.

भारत का संघ

(2019 की सिविल अपील संख्या *4476)*

अप्रैल *30,2019*

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.*]*

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396*-की संवैधानिकता-आयोजितः *s.396* सार्वजनिक रूप से कंपनियों के अनिवार्य एकीकरण का प्रावधान करता है।

संविधान के हित-*Art.31A* में परिकल्पना की गई है कि जनहित में दो या दो से अधिक निगमों के एकीकरण का प्रावधान करने वाला कोई भी "कानून" कला से संबंधित आधारों पर चुनौती से मुक्त है। *14* या कला। *19* भारत के संविधान का - कंपनी अधिनियम का *s.396* एक ऐसा कानून है-भारतीय संविधान कला। *14* , *19* और *31* ए।

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396*-केंद्र सरकार के आदेश की व्युत्पन्न प्रतिरक्षा-क्या केंद्र सरकार का आदेश एस के तहत किया गया है। *396* इस तथ्य को देखते हुए कि *Art.31A* की सुरक्षात्मक छतरी भी प्राप्त होगी। *396* निस्संदेह *Art.31A* द्वारा संरक्षित है

क्या केंद्र सरकार का आदेश एस के तहत पारित किया गया था। *396* है।

प्रकृति में प्रशासनिक-आयोजितः अभिव्यक्ति "कानून", जैसा कि परिभाषित किया गया है *Art.13 (3) (a)* में, एक अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना, और प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में

जाहिर है, इसलिए, जब "आदेश" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो यह अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना से रंग लेगा, जो सभी विधायी प्रकृति के हैं, और प्रशासनिक नहीं हैं-यहां तक कि कानून के बल वाले रीति-रिवाज या उपयोग भी आचरण के सामान्य नियमों को संदर्भित करता है, जो कि इन तथ्यों पर पारित प्रशासनिक आदेशों के विपरीत है।

एक मामला

आदेश के तहत समामेलित करने की मांग करने वाली कंपनियों, उनके शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों और देनदारियों को सीधे प्रभावित करता है-ऐसा आदेश सामान्य रूप से ऐसा आदेश नहीं है जो ऐसी सभी कंपनियों पर लागू होता है, बल्कि केवल उन विशेष कंपनियों पर लागू होता है जिन्हें समामेलित करने की मांग की जाती है और यह अपने आप में आचरण के किसी भी सामान्य नियम को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में, निर्धारित आचरण के सामान्य नियम का पालन करता है।

26 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

एस द्वारा। *396* इसलिए, ऐसा आदेश विधान या प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में नहीं है-तथ्य यह है कि, एस के तहत। *396 (5)* , केंद्र सरकार के आदेश को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाना है यह इस तथ्य से अलग नहीं है कि आदेश प्रशासनिक है और चरित्र में विधायी नहीं है-भारत का संविधान-*Art.13 (3)*।

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396*-अनिवार्यता परीक्षण-आयोजितः केंद्र सरकार को "संतुष्ट" होना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि उसे कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि

दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच एकीकरण आवश्यक है-यह केवल तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार इसे "आवश्यक" मानती है, यानी ऐसा करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396--* जनहित-का अर्थ-दो या दो से अधिक के अनिवार्य समामेलन के संदर्भ में

कंपनियों, "लोक हित" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा जनता का कल्याण या समग्र रूप से समाज का हित, जैसा कि निजी व्यक्तियों के एक समूह के "स्वार्थी" हित के विपरीत है-इस प्रकार, "सार्वजनिक हित" में राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के हित को ध्यान में रखा जा सकता है ताकि वे राष्ट्र के कल्याण और प्रगति में योगदान कर सकें, और ऐसा करने में, बहुत आवश्यक रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं-इसलिए, इस संदर्भ में "सार्वजनिक हित" का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों के संसाधनों का संयोजन होगा ताकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत को प्रभावित किया जा सके और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उनसे संबंधित व्यक्तियों के रोजगार को प्रभावित किया जा सके-इसके विपरीत, कोई भी कार्रवाई जो उद्योग के प्रचार में बाधा डालती है या विकास में बाधा डालती है।

राष्ट्रीय या लोक हित लोक हित के विपरीत होगा जैसा कि एस में उल्लेख किया गया है। *396* अधिनियम से।

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396 (3)*-समामेलन आदेश क्षतिपूर्ति-शेयरधारक या लेनदार का अधिकार - *s.396 (3)* किसी शेयरधारक या लेनदार के हित या उसके विरुद्ध अधिकारों की बात करता है।

समामेलन आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी-एक शेयरधारक या लेनदार एक समामेलन आदेश द्वारा प्रभावित होता है यदि समामेलन के परिणामस्वरूप उसके खरगोश का मूल्य कम हो जाता है और यदि समामेलन के परिणामस्वरूप उसे दिए गए लाभांश में कमी आने की संभावना है-इसी तरह, एक विलायक कंपनी का लेनदार सीधे एक समामेलन द्वारा प्रभावित होता है जिसके द्वारा इस तरह के *[2019] 8* एस. सी. आर. द्वारा उधार दी गई राशि।

समामेलन के परिणामस्वरूप, समामेलन नहीं होने की तुलना में लेनदार को समय पर भुगतान किए जाने की संभावना कम हो जाती है।

-

एक कंपनी का प्रत्येक शेयरधारक और वास्तव में, एक कंपनी का प्रत्येक लेनदार कंपनी, केवल अपने शेयर के "आर्थिक मूल्य" से संबंधित है

या किसी कंपनी को दिया गया ऋण, जैसा भी मामला हो-वह क्षण

शेयर मूल्य, वास्तविक रूप से, कम होने की संभावना है, और/या ऋण दिए गए हैं।

एक के परिणामस्वरूप समय पर या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किए जाने की संभावना है
समामेलन के ऐसे सदस्य या लेनदार

कंपनी इस आर्थिक स्थिति के लिए क्षतिपूर्ति पाने की समान रूप से हकदार है। समामेलित कंपनी के सदस्यों और लेनदारों को नुकसान, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर-जिस हद तक

ऐसे सदस्य या लेनदार का ब्याज या अधिकार उसके ब्याज से कम होते हैं।

या मूल कंपनी के खिलाफ अधिकार, विलय के बाद, वह

मुआवजे का हकदार होगा जिसका मूल्यांकन किया जाना है।

कंपनी अधिनियम, *1956:* एसएस। *396 (3) , 396 (3* ए*)*-के लिए क्षतिपूर्ति

पीड़ित व्यक्ति-अपील प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात।

एस. *396 (3* ए*),* "उप-धारा के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किए गए मुआवजे के किसी भी मूल्यांकन से व्यथित कोई भी व्यक्ति है।

(3) न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, और उसके बाद मूल्यांकन

क्षतिपूर्ति का भुगतान न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा "

इससे पहले

उप-धारा *(3* ए*)* के आवेदन के लिए आवश्यकताएं यह हैं कि एक व्यक्ति

सबसे पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा "किए गए मुआवजे के आकलन" से व्यथित होना-जहां मुआवजे का कोई आकलन नहीं किया गया हो।

जो कुछ भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है

एक आदेश से व्यथित जो किसी मुआवजे का आकलन नहीं करता है,

जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है जिसे फिर अपने लिए मुआवजे का आकलन करें-कानून स्पष्ट रूप से हकदार है

ऐसे शेयरधारकों और लेनदारों को मुआवजे का आकलन पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा और फिर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा "गैर-मूल्यांकन" के आदेश कर सकते हैं

- न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में अधिक उचित रूप से चुनौती दी जाए,

जिसमें उच्च न्यायालय, संविधान के *Art.226* के तहत कार्य कर रहा है यदि भारत एस का उल्लंघन कर सकता है। *396 (3)* मिल गया है, मामला भेजें

मुआवजे का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को वापस भेजें जिसके बाद धाराओं की उप-धारा *(3* ए*)* के तहत अपील का अधिकार है। *396* होगा।

फिर अनुसरण करें।

कंपनी अधिनियम, *1956: s.396*-अनिवार्य की प्रयोज्यता

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में केंद्र सरकार के आदेश द्वारा कंपनियों का एकीकरण।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

जनहित-एफ. टी. आई. एल. की एक प्रतिशत सहायक कंपनी एन. एस. ई. एल. ने अपने *13,000* निवेशकों को लगभग *5600* करोड़ रुपये का भुगतान करने में चूक की-एन. एस. ई. एल. में भुगतान चूक के बाद व्यापार को निलंबित कर दिया गया था। *396* - क्या प्रत्येक शर्त एस की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती है। *396* लागू किया गया तत्काल मामले के तथ्यों के लिए-आयोजितः इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुलाई, *2013* में एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने एक्सचेंज पर व्यापार बंद करने के परिणामस्वरूप, *Rs.5600* करोड़ का भुगतान संकट उत्पन्न हुआ-द्वारा संबोधित पत्र

एफ. एम. सी. ने कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को बताया कि तत्काल

चूककर्ताओं के खिलाफ *Rs.3365* करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। *88* उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा स्फटिकीकृत करोड़ रुपये, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति लंबित, यहां तक कि वित्तीय का उपयोग किए बिना भी

एक समामेलित कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. के संसाधन

क्या था*?*

उभरते हुए, और आवश्यक, यहां तक कि एफ. एम. सी. और के अनुसार

इसलिए, *2016* में *2013-2014* में सरकार का काफी हद तक निवारण किया गया था।

जब तक समामेलन आदेश बनाया गया था-इसलिए, अनिवार्यता परीक्षण, जो एस पर लागू होने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। *396* , संतुष्ट नहीं था-जब निवेशकों/व्यापारियों के निजी हित के विपरीत सार्वजनिक हित की बात आती है, जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है, तो कई स्थानों पर समामेलन आदेश का उल्लेख करता हैः

" आवश्यक सार्वजनिक हित "जैसे कि" आवश्यक "जनता के साथ जाता है

एस के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक अलग और विशिष्ट शर्त होने के बजाय ब्याज। *396* - "जनहित" के संबंध में उपयोग की जाने वाली सभी अभिव्यक्तियों का संबंध केवल उन दो कंपनियों के व्यवसायों से है जिन्हें विलय करने की मांग की जाती है।

संयुक्त परिसंपत्तियों, पूंजी और भंडार का लाभ उठाना केवल कुछ हितधारकों की देनदारियों का निपटान करने के उद्देश्य से है और

लेनदारों को जब आदेश को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, और इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों कंपनियों के व्यवसाय पूरी तरह से अलग थे-जहां तक पैमाने और कुशल प्रशासन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की बात है

संबंधित, यह देखना मुश्किल है कि यह इस मामले में तथ्य स्थिति पर कैसे लागू होगा जहां एन. एस. ई. एल. निश्चित रूप से एक कंपनी है जो बिना किसी उम्मीद के एक वस्तु विनिमय के रूप में काम करना बंद कर दिया है *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी पुनरुत्थान का - एन. एस. ई. एल. की कुल पूंजी *60* करोड़ रुपये होने के बावजूद सरकारी आदेश ही एन. एस. ई. एल. की कुल संपत्ति को *8.86* करोड़ रुपये के रूप में दर्शाता है।

चूंकि कुल आरक्षित राशि और अधिशेष एक नकारात्मक आंकड़ा है

आई. एन. आर. *51.54* करोड़ इसके विपरीत, एफ़. टी. आई. एल. की बैलेंस शीट,

31.03.2015 , यह बताता है कि उसी वर्ष के लिए, एफ. टी. आई. एल. की कुल संपत्ति है

आई. एन. आर. *2779.94* करोड़ इसके अलावा, एफ. टी. आई. एल. ने इसके लिए उच्च लाभांश का भुगतान किया।

शेयरधारक जबकि एन. एस. ई. एल. ने तब से एक भी लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

इसकी स्थापना यह दर्शाएगी कि समामेलन के बाद का लाभांश

एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को देय राशि में कमी आने के लिए बाध्य है -

तदनुसार, ऐसे शेयरों का 'विपणन योग्य मूल्य' भी होगा।

गिरावट-एफ. टी. आई. एल. में रखे गए शेयरों का 'आर्थिक मूल्य' हो सकता है

समामेलन, ऐसे शेयरों के बाजार मूल्य को कम करता है

शेयरधारक, और इस पर देय लाभांश को भी प्रभावित करेगा समामेलन के बाद शेयर-इसके अलावा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

आर्थिक विकास के लिए एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों या लेनदारों को

समामेलन के कारण होने वाला नुकसान जो एस का उल्लंघन है। *396 (3)* – यह

एक ऐसा मामला है जहाँ मन का पूर्ण गैर-अनुप्रयोग होता है

अधिकारों और हितों के मुआवजे का आकलन करने वाला प्राधिकरण जो एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों और लेनदारों के पास है और जिन्हें संदर्भित किया जाता है।

एस में। *396 (3)* अधिनियम का-यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि एस। *396 (3)*

इसलिए, ऑर्डर अल्ट्रा वायर्स एस है। *396* और मनमाना होना और अनुचित, कला का उल्लंघन। *14* भारत का संविधान।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः *1.* धारा *396* का हस्तक्षेपः वहाँ

अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *19* का आधार, जिसका अनुच्छेद *31* ए दिया गया है भारत का संविधान। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खंड

396 इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि इससे मनमाने या अनुचित परिणाम। *[* पैरा *23] [61*-ए-बी*]*

प्रेम नाथ रैना बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य।
(1983) 4 एससीसी *616: [1983] 3* एस. सी. आर. *536;* बुधन सिंह

और एन. आर. वी. नबी बक्स और अन्न। *[1970] 2* एससीआर *10*

- पर भरोसा किया।
2. केंद्र की विनाशकारी अस्थिरता

सरकार का आदेशः अनुच्छेद *31* ए *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में उपयोग की गई अभिव्यक्ति।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

"कानून" है, जिसके लिए अनुच्छेद *13 (3)* में निहित परिभाषा को देखना है। " अनुच्छेद *13 (3)* में "कानून" में निश्चित रूप से "आदेश" शामिल है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या इसमें एक प्रशासनिक आदेश शामिल होगा।

साथ ही। अनुच्छेद *13 (3)* को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि

अनुच्छेद *13 (3) (ए)* में परिभाषित "कानून" अभिव्यक्ति में एक अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना और भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने वाली प्रथा या उपयोग शामिल है। जाहिर है, इसलिए, जब "आदेश" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो यह अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना से रंग लेगा, जो सभी विधायी प्रकृति के हैं, न कि प्रशासनिक। यहां तक कि कानून का बल रखने वाली प्रथा या उपयोग भी आचरण के सामान्य नियमों को संदर्भित करता है, जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर पारित प्रशासनिक आदेशों के विपरीत है। अनुच्छेद *13 (3) (ए)* के आलोक में अनुच्छेद *31* ए का निर्माण करते हुए, यह स्पष्ट है कि संदर्भित "आदेश", इसलिए, केवल एक हो सकता है - विधायी आदेश। *[* पारस *24,26,27] [62*-सी*; 63*-जी*; 64*-ए-सी*]*

भारत संघ और एएनआर। वी. साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और

एन. आर. *(1987) 2* एस. सी. सी. *720*-पर निर्भर।

प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ *(1978) 3* एससीसी

459 [1978] 3 एस. सी. आर. *293*-आंशिक रूप से लागू।

3. केंद्रीय सरकार का आदेश प्रकृति में प्रशासनिक है *3.1* तथ्य यह है कि, धारा *396 (5)* के तहत, केंद्र सरकार के आदेश को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाना है, इस तथ्य से विचलित नहीं होता है कि यह आदेश प्रशासनिक है और विधायी नहीं है। केंद्र सरकार का आदेश सीधे कंपनियों, उनके शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करता है, जिन्हें आदेश के तहत विलय करने की मांग की गई थी। इस तरह का आदेश सामान्य रूप से एक आदेश नहीं है जो ऐसी सभी कंपनियों पर लागू होता है, बल्कि केवल उन विशेष कंपनियों पर लागू होता है जिन्हें विलय करने की मांग की जाती है। इस तरह का आदेश कानून या प्रत्यायोजित कानून की प्रकृति में नहीं है। धारा *396* के तहत पारित आदेश है -

यह विशेष कंपनियों के लिए है और अपने आप में आचरण का कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में, धारा *396* द्वारा निर्धारित आचरण के सामान्य नियम का पालन करता है। इस प्रकार, धारा *396* के तहत बनाया गया केंद्र सरकार का आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *19 (1) (*जी*)* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

[पारस *29,33] [67*-डी-ई*; 70*-बी*] [2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. आई. शेफर्ड बनाम भारत संघ *(1987) 4* एससीसी *431:*

[1988] 1 एससीआर *188;* थॉमस डाना बनाम। पंजाब राज्य

(वक्फ*)* लाल कुआँ, दिल्ली और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। *[1960] 2* एस. सी. आर. *671;* सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और

ओआरएस। वी. भारत संघ *[1962] 3* एस. सी. आर. *842;* अजय हासिया

और ओआरएस। वी. खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य। *(1981)*

1 एससीसी *722: [1981] 2* एससीआर *79;* एम. सी. मेहता और अन्र.

वी. भारत संघ और ओआरएस। *(* श्रीराम ओलियम गैस*)*

(1987) 1 एससीसी *395: [1987] 1* एससीआर *819*-पर भरोसा किया गया।

न्यू बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ और ए. एन. आर. वी. संघ

भारत और ओआरएस। *(1996) 8* एससीसी *407: [1996] 3* एससीआर

322 ; क्वारी ओनर्स एसोसिएशन बनाम। बिहार राज्य और

ओआरएस। *(2000) 8* एससीसी *655: [2000] 2* पूरक। एससीआर *211;*

जे. के. *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम न्यू कैसर-आई-हिंद स्पिनिंग

एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड *[1969] 2* एससीआर *866*

-

अप्रयोज्य रखा गया।
3.2 धारा *396* में निहित विभिन्न पूर्व-अपेक्षाएँ अनिवार्य हैं।

यह "आवश्यक" लगता है, यानी ऐसा करना आवश्यक है। साथ ही, यह केवल "जनहित" में ही किया जा सकता है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश पारित करने की पूर्व शर्त यह है कि प्रत्येक कंपनी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार पहले समामेलन का समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी में उतना ही हित या अधिकार होंगे जितना कि पूर्ववर्ती कंपनी में सदस्य या लेनदार के रूप में था, और यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसा सदस्य या लेनदार मुआवजे का हकदार होगा जिसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाना है जो निर्धारित किया जाए। जब तक उप-धारा *(3)* के तहत मुआवजे का आदेश पहले नहीं दिया जाता है, और उससे अपील या तो दायर नहीं की गई है या उसका निपटारा नहीं किया गया है, तब तक समामेलन का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एक अन्य शर्त उदाहरण प्राकृतिक न्याय के लिए एक अंतर्निहित प्रावधान है, अर्थात्, एक प्रस्तावित मसौदा आदेश में पहले *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

प्रत्येक संबंधित कंपनी को भेजा गया। इसके बाद कंपनियां केंद्र को सुझाव या आपत्तियां भेज सकती हैं।

सरकार, जिस पर केंद्र सरकार को अंतिम आदेश पारित करने से पहले विचार करना चाहिए। इस तरह की आपत्तियां और सुझाव किसी भी कंपनी के शेयरधारकों के किसी भी वर्ग या किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से भी भेजे जा सकते हैं। कंपनियाँ। *[* पारस *34,36] [74-*सी-डी*; 75-*सी-एफ*]*

4. " केंद्रीय सरकार कहाँ है

संतुष्ट *":* केंद्र सरकार की संतुष्टि धारा में उल्लिखित पूर्ववर्ती शर्तों के बारे में होनी चाहिए जैसा कि कानून में सही ढंग से समझा गया है, और उन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि जब केंद्र सरकार का आदेश दिया जाता है तो पूर्ववर्ती स्थितियां मौजूद होती हैं। *[* पैरा *42] [87-*सी-डी*]*

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कंपनी विधि बोर्ड

[1967] 1 एससीआर *898;* रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एस. डी. अग्रवाल *[1969] 3* एस. सी. आर *108;* वेस्टर्न यू. पी. इलेक्ट्रिक

बिजली और आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। *(1969) 1* एससीसी *817: [1969] 3* एस. सी. आर. *865;* रामपुर डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड बनाम कंपनी लॉ बोर्ड *[1970] 2* एस.

सी. आर. *177;* एम. ए. रशीद और अन्य। वी. केरल राज्य *[1975] 2* एससीआर *93;* खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य *(1975)*

2 एससीसी *81: [1975] 2* एससीआर *832;* टाटा सेल्युलर बनाम। भारत संघ *(1994) 6* एससीसी *651: [1994] 2* पूरक। एस. सी. आर. *122;* भीखुभाई विट्ठलभाई पटेल बनाम। गुजरात राज्य *(2008) 4* एस. सी. सी. *144;* एम. झांगिर भटुशा और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। *(1989) 2* पूरक। एससीसी *201:*

[1989] 3 एस. सी. आर. *356*-संदर्भित।

हरियाणा वित्तीय निगम बनाम। जगदम्बा ऑयल मिल्स *(2002) 3* एस. सी. सी. *496: [2002] 1* एस. सी. आर. *621*-उद्धृत।

5. " आवश्यक *":* केंद्र सरकार के दिमाग को इस बात पर लागू करना होगा कि क्या धारा *396* के तहत एक अनिवार्य समामेलन है

अनिवार्य रूप से आवश्यक, उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्ण, और क्या ऐसा समामेलन बुनियादी और आवश्यक दोनों है।

[पैरा *44] [88*-बी*]*

जे. जयललीता बनाम भारत संघ *(1999) 5* एससीसी *138:*

[1999] 3 एस. सी. आर. *653* संदर्भित है।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन *(*चौथा संस्करण*);*

ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(10* वीं संस्करण*)* संदर्भित है।

6.1 " सार्वजनिक रुचि *":* तीसरी पूर्व-आवश्यकता

धारा *396* यह है कि केंद्र सरकार को जनहित में दो या दो से अधिक कंपनियों का अनिवार्य रूप से विलय करते समय अपना दिमाग लगाना चाहिए। जनहित "एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो व्यापक और अनाकार है और जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, उससे रंग लेती है। सार्वजनिक हित समुदाय का सामान्य हित है, जो किसी व्यक्ति के निजी हित से अलग है। " सार्वजनिक

दो या दो से अधिक कंपनियों के अनिवार्य समामेलन के संदर्भ में ब्याज का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों के संसाधनों का संयोजन होगा ताकि समुदाय के सामान्य लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत और उनसे संबंधित व्यक्तियों के रोजगार को प्रभावित किया जा सके।

[पारस *45,54] [88*-सी*; 94*-डी-ई*]*

बिहार राज्य बनाम। महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह

दरभंगा और ओआरएस। *[1952] 1* एससीआर *889;*

मणिमेगलाई बनाम। विशेष तहसीलदार *(*भूमि अधिग्रहण*)*
अधिकारी*)* आदि द्रविड़ कल्याण *(2018) 13* एससीसी *491: [2018] 3* एस. सी. आर. *1086;* रामेश्वर प्रसाद और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। *(1983) 2* एस. सी. सी. *195: [1983] 2*

एस. सी. आर. *418;* जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी और अन्य।

(2003) 7 एससीसी *309: [2003] 2* पूरक। एससीआर *684;*
हिंदुस्तान लीवर कर्मचारी संघ बनाम। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और अन्य। *(1995) 1* पूरक। एससीसी *499: [1994] 4* पूरक। एस. सी. आर. *723;* बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद

हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्र। *(2012) 13* एससीसी *61;* आर. आर. त्रिपाठी बनाम भारत संघ *(2010) 1* बम सीआर *513 -*

पर भरोसा किया।
6.2 तत्काल तथ्यों पर धारा *396* की प्रयोज्यता

मामला। न तो एफ. टी. आई. एल. और न ही एन. एस. ई. एल. ने इस तथ्य से इनकार किया है कि वस्तुओं में युग्मित अनुबंध चल रहे थे, और अप्रैल से जुलाई, *2013* तक, *99* प्रतिशत *(*और ई-श्रृंखला अनुबंधों को छोड़कर*), 63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कम से कम *46* प्रतिशत।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

यह दर्शाता रहा कि यह वास्तव में, स्पॉट डिलीवरी से निपटने वाला एक वस्तु विनिमय था। ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफ. एम. सी. आदेश के अलावा, श्री जिग्नेश शाह ने डी. सी. ए. और एफ. एम. सी. को प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एन. एस. ई. एल. के पास संपार्श्विक के रूप में पूरा स्टॉक था; मार्जिन मनी के रूप में खुली स्थिति का; और वर्तमान में एन. एस. ई. एल. के *120* गोदामों में रखे गए स्टॉक का मूल्य *6000* करोड़ रुपये था। जो गलत साबित हुआ। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुलाई, *2013* में एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने एक्सचेंज पर कारोबार बंद करने के परिणामस्वरूप लगभग *5600* रुपये का भुगतान संकट पैदा हो गया था।

एक करोड़ की वृद्धि हुई। आगे जो सवाल बना हुआ है वह यह है कि क्या इन तथ्यों को देखते हुए, की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तें धारा *396* का पालन किया गया। जब यह बात आती है कि क्या केंद्र सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि क्या दोनों कंपनियों का विलय "आवश्यक" था, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एन. एस. ई. एल. ने कथित रूप से ठगे गए व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए खुद एक निपटान योजना की पेशकश की थी। यह पाया गया कि

योजना वास्तव में शुरू नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्तियों पर बड़ी राशि बकाया बनी रही। *[* पारस *55* और *55.3,56] [94-*एफ*; 105-*सी-जी*]*

6.3 कंपनी अधिनियम की धारा *396* को लागू करने का कारण समय के साथ गायब हो गया है। वास्तव में, आज तक, चूककर्ताओं के खिलाफ *3365* करोड़ रुपये के फरमान/पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, जिसमें *1* करोड़ रुपये से कम है। उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा स्पष्टीकृत, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति लंबित, यहां तक कि वित्तीय का उपयोग किए बिना भी

एक समामेलित कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. के संसाधन। एफ. एम. सी. और सरकार के अनुसार *2013-2014* में भी, जो उभर रहा था, और इसलिए, आवश्यक था, उसे *2016* में समामेलन आदेश दिए जाने तक काफी हद तक ठीक कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार का आदेश अपने दिमाग को लागू नहीं करता है

धारा *396* का अनिवार्यता पहलू। वास्तव में, कई स्थानों पर, *[2019] 8* एस. सी. आर.

यह "आवश्यक सार्वजनिक हित" को संदर्भित करता है जैसे कि "आवश्यक" धारा *396* के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक अलग और विशिष्ट शर्त होने के बजाय "सार्वजनिक हित" के साथ जाता है। तथ्यों पर, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनिवार्यता परीक्षण, जो धारा *396* पर लागू होने की पूर्व शर्त है,

कहा जाता है कि वे संतुष्ट हैं। *[* पैरा *56.2] [112*-एफ-एच; *113*-ए*]*

6.4 जब निवेशकों/व्यापारियों के "निजी हित" के विपरीत "सार्वजनिक हित" की बात आती है, जिनका भुगतान नहीं किया गया है, तो *12.02.2016* दिनांकित समामेलन आदेश दिलचस्प बनाता है।

पढ़ रहे हैं। यह देखा जाएगा कि "जनहित" के संबंध में उपयोग की जाने वाली सभी अभिव्यक्तियों का संबंध केवल उन दो कंपनियों के व्यवसायों से है जिन्हें विलय करने की मांग की गई है। जिन दो कंपनियों को संदर्भित किया गया है, उनके व्यवसायों के विपरीत आम जनता का कोई हित नहीं है। संयुक्त परिसंपत्तियों, पूंजी और भंडार का लाभ केवल कुछ हितधारकों और लेनदारों की देनदारियों का निपटान करने के लिए है जब आदेश को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, और इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों कंपनियों के व्यवसाय पूरी तरह से अलग थे। जहां तक पैमाने की अर्थव्यवस्था और कुशल प्रशासन प्राप्त करने का संबंध है, यह देखना मुश्किल है कि यह इस मामले में तथ्य स्थिति पर कैसे लागू होगा, जहां एन. एस. ई. एल. निश्चित रूप से एक ऐसी कंपनी है जिसने बड़े पैमाने पर काम करना बंद कर दिया है।

जिंसों का आदान-प्रदान कम से कम जुलाई, *2013* से प्रभावी होगा, जिसमें किसी भी पुनरुद्धार की कोई उम्मीद नहीं है। समामेलन आदेश का एकमात्र उद्देश्य वास्तव में केवल *5600* करोड़ रुपये के बकाया की त्वरित वसूली करना है, जिसका उल्लेख एफएमसी के पत्र में किया गया है।

सचिव, निगमित कार्य मंत्रालय, दिनांक *18.08.2014*। *[* पैरा *59] [114*-ई; *115*-बी-ई*]*

7.1 एफ. एम. सी. की सिफारिशें दिनांकित एक पत्र के रूप में हैं, जिसमें "व्यावसायिक वास्तविकता" यह है कि *5600* करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया जाना है, और एन. एस. ई. एल. के पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार, इसके मूल

कंपनी के वित्तीय संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए।

भुगतान करें। इसलिए यह "व्यावसायिक वास्तविकता" केवल उन निवेशकों/व्यापारियों के निजी हित की बात करती है जिन्हें कथित रूप से ठगा गया है (जो तथ्य केवल *2014* में उनके द्वारा दायर मुकदमों में स्थापित किया जाएगा), और इसके अलावा कुछ भी नहीं (जो सार्वजनिक हित के कुछ निशान दिखाएगा)। समान रूप से, सार्वजनिक विश्वास *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का गंभीर टूटना।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात) *v.* यू. ओ. आई.

समामेलन कंपनियां। समामेलन आदेश तब यह कहते हुए खुद का खंडन करता है कि एन. एस. ई. एल. एफ. टी. आई. एल. का अहंकार है, और इस प्रकार, दोनों कंपनियाँ व्यावहारिक रूप से एक इकाई हैं। किसी भी स्थिति में, ये पैराग्राफ इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि 'अहंकार को कैसे बदला जाए'।

तर्क जनहित को प्रभावित करते हैं। *[* पैरा *59.3] [118-*एफ-एच*; 119-*ए-एफ*]*

7.2 धारा *396 (4) (*बी*)* के तहत, केंद्र सरकार, सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद

उल्लिखित हितधारक, मसौदा आदेश में संशोधन करते हैं जो इस तरह के सुझावों और आपत्तियों के आलोक में वांछनीय लग सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के मुख्य भाग में कोई संशोधन नहीं किया गया है जैसा कि अंततः किया गया है। यदि केंद्र सरकार ने वास्तव में माना होता कि इन तीन कारणों में से प्रत्येक जनहित को प्रभावित करता है, तो विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाव और आपत्तियां दिए जाने के बाद उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा होता। *[* पैरा *59.4] [119-*जी-एच*; 120-*ए*]*

गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ लिमिटेड बनाम भारत संघ

(2006) 10 एससीसी *645: [2006] 5* पूरक। एससीआर *437*

प्रतिष्ठित।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त *(1978) 1* एससीसी *405: [1978] 2* एससीआर *272;* अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड और ए. एन. आर. वी. के. श्याम कुमार और अन्य। *(2010) 6* एस. सी. सी. *614;* पी. आर. पी. निर्यात और अन्य। वी. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य। *(2014) 13* एस. सी. सी. *692-*संदर्भित।

8. धारा *396 (3)* एक शेयरधारक या लेनदार के हित या कंपनी के खिलाफ अधिकारों के बारे में बताती है जिसके परिणामस्वरूप

समामेलन आदेश। एक शेयरधारक या लेनदार एक समामेलन आदेश द्वारा प्रभावित होता है यदि समामेलन के परिणामस्वरूप उसके शेयर का मूल्य कम हो जाता है और यदि समामेलन के परिणामस्वरूप उसे दिए गए लाभांश में कमी आने की संभावना है। इसी तरह, एक विलायक कंपनी का लेनदार सीधे एक समामेलन से प्रभावित होता है जिसके द्वारा ऐसे लेनदार द्वारा उधार दी गई राशि, समामेलन के परिणामस्वरूप, समय पर वापस किए जाने की संभावना कम हो जाती है, अगर समामेलन नहीं हुआ था। सदस्यों और लेनदारों के ऐसे अधिकार और हित मूल अधिकार हैं, जो जब समामेलन से प्रभावित होते हैं, तो मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है। किसी कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक और वास्तव में, किसी कंपनी के प्रत्येक लेनदार का सरोकार केवल अपने हिस्से के "आर्थिक मूल्य" या किसी कंपनी को दिए गए ऋण से होता है।

मूल कंपनी, समामेलन के बाद, वह हकदार होगा क्षतिपूर्ति जिसका मूल्यांकन किया जाना है। *[* पारस *65,66] [126*-जी-एच*; 127*-ए-सी, ई*]*

बाचा एफ. गुज़दार बनाम आयकर आयुक्त
[1955] 1 एस. सी. आर. *876;* भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और ओआरएस। *(1986) 1* एससीसी *264: [1985] 3* पूरक। एस. सी. आर. *909;* आयकर आयुक्त *(*केंद्रीय*)*

कलकत्ता बनाम। मानक वैक्यूम तेल कं।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

[1966] 2 एस. सी. आर. *367;* मिहिर एच. मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड *(1997) 1* एस. सी. सी. *579 [1996] 6* पूरक।

एस. सी. आर. *1* संदर्भित है।

9.1 एन. एस. ई. एल. की कुल पूंजी *60* करोड़ रुपये होने के बावजूद, सरकारी आदेश दिनांक *12.02.2016* ही एन. एस. ई. एल. की कुल संपत्ति को उसकी दिनांकित बैलेंस शीट से *8.86* करोड़ रुपये के रूप में दर्शाता है, क्योंकि कुल आरक्षित राशि और अधिशेष आई. एन. आर. *51.54* करोड़ का नकारात्मक आंकड़ा है। इसके विपरीत, एफ. टी. आई. एल. की बैलेंस शीट, *31.03.2015* पर, यह बताती है कि उसी वर्ष के लिए, एफ. टी. आई. एल. की कुल संपत्ति आई. एन. आर. *2779.94* करोड़ है। इसके अलावा, एफ. टी. आई. एल. अपने शेयरधारकों को *2007-2008* से *2015-2016* तक के वर्षों के लिए *1000%* से *250%* तक के लाभांश का भुगतान कर रहा है। दूसरी ओर एन. एस. ई. एल. ने कभी एक भी भुगतान नहीं किया है। अपनी स्थापना के बाद से लाभांश। अतः समामेलन के बाद एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को देय लाभांश में कमी आना तय है। तदनुसार, ऐसे शेयरों का 'विपणन योग्य मूल्य' भी गिर जाएगा। निदेशक की रिपोर्ट से और समेकित

एन. एस. ई. एल. के वित्तीय विवरणों में यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी किसी भी प्रतिकूल परिणाम के मामले में देनदारियों के संपर्क में आ सकती है।

ऐसी कोई भी कार्यवाही जो लंबित हो, जिसके परिणामस्वरूप उसे एन. एस. ई. एल. के सदस्य *24* चूककर्ताओं द्वारा कथित निवेशकों/व्यापारियों को दिए गए *5600* करोड़ रुपये के पूरे या कुछ हिस्से का भुगतान करना पड़ सकता है। यह निश्चित रूप से एफ. टी. आई. एल. में रखे गए शेयरों के 'आर्थिक मूल्य' को प्रभावित करेगा क्योंकि यह एक ऐसा कारक है जो समामेलन के बाद शेयरों के बाजार मूल्य को कम करेगा। ऐसे

शेयरधारक द्वारा धारित, और समामेलन के बाद ऐसे शेयरों पर देय लाभांश को भी प्रभावित करेगा। *[* पारस *72,73] [130-*ई-जी*; 131-*जी-एच*; 132-*ए-बी*]*

9.2 विवादित फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी कि शेयर की कीमतें

वास्तव में एकीकरण के बाद गिरावट आई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विवादित निर्णय स्वयं इस तथ्य को संदर्भित करता है कि चूंकि *21.10.2014* पर मसौदा आदेश का प्रकाशन, शेयर मूल्य जो *INR 211.10* था, दस दिन बाद गिरकर *INR 174.55* हो गया। यह सर्वविदित है कि शेयर बाजार इसके प्रति अत्यंत संवेदनशील है

एक छोटी सी घटना जो किसी कंपनी को कम लाभदायक बना सकती है। यह स्पष्ट है कि *21.10.2014* पर मसौदा आदेश के प्रकाशन का प्रभाव दस दिन बाद शेयर की कीमत में पर्याप्त मात्रा में कमी का था। जिस क्षण अंतिम समामेलन आदेश दिनांक *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.02.2016 शेयर की कीमत *12.02.2016* पर *INR 89.90* से गिरकर *24.02.2016* पर *INR 73.90* हो गई और आगे *29.02.2016* पर *INR 73.10* हो गई। इस तथ्य को देखते हुए कि आई. डी. *1* दिनांकित मूल्यांकन आदेश में एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों या लेनदारों को आर्थिक नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

धारा *396 (3)* के उल्लंघन में समामेलन द्वारा, यह स्पष्ट है कि अंतिम पारित होने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त पूर्ववर्ती है

समामेलन आदेश पूरा नहीं हुआ। इस आधार पर भी, इसलिए, अंतिम समामेलन आदेश को अधिकार से परे माना जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम की धारा *396*, और, मनमाना होने के कारण और अनुचित, भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन। *[* पैरा *74] [132-*सी-ई, एच*; 133-*ए*]*

9.3 अपील प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा, यानी धारा *396 (3* ए*),* "किसी भी मूल्यांकन से व्यथित कोई भी व्यक्ति है।

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया गया मुआवजा

उप-धारा *(3)* न्यायाधिकरण में अपील कर सकती है, और उसके बाद मुआवजे का आकलन

न्यायाधिकरण "। उप-धारा *(3* ए*)* के आवेदन के लिए पूर्व-अपेक्षाएं यह हैं कि कोई व्यक्ति पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा "किए गए मुआवजे के मूल्यांकन" से व्यथित हो। जहां मुआवजे का कोई आकलन नहीं किया जाता है

शून्य है), कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे आदेश से व्यथित नहीं हो सकता है जो किसी भी मुआवजे का आकलन नहीं करता है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे तब अपने लिए मुआवजे का आकलन करना चाहिए। *[* पैरा *75] [133-*बी-ई*]*

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम एल. के. रत्ना

और ओआरएस। *[1986] 3* एस. सी. आर. *1049;* यूनियन कार्बाइड

निगम बनाम। भारत संघ *[1991] 1* पूरक। एस. सी. आर. *251;* चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ *(1990) 1* एससीसी *613: [1989] 2* पूरक। एस. सी. आर. *597-*संदर्भित।

भारत संघ बनाम। जी. गणयुथम *(1997) 7* एससीसी *463: [1997] 3* पूरक। एस. सी. आर. *549;* ओम कुमार बनाम भारत संघ

(2001) 2 एससीसी *386-*उद्धृत।
लेरी वी. नेशनल यूनियन ऑफ व्हीकल बिल्डर्स

[1971] च. *34* संदर्भित किया गया।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्त प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

मामला कानून संदर्भ

[2006] 5 पूरक। एससीआर *437*

प्रतिष्ठित

पैरा *16*

[1978] 2 एससीआर *272*

पैरा *16*

संदर्भित किया गया है

[1988] 1 एससीआर *188*

उस पर भरोसा करें

पैरा *16*

[1969] 2 एससीआर *866*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *16*

[1955] 1 एससीआर *876*

पैरा *18*

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 पूरक। एससीआर *549*

उद्धृत किया गया

पैरा *18*

[2000] 4 पूरक। एससीआर *693*

उद्धृत किया गया

पैरा *18*

[1967] 1 एससीआर *898*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[1969] 3 एससीआर *108*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[2002] 1 एससीआर *621*

उद्धृत किया गया

पैरा *19*

[1983] 3 एससीआर *536*

उस पर भरोसा करें

पैरा *23*

[1970] 2 एससीआर *10*

उस पर भरोसा करें

पैरा *23*

[1978] 3 एससीआर *293*

आंशिक रूप से लागू

पैरा *25*

(1987) 2 एससीसी *720*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[1996] 3 एससीआर *322*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *30*

[2000] 2 पूरक। एससीआर *211*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *31*

[1959] 1 पूरक। एससीआर *274*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[1960] 2 एससीआर *671*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[1962] 3 एससीआर *842*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[1981] 2 एससीआर *79*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[1987] 1 एससीआर *819*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[1969] 3 एससीआर *865*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38*

[1970] 2 एससीआर *177*

पैरा *39*

संदर्भित किया गया है

[1975] 2 एससीआर *93*

पैरा *39*

संदर्भित किया गया है

[1975] 2 एससीआर *832*

संदर्भित किया गया है

पैरा *39*

[1994] 2 पूरक। एससीआर *122*

पैरा *39*

[2019] 8 एस. सी. को संदर्भित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 एससीसी *144*

[2008]

पैरा *40*

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर *356*

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

[1999] 3 एससीआर *653*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44*

[1952] 1 एससीआर *889*

उस पर भरोसा करें

पैरा *45*

[2018] 13 एस. सी. सी. *491*

उस पर भरोसा करें

पैरा *46*

[1983] 2 एससीआर *418*

उस पर भरोसा करें

पैरा *47*

[1992] 1 पूरक। एससीआर *226*

उस पर भरोसा करें

पैरा *48*

[1986] 2 एससीआर *700*

उस पर भरोसा करें

पैरा *49*

[2003] 2 पूरक। एससीआर *684*

उस पर भरोसा करें

पैरा *50*

[1994] 4 पूरक। एससीआर *723*

उस पर भरोसा करें

पैरा *51*

(2012) 13 एस. सी. सी *61*

उस पर भरोसा करें

पैरा *52*

(2010) 1 बम सी. आर. *513*

पैरा *53*

उस पर भरोसा करें

[2010] 6 एस. सी. सी. *614*

पैरा *64*

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एस. सी. सी. *692*

संदर्भित किया गया है

पैरा *64*

[1985] 3 पूरक। एससीआर *909*

पैरा *69*

संदर्भित किया गया है

[1966] 2 एससीआर *367*

संदर्भित किया गया है

पैरा *70*

[1996] 6 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *71*

[1986] 3 एससीआर *1049*

संदर्भित किया गया है

पैरा *75*

[1991] 1 पूरक। एससीआर *251*

संदर्भित किया गया है

पैरा *75*

[1989] 2 पूरक। एससीआर *597*

संदर्भित किया गया है

पैरा *75*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. *4*

2019 का

दिवि के *04.12.2017* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की रिट याचिका संख्या *2* में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

के साथ

2019 की सिविल अपील *Nos.4478,2019* की *4477,2019* की *4479,4*

2019 का *4480* और *2019* का रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *368 63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई.

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, ए. एम. सिंघवी, आर. बालासुब्रमण्यम, नीरज किशन कौल और अरविंद पी. दातार,

श्री एड. , महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री मिशा रोहतगी, सुश्री शेनेन पारिख, सुश्री नमिता शेट्टी, हिमांशु सतीजा, सुश्री तन्वी मनचंदा, सुश्री प्रियंका वोरा, ई. सी. अग्रवाल, अविस्कर सिंघवी, हिमांशु सतीजा, सुश्री तन्वी मनचंदा, अरविंद लखावत,

विक्रम शेखर पापटा, सुश्री कीर्ति दुआ, सुश्री सौदामिनी शर्मा, हेमंत आर्य, सुश्री तनिषा सामंत, अनमोल चंदन, सुश्री श्रद्धा देशमुख, साई कृष्णा, ए. के. शर्मा, डी. एन. रे, चिराग मनुभाई शाह, सुश्री संजना सद्दी, लोकेश के. चौधरी, दिलीप कुमार नायक,

सुश्री दिशा रे, संजय लोढ़ा, देवांशु सजलन, श्रीमती सुमिता रे, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री विदुषी, अखिल ए. रॉय, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. *1.* छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों और रिट याचिकाओं का यह समूह कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *396* की प्रयोज्यता और निर्माण के बारे में सवाल उठाता है, जो कंपनियों के अनिवार्य एकीकरण से संबंधित है।

केंद्र सरकार का आदेश जब यह जनहित में आवश्यक हो जाता है। अपीलार्थी, *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड *(*जिसे इसके बाद "एफ. टी. आई. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका नाम बदलकर <आई. डी. *2* पर *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कर दिया गया था*)*, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड *(*जिसे इसके बाद "एन. एस. ई. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है*)* का एक *99.99%* शेयरधारक है, और एक सूचीबद्ध कंपनी है। एफ. टी. आई. एल. की लगभग *45* प्रतिशत हिस्सेदारी श्री जिग्नेश शाह और उनके परिवार के पास है और

लगभग *43* प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय जनता के सदस्यों के पास है। लगभग *5* प्रतिशत हिस्सेदारी संस्थागत संस्थाओं के पास है।

निवेशक। एफ. टी. आई. एल. एक लाभदायक कंपनी है, जिसकी कुल संपत्ति *2500* करोड़ रुपये से अधिक है और यह सॉफ्टवेयर प्रदान करने के व्यवसाय में है जिसका उपयोग देश भर में दलालों और एक्सचेंजों द्वारा व्यापार के लिए किया जाता है। एफ. टी. आई. एल. में लगभग *900* कर्मचारी हैं, और एक निदेशक मंडल है जो अलग *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एन. एस. ई. एल. के निदेशक मंडल से। दूसरी ओर, एन. एस. ई. एल. को *2005* में मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंजों *["एम. सी. एक्स".]* और इसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा निगमित किया गया था। एन. एस. ई. एल. ने इच्छुक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दलालों के माध्यम से वस्तुओं के व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान किया। भारत संघ ने एन. एस. ई. एल. पर कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि के अग्रिम अनुबंधों को एफ. सी. आर. ए. के प्रावधानों के संचालन से छूट देते हुए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स *(*विनियमन*)* अधिनियम, *1952 ["*एफ. सी. आर. ए*".]* की धारा *27* के तहत एक छूट अधिसूचना जारी की। एन. एस. ई. एल. ने अक्टूबर *2008* में परिचालन शुरू किया। *27.04.2012* पर, उपभोक्ता मामलों के विभाग *["*डी. सी. ए*".]* ने एन. एस. ई. एल. को एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया कि एफ. सी. आर. ए. के तहत उसे दी गई छूट के कथित उल्लंघन में लेनदेन की अनुमति देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। एन. एस. ई. एल. ने *29.05.2012* पर कारणदर्शक नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसने उसे दी गई छूट का उल्लंघन नहीं किया है। कारण दर्शाओ नोटिस पर निर्णय लिए बिना, डी. सी. ए. ने एन. एस. ई. एल. को निर्देश दिया कि वह

निर्देश, और यह कि सभी मौजूदा अनुबंधों को नियत तारीखों पर निपटाया जाएगा। यह प्रभावी रूप से एक "फ्रीजिंग" आदेश था। *22.07.2013* पर, एन. एस. ई. एल. ने डी. सी. ए. को एक वचन पत्र दिया। *3.* इससे पहले, जनवरी *2013* में, भारत सरकार के एक उपक्रम, एम. एम. टी. सी. लिमिटेड, जो एन. एस. ई. एल. के व्यापारिक सदस्यों में से एक था, के प्रतिनिधियों ने स्टॉक को सत्यापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित कुछ गोदामों का दौरा किया और उक्त गोदामों में पूर्ण वस्तु स्टॉक के अस्तित्व की सूचना दी। जुलाई *2013* में किसी समय एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले *13,000* लोगों ने एन. एस. ई. एल. द्वारा ठगे जाने का दावा किया था।

अन्य व्यापारिक सदस्य *(*संख्या में *24)*, जिन्होंने लगभग *5600* करोड़ रुपये की राशि के दायित्वों के भुगतान में चूक की। नए अनुबंधों के अचानक और अचानक बंद होने और उसी के बारे में मीडिया रिपोर्टों के कारण, एन. एस. ई. एल. के मंच पर बाजार की भागीदारी में काफी कमी आई।

एन. एस. ई. एल. को व्यापार को निलंबित करने और अपने हाजिर विनिमय संचालन डब्ल्यू. ई. एफ. *31.07.2013* को बंद करने के लिए मजबूर करना। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन *["*एफ. एम. सी*".]* ने डी. सी. ए. को *12.08.2013* पर सिफारिश की कि विभिन्न गोदामों में वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए कदम उठाए जाएं*;* खरीदारों और व्यापारिक सदस्यों की स्थिति का पता लगाया जाए और एन. एस. ई. एल. यानी एफ. टी. आई. एल. के प्रवर्तकों पर देयता तय की जाए। एन. एस. ई. एल. ने आई. डी. *1* पर

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें इसके सी. ई. ओ./एम. डी. श्री सिन्हा ने एक बयान दिया कि वह और उनकी प्रबंधन टीम *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में सभी संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एनएसईएल। आई. डी. *1* पर, एफ. एम. सी. ने ग्रांट थॉर्नटन एल. एल. पी. द्वारा एन. एस. ई. एल. के फोरेंसिक ऑडिट का निर्देश दिया, और भारत संघ ने आई. डी. *2* पर कंपनी अधिनियम की धारा *209* ए के तहत एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का आदेश दिया। उसी दिन, आर्थिक अपराध शाखा *["*ईओडब्ल्यू*"]* ने एनएसईएल और एफटीआईएल के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, एनएसईएल के व्यापारिक सदस्यों और एनएसईएल के दलालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के ब्याज संरक्षण अधिनियम, *1999* के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए। अधिनियम *"]*। कथित रूप से ठगे गए व्यापारियों द्वारा कई मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित *2014* का मुकदमा संख्या *173* है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908 ["*सी. पी. सी*".]* के आदेश *I* नियम *8* के तहत दायर एक प्रतिनिधि मुकदमा है। एन. एस. ई. एल. ने *24* चूककर्ता व्यापारियों के खिलाफ *5600* करोड़ रुपये की वसूली के लिए उक्त मुकदमे में तीसरे पक्ष के नोटिस भी दायर किए। इसने उनके खिलाफ विभिन्न मध्यस्थता कार्यवाही भी दायर की है, और *5600* करोड़ रुपये में से *3365* करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया में है, जो अदालत के आदेशों और मध्यस्थता पुरस्कारों के रूप में हैं।

4. आई. डी. *1* पर, आई. डी. *2* की ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट के आधार पर, एफ. एम. सी. ने एक आदेश पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि एफ. टी. आई. एल. किसी भी वस्तु विनिमय में हिस्सेदारी रखने के लिए "उपयुक्त और उचित" नहीं है, और अपनी हिस्सेदारी को एम. सी. एक्स. की चुकता इक्विटी पूंजी के *2* प्रतिशत से अधिक नहीं करना चाहिए। उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष *2014* की रिट याचिका संख्या *337* में चुनौती दी गई है। आई. डी. *1* पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उपरोक्त आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के तथ्य के निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, और धोखाधड़ी *5500* करोड़ रुपये की है।

5. आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई ने एन. एस. ई. एल. के प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ. श्री के खिलाफ आई. डी. *1* पर आरोप पत्र दायर किया।

सिन्हा, एन. एस. ई. एल. के भंडारण प्रमुख श्री बाबू कानवी और दो अन्य चूककर्ता। आरोप पत्र में, यह पता चला कि एन. एस. ई. एल. के उपरोक्त तीन कर्मचारियों ने मौद्रिक रिश्वत के बदले में, एन. एस. ई. एल. के नियमों और उपनियमों का उल्लंघन करते हुए, गोदामों में पर्याप्त सामान जमा किए बिना एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने में सक्षम बनाने के लिए चूककर्ताओं के साथ मिलीभगत की थी।

6. 18.08.2014 पर, एफ. एम. सी. ने भारत संघ को एक पत्र के माध्यम से सुझाव दिया कि एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. का विलय किया जाए। इस बीच,

2014 का प्रतिनिधि मुकदमा संख्या *173*, दिनांक *02.09.2014* के आदेश के अनुसार, *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की जिसमें न्यायमूर्ति श्री वी. सी. डागा, श्री जे. सोलोमन और श्री योगेश थार शामिल थे।

अधिसूचना दिनांक *05.06.2007*। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड *(*एन. सी. डी. ई. एक्स.*)* स्पॉट एक्सचेंज और नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी *(*ए. पी. एम. सी.*)* को दी गई छूट भी वापस ले ली गई क्योंकि सरकार का मानना था कि डिलीवरी तैयार है। या वस्तुओं में स्पॉट डिलीवरी अनुबंधों का व्यापार वस्तुओं के आदान-प्रदान पर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। *15.10.2014* पर डॉ. के. पी. कृष्णन,

आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. धोखाधड़ी के उद्देश्य से निवेशकों को उनके धन से वंचित करने के लिए अलग-अलग पहचान बनाए हुए हैं। नतीजतन, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप, दो कंपनियों का एकीकरण, जहां एक ने बाजार प्रतिभागियों को धोखा दिया है और दूसरी कंपनी नकदी-समृद्ध है और भुगतान संकट को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम है। इसलिए धारा *396* के तहत एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. का विलय करने का प्रस्ताव किया गया था।

कम्पनी अधिनियम। *21.10.2014* पर, कंपनी अधिनियम की धारा *396 (3)* के अनुसार किए गए समामेलन के एक मसौदा आदेश को संबंधित हितधारकों को परिचालित किया गया था। नतीजतन, एफ. टी. आई. एल. ने *10.11.2014* पर *2014* की रिट याचिका संख्या *2743* दायर की, जिसमें उसने विवादित मसौदा आदेश को चुनौती दी। *27.11.2014* पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। *16.12.2014* पर, भारत संघ ने जवाब में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई कि विवादित मसौदा आदेश दिया गया है।

एफ. एम. सी. के दिनांक *18.08.2014* के प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया। *04.02.2015* पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यथास्थिति आदेश को खाली कर दिया, और एक आदेश पारित किया जिसमें *FTIL*, *NSEL* और उनके शेयरधारकों को विलय आदेश के मसौदे पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी गई। इस बीच, धारा *396 (3)* के तहत, *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर मुआवजे का आदेश दिया गया था।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

01.04.2015 , जिसमें केवल एन. एस. ई. एल. के किसी विशेष शेयरधारक को मुआवजा देना शामिल था। *28.08.2015* पर, केंद्र सरकार ने एफएमसी के कार्यों को प्रतिभूति और विनिमय के साथ विलय करने के लिए एक अधिसूचना जारी की भारतीय बोर्ड *["SEBI"] W. E. F. 28.09.2015*। उसी दिन एफसीआरए को भी निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. को अब एफ. एम. सी. की शक्तियों के साथ निहित किया गया था जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, *1992 ["*एस. ई. बी. आई. अधिनियम*"]* द्वारा नियंत्रित किया जाना है।

8. एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. को उनकी आपत्तियों पर सुनवाई की अनुमति दी गई।

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री प्रीतम सिंह और विधि और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार श्री एच. पी. चतुर्वेदी की एक समिति ने *2014* की रिट याचिका *2743* में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अक्टूबर *2015* में विलय आदेश का विवादित मसौदा तैयार किया था।

9. 12.02.2016 पर, एक अंतिम समामेलन आदेश पारित किया गया था।

धारा *396 (3)* के तहत एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. का विलय किया जाएगा, जिसमें एन. एस. ई. एल. की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां एफ. टी. आई. एल. की परिसंपत्तियां और देनदारियां बन जाएंगी। पहले से दायर रिट याचिका में *28.03.2016* को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था इस आदेश को चुनौती दें। *04.12.2017* पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय पारित किया गया था जिसमें उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

10. हमने सुना है कि श्री मुकुल रोहतगी, श्री विकास सिंह, डॉ.

अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी और श्री कविन गुलाटी और विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद लखावत ने भाग लिया। विद्वान वकील के अनुसार, ध्यान देने योग्य पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कंपनी कानून में, होल्डिंग कंपनी, अर्थात। एफ. टी. आई. एल., विशिष्ट है और

अलग से

इसकी सहायक कंपनी से, अर्थात। , एनएसईएल। यह हमें बताया गया था कि दोनों कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग और स्वतंत्र निदेशक मंडल हैं, जो पूरी तरह से अलग-अलग व्यवसायों में काम करते हैं। यह बताया गया कि एफ. टी. आई. एल. ने कभी भी एन. एस. ई. एल. के मुनाफे में भाग नहीं लिया है, और शुल्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क प्राप्त करने के अलावा, एफ. टी. आई. एल. ने एन. एस. ई. एल. से कोई राजस्व प्राप्त नहीं किया है। वास्तव में, नौ वर्षों की लंबी अवधि में, एफ. टी. आई. एल. को एन. एस. ई. एल. से केवल *84* करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो किसी भी मामले में, एफ. टी. आई. एल. द्वारा *2015* की रिट याचिका संख्या *2187* में दिनांकित एक आदेश के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय में जमा की जाती है। विद्वान वकीलों को यह बताते हुए भी दुख हुआ कि एन. एस. ई. एल. ने किसी को धोखा नहीं दिया है क्योंकि यह केवल एक मंच है। वर्तमान में एन. एस. ई. एल. का व्यवसाय *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

बंद है, जबकि दूसरी ओर, एफ. टी. आई. एल. का व्यवसाय फल-फूल रहा है। एक अनिवार्य समामेलन आदेश धारा *396* के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा यदि

एकमात्र उद्देश्य एफ. टी. आई. एल. पर एन. एस. ई. एल. की निष्पक्ष देयता को लागू करना है। यह भी बताया गया कि समामेलन आदेश का आधार एफएमसी का एक पत्र था, जो बदले में ग्रांट थॉर्नटन द्वारा *2013* की "फोरेंसिक" ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित था। तथाकथित रिपोर्ट में ही कहा गया था कि प्रदान की गई जानकारी का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप, फॉरेंसिक ऑडिट की तो बात ही छोड़िए, ऑडिट का गठन नहीं होगा। इसने यह भी कहा कि यदि अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जो रिपोर्ट में पहुंचे निष्कर्षों पर प्रभाव डालती है, तो ग्रांट थॉर्नटन ने अपने निष्कर्षों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखा,

जिन्हें कानूनी सलाह या राय के रूप में व्याख्या करने का इरादा नहीं है; संक्षेप में, कि निष्कर्ष स्वयं अनिर्णायक थे।

समामेलन, समामेलन से पहले लगभग *2800* करोड़ रुपये की सकारात्मक निवल संपत्ति थी। ऐसा होने पर, धारा *396* को लागू करने का आधार ही गायब हो जाएगा क्योंकि समामेलित कंपनी, यानी हस्तांतरणकर्ता कंपनी को मूल्यांकन किए गए मुआवजे का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट रूप से ऐसा तब नहीं किया जा सकता है जब समामेलित कंपनी स्वयं एक नकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी बन जाए। तब यह तर्क दिया गया कि समामेलन आदेश उस आदेश और मध्यस्थता में न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है

एन. एस. ई. एल. द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ प्राप्त पुरस्कारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा, निर्णय की प्रक्रिया, जो यह निर्धारित करेगी कि क्या

चूक और क्या उन्हें वापस करने की आवश्यकता है, एन. एस. ई. एल. को एफ. टी. आई. एल. के साथ मिलाकर शॉर्ट-सर्किट किया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील के पास सब कुछ है

तर्क दिया कि धारा *396* की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती विभिन्न शर्तें पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार अपना दिमाग इस बात पर नहीं लगाया है कि क्या ऐसा आदेश, सबसे पहले, "आवश्यक" है। दूसरा, एक विशेष एक्सचेंज के सदस्य व्यक्तियों के लिए अनिर्धारित तथाकथित देनदारियों को शायद ही कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

केंद्र सरकार को "जनहित" में दोनों कंपनियों का विलय करने की आवश्यकता है। जनहित में आम जनता के हित शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ *63,000* का हित भी शामिल होगा।

एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारक, जो अब एक विशाल राशि के साथ शामिल होने जा रहे हैं।

12. इस प्रकार, समामेलन आदेश शक्तियों की सीमाओं के पृथक्करण को मान्यता देता है, और इसलिए, दोनों धारा *396* के अधिकार से परे है। कंपनी अधिनियम और भारत का संविधान। तब यह तर्क दिया गया कि समामेलन के आदेश के समर्थन में तीन आधार हैं, जो विवादित निर्णय में पाए जाते हैं, अर्थात्:

ए. अग्रिम अनुबंधों में जनता के विश्वास को बहाल करना/संरक्षित करना

और ऐसे आदान-प्रदान जो भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं,

बी. द्वारा मामले की व्यावसायिक वास्तविकताओं को प्रभाव देना
एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के व्यवसायों को समेकित करना और एफ. टी. आई. एल. को एन. एस. ई. एल. से दूरी बनाने से रोकना, जो अन्यथा भी इसका अहंकार है; और

ग. एन. एस. ई. एल. को चूककर्ताओं से बकाया वसूलने में सुविधा प्रदान करना

एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के मानव और वित्तीय संसाधनों को जोड़ना

मान लीजिए, कारण ए और बी मसौदा क्रम में नहीं हैं। ऐसा होने के कारण, जाहिर है, ए के कारण से कोई आपत्ति या सुझाव नहीं दिया जा सकता था।

और बी, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम आदेश, इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा *396 (3)* के अधिकार से बाहर होगा। *13.* समामेलन आदेश के पृष्ठ *1* पर ही सभी घोषित उद्देश्य-*(ए)* संयुक्त परिसंपत्तियों, पूंजी और भंडार का लाभ उठाना; *(*बी*)* बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था प्राप्त करना; *(*सी*)* कुशल प्रशासन; *(*डी*)* हितधारकों और ऋणदाताओं के अधिकारों और देनदारियों का लाभकारी निपटान; *(*ई*)* व्यवसायों को समेकित करना; और *(*एफ*)* समन्वय और नीति सुनिश्चित करना-पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और इन उद्देश्यों के लिए किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाया जाता है।

समामेलन आदेश जनहित में आवश्यक है। अनुच्छेद *31* ए

भारत के संविधान पर भरोसा किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि दो या दो से अधिक निगमों के अनुच्छेद *31* ए *(1) (*सी*)* के तहत एकीकरण केवल जनहित में या किसी भी निगम के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

निगम, जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से गायब है।

तर्क दिया कि केवल श्री प्रीतम सिंह ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसने आपत्तियों को खारिज कर दिया था, भले ही आपत्तियों को दो सदस्यीय समिति द्वारा सुना गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी,

विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *300* ए का उल्लंघन था। इसके अलावा, एकीकरण के बाद से

आदेश एफ. एम. सी. के एक आदेश पर आधारित है, जो बदले में ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे बहुत जल्दबाजी में दिया गया था, और इस तरह के अस्वीकृति के साथ कि अंतिम रूप देने के लिए उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता था।

निष्कर्ष, जैसा कि समामेलन आदेश द्वारा किया गया है, समामेलन आदेश स्वयं बिना किसी विवेक के, अत्यधिक और मनमाना होगा, और केवल इसी आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करेगा।

14. जब विवादित फैसले की बात आई, तो अपीलार्थियों के विद्वान वकील यह इंगित करने के लिए दुखी थे कि जब विवादित

निर्णय में कहा गया कि एफ. टी. आई. एल. को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शेयरधारकों की समामेलित कंपनी में शेयरों की संख्या समान रहती है, शेयरों के आर्थिक मूल्य या बाजार मूल्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इस प्रकार, आर्थिक मूल्य की उपेक्षा करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक पूरी तरह से कृत्रिम, औपचारिक और गैर-सारवान परीक्षण लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है

कि एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को क्षतिपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वे एक बार समामेलित कंपनी के सदस्य बन जाएं, लेकिन विलय की तारीख पर उनके शेयरों का मूल्य शून्य होगा। और, बंद होने की स्थिति में, उन्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। यह भी बताया गया कि समामेलन आदेश के तीन आधार, कारण हैं

समामेलन आदेश, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, ऐसे आधार हैं जो मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आधार ए में, अग्रिम अनुबंधों और विनिमयों में जनता के विश्वास को बहाल करना/सुरक्षित करना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं, प्राप्त नहीं होता है क्योंकि देश में केवल तीन वस्तु विनिमय थे, जिनमें से सभी सितंबर *2014* से बंद हो गए थे। कोई समान आदान-प्रदान नहीं बाद में बनाए गए। किसी भी मामले में, इस तरह के आदान-प्रदान में किए गए व्यवसाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। कारण बी, जो कि एन. एस. ई. एल. एफ. टी. आई. एल. का एक अहंकार है, बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर मुकदमों में निर्णय के लिए लंबित है। इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि एक दूसरे का अहंकार है, न केवल ऊपर बताए गए तथ्यों के विपरीत है, अर्थात्, दोनों कंपनियों के व्यवसाय पूरी तरह से अलग हैं और दोनों कंपनियों का प्रबंधन पूरी तरह से अलग और अलग निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि एक कंपनी *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अहंकार है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अन्य, निर्णय के बिना, स्वयं मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा। इसलिए एकमात्र कारण जो बना रहेगा वह कारण सी होगा, जो कि कथित चूककर्ताओं से पूर्व-निर्णय और लंबित निर्णय से कथित बकाया वसूलने की पूरी कवायद का वास्तविक उद्देश्य है, जो समस्या को पूरी तरह से एकतरफा तरीके से देखेगा, और एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों पर अत्यधिक आक्रमण होगा, जिनमें से सभी ने एकीकरण के खिलाफ भारी मतदान किया। वास्तव में, यह बताया गया है कि "जनहित" का कोई सवाल नहीं है और धारा *396* का उपयोग वास्तव में "श्याम" के चूक के लिए "राम", अर्थात् एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. को दंडित करने के लिए किया जाता है, अर्थात् *24* कथित चूककर्ता, जबकि एक भी चूक या किसी भी नागरिक या आपराधिक गलती के लिए एफ. टी. आई. एल. या एन. एस. ई. एल. को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए विवादित आदेश आनुपातिकता के आधार पर भी विफल हो जाएगा, जो अनुच्छेद *14* का एक पहलू है। इन सभी कारणों से, इसके अलावा, विवादित आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद *31* ए और कंपनी अधिनियम की धारा *396* के अधिकार से बाहर होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *14*, अनुच्छेद *19* और अनुच्छेद *300* ए का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।

15. एन. एस. ई. एल. इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप के प्रतिवादी नंबर *4* की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने इसका समर्थन किया। पूरी तरह से विवादित निर्णय। विद्वान वरिष्ठ के अनुसार

अधिवक्ता, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एफ. टी. आई. एल. के पास एन. एस. ई. एल. के शेयरों का *99.9998%* था, और एन. एस. ई. एल. को एफ. टी. आई. एल. समूह द्वारा प्रचारित किया गया था और यह इसका हिस्सा है। एन. एस. ई. एल. का निदेशक मंडल पूरी तरह से एफ. टी. आई. एल. के नियंत्रण में है। एन. एस. ई. एल. के एक्सचेंज को एफ. टी. आई. एल. द्वारा अपना माना जाता था, आयोजित किया जाता था और प्रतिनिधित्व किया जाता था, और यह इसके "एक्सचेंज वर्टिकल्स" का हिस्सा था। श्री जिग्नेश शाह हैं।

दोनों कंपनियों का साझा लिंचपिन। उनके पास एफ. टी. आई. एल. की *45* प्रतिशत हिस्सेदारी है और वे इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। वह एन. एस. ई. एल. के बोर्ड में उपाध्यक्ष भी हैं, जो उपरोक्त कंपनी के "प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों" में से एक हैं। वे एन. एस. ई. एल. की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी थे। एन. एस. ई. एल. की बोर्ड बैठकों के सभी कार्यवृत्त नियमित रूप से एफ. टी. आई. एल. की बोर्ड बैठकों में प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे पता चलता है कि एफ. टी. आई. एल. को एन. एस. ई. एल. में होने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी है। एन. एस. ई. एल. के बाहरी ईमेल "एफ. टी. आउटबॉक्स" नामक एक आउटबॉक्स के माध्यम से भेजे गए थे, जिसके माध्यम से सभी एफ. टी. आई. एल.-समूह कंपनियों के सभी ईमेल भेजे गए थे।

रूट किया गया। इसलिए, जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट को पढ़ने पर, एन. एस. ई. एल. ने कम से कम *2009* से, वस्तुओं में "युग्मित अनुबंध" को बढ़ावा दिया है, जो वास्तव में, वित्तपोषण लेनदेन, *[2019] 8* एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो वस्तुओं में बिक्री और खरीद लेनदेन से पूरी तरह से अलग थे। वास्तव में, अप्रैल से जुलाई, *2013* तक एन. एस. ई. एल. के *99* प्रतिशत कारोबार ऐसे युग्मित अनुबंधों से बना था। यह तंत्र एन. एस. ई. एल. को दिनांक *05.06.2007* पर दी गई छूट की शर्तों का उल्लंघन था और एफ. सी. आर. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन था। एन. एस. ई. एल. में वास्तव में जो चल रहा था, उसके विपरीत, एन. एस. ई. एल. लोगों को अपने मंच पर आने के लिए यह दोहराते हुए प्रेरित करता रहा कि वे केवल वस्तुओं और उसी की मौके पर डिलीवरी के साथ सौदा करते हैं। *2012* में ही एफ. एम. सी. ने एन. एस. ई. एल. की वास्तविक गतिविधियों से अवगत कराते हुए डी. सी. ए. को पत्र लिखा था, जिसमें संकेत दिया गया था कि उसका व्यवसाय एफ. सी. आर. ए. का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री जिग्नेश शाह ने डी. सी. ए. और एफ. एम. सी. को *10.07.2013* पर अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एन. एस. ई. एल. के पास संपार्श्विक के रूप में वस्तुओं का पूरा भंडार था और मार्जिन मनी के रूप में खुली स्थिति का *10-20%* था। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में एन. एस. ई. एल. के *120* गोदामों में स्टॉक था इसका मूल्य लगभग *6000* करोड़ रुपये है। जुलाई, *2013* में एन. एस. ई. एल., एफ. टी. आई. एल. ने स्वीकार किया कि यह धोखाधड़ी का परिणाम था और *5600* करोड़ रुपये का भुगतान संकट पैदा हुआ। *14.08.2013* पर, एन. एस. ई. एल. ने एक विस्तृत निपटान योजना निर्धारित करते हुए एफ. एम. सी. को लिखा। योजना ने उस अवधि का संकेत दिया जिसके भीतर पूरे बकाया का भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष *8* प्रतिशत से *16* प्रतिशत तक सरल ब्याज होगा। यह योजना पूरी तरह विफल रही। नतीजतन, ग्रांट थॉर्नटन द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक *1* में एन. एस. ई. एल. के वास्तविक संचालन के बारे में हानिकारक तथ्यों और आंकड़ों के साथ सामने आया।

अर्थात्, कि वे एक वस्तु विनिमय नहीं हैं, बल्कि एक वित्त विनिमय हैं, और कि कोई भी वस्तु वास्तव में स्टॉक में नहीं थी। नतीजतन, एफएमसी

इसके बाद एकीकरण किया गया। श्री दीवान यह इंगित करने के लिए दुखी थे कि *18.08.2014* पर ही, एफ. एम. सी. ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव को एक विस्तृत पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि एन. एस. ई. एल. उन सभी निवेशकों/व्यापारियों को चुकाने में वित्तीय रूप से असमर्थ था, जो कथित रूप से ठगे गए थे, एन. एस. ई. एल. को उसके मूल, एफ. टी. आई. एल. के साथ विलय करना जनहित में

समीचीन होगा, ताकि इन ऋणों को चुकाने के लिए उसके मूल संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि समामेलन आदेश का कारण केवल कथित रूप से ठगे गए निवेशकों/व्यापारियों के ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं था, बल्कि वस्तु बाजारों में विश्वास पैदा करना था, क्योंकि जब उनके ऋणों का तुरंत भुगतान किया जाता है, तभी व्यक्ति वस्तुओं में व्यापार करने के लिए एनएसईएल जैसे मंचों पर आगे आते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के रूप में अंतिम समामेलन आदेश पारित करना बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सुना गया था, भले ही कंपनी अधिनियम की धारा *396* में किसी भी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समामेलन का आदेश प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति का है और यह एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद *14* और *19* के आधार पर चुनौती से इस तरह के समामेलन से निपटने वाले "सभी कानूनों" को अनुच्छेद *31* ए द्वारा दी गई प्रतिरक्षा पूरी तरह से लागू होगी। ऐसा होने के कारण, अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे सभी अनुच्छेद *14* और *19* के उल्लंघन से संबंधित थे।

भारत का संविधान। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, आदेश ऊपर दिए गए वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर संतुष्ट होने के बाद पारित किया गया था कि इस तरह का आदेश पारित करना जनहित में आवश्यक था और इसलिए इसे अधिकार से बाहर नहीं माना जा सकता था। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का भी समर्थन किया जब यह कहा गया कि

एफ. टी. आई. एल. के शेयर धारा *396* का विषय नहीं हैं और इसलिए, एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को कोई मुआवजा प्रदान करना आवश्यक नहीं था।

धारा *396 (3)* के तहत। *16.* प्रत्यर्थी संख्या *4* की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने श्री की प्रस्तुतियों को पूरक बनाया।

दीवान। उनके अनुसार, केंद्र सरकार कहीं भी समामेलित कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान का निर्देश नहीं देती है। समामेलन केवल इसलिए है ताकि एफ. टी. आई. एल. के वित्त का उपयोग चल रहे मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके क्योंकि एन. एस. ई. एल. के पास ऐसा करने का साधन नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थियों के लिए यह कहना पूरी तरह से गलत है कि एफ. टी. आई. एल. एन. एस. ई. एल. की देनदारियों से भरा होगा, जिसके परिणामस्वरूप एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि शेयरों का भारी बहुमत एफ. टी. आई. एल. में श्री जिग्नेश शाह और उनके परिवार *(45* प्रतिशत*)* और श्री रवि सेठ और श्री भरत सेठ *(8* प्रतिशत*)* के स्वामित्व हैं। इस प्रकार, एफ. टी. आई. एल. में रखे गए अधिकांश शेयर घोटाले के दो मास्टरमाइंडों के हैं। इसके अलावा, घोटाले के बाद, *24* प्रतिशत शेयर सट्टेबाजों द्वारा खरीदे गए हैं, कम कीमत का लाभ उठाते हुए जिस पर ऐसे शेयरों की पेशकश की गई थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति विशुद्ध रूप से सट्टा लगाने वाले निवेशक हैं जिन्हें अधिनियम की धारा *396* के तहत मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक मूल्य भी

शेयरों की, यदि इसे ध्यान में रखा जाए, तो यह एक अनिश्चित और उतार-चढ़ाव वाली घटना है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि पुस्तक का मूल्य

घोटाला सामने आने के बाद एफ. टी. आई. एल. का एक हिस्सा केवल *2* रुपये प्रति शेयर था, जबकि सूचीबद्ध मूल्य वास्तव में *17.12.2013* के एफ. एम. सी. आदेश के बाद बढ़ गया। इसलिए यह सब बाजार की ताकतों पर निर्भर है और शेयर की कीमत *[2019] 8* एस. सी. आर. में बदलती रहती है।

बाजार की ताकतों के अनुसार और किसी भी समामेलन के परिणामस्वरूप नहीं जो प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि धारा *396* की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तों में से एक अनुपस्थित थी। भले ही एक मुआवजे का आदेश शून्य मुआवजे के लिए दिया गया था

एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारक और लेनदार इसके खिलाफ अपील कर सकते थे। ऐसा नहीं करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार का आदेश अधिनियम की धारा *396 (3)* और *(4)* के प्रावधानों का पालन किए बिना पारित किया गया था। जब उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए जनहित के तीन आधारों की बात आई, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

तर्क दिया कि आधार *(ए)* और *(*बी*)* केवल निष्कर्ष हैं जिनसे निकाला जाना है

आदेश में बताए गए सभी तथ्य, और इसलिए, मसौदा आदेश में होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कोई दुर्बलता या सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है धारा *396 (3)* और *(4)* में प्रदत्त प्राकृतिक न्याय। उन्हें अनुच्छेद *31* ए का विश्लेषण करने में परेशानी हो रही थी और उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति "जनहित" है।

अनुच्छेद *31* ए में निहित का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। समान रूप से,

केंद्र सरकार के अनुसार धारा *396* में "आवश्यक" शब्द आवश्यक है, और इस प्रकार, सरकार को अपने विवेक का प्रयोग करते समय बहुत व्यापक अक्षांश का विस्तार करने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि दो कंपनियों का विलय सार्वजनिक हित में आवश्यक है। उन्होंने गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ लिमिटेड बनाम के फैसले पर बहुत जोर दिया। भारत संघ, *(2006) 10* एस. सी. सी. *645 ["*गणेश बैंक*"]*, इस बात पर जोर देते हुए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा *45* के तहत किए गए समामेलन, जैसे कि धारा *396* के तहत किए गए समामेलन, बनाए जा सकते हैं ताकि एक कमजोर इकाई कमजोर इकाई के जमाकर्ताओं के हित में एक मजबूत इकाई के साथ विलय कर सके। उन्होंने यह दिखाने के लिए विभिन्न निर्णयों का भी हवाला दिया कि स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और इसलिए, यदि उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो इसका सीधा संबंध है जनहित। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा *396 (3)* में, एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को केवल "जितना हो सके उतना" मुआवजा देने की आवश्यकता है और गणितीय सटीकता आवश्यक नहीं है। तब उन्होंने

मोहिंदर सिंह गिल बनाम में निर्णय को अलग किया। मुख्य चुनाव आयुक्त, *(1978) 1* एस. सी. सी. *405 ["*मोहिंदर सिंह गिल*"]* ने अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत करते हुए कहा कि जहां व्यापक जनहित शामिल है, उस निर्णय का अनुपात लागू नहीं होगा। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में दो निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया जो के. आई. शेफर्ड बनाम को अलग करते थे। भारत संघ, *(1987) 4* एस. सी. सी. *431 ["*के. आई. शेफर्ड*"]*, और इसलिए, तर्क दिया कि धारा *396* के तहत पारित केंद्र सरकार का आदेश

वास्तव में प्रत्यायोजित प्रकृति का है। कानून बनाना और *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बाहर किसी भी प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

खंड में ही प्रावधान किया गया है। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट पर्दा उठाने पर कुछ निर्णयों का हवाला दिया और यह कहते हुए समाप्त किया कि जैसा कि जे. के. *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम. न्यू कैसर-*i*-हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, *[1969] 2* एससीआर *866 ["*जेके *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड*"]*, केंद्र सरकार के आदेश में वैधानिक बल होगा, और इसलिए, इसे केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं कहा जा सकता है। *17.* एस. ई. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार ने विवादित फैसले का पूरा समर्थन किया और हमें ले गए।

इसके विभिन्न हिस्सों के माध्यम से। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट एन. एस. ई. एल. द्वारा चुने गए फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट थी। स्वयं, हालांकि एफ. एम. सी. द्वारा ऐसा करना आवश्यक था। उन्होंने हमें एफ. एम. सी. आदेश दिनांक *17.12.2013* के माध्यम से सावधानीपूर्वक लिया, और कहा कि उसमें से किसी भी निष्कर्ष पर एफ. टी. आई. एल. या एन. एस. ई. एल. द्वारा हमला नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के आदेश का उल्लेख किया और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने का समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने एन. एस. ई. एल. की दिनांकित निदेशक की रिपोर्ट पर भरोसा किया और यह दिखाने के लिए कि निदेशक की रिपोर्ट या बैलेंस शीट में आई. एन. आर. *5600* करोड़ की किसी भी संभावित देयता का उल्लेख नहीं है, बैलेंस शीट पर भरोसा किया। इसलिए उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि एन. एस. ई. एल. अपने आप में एक एक्सचेंज था जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह अपने सदस्यों द्वारा की गई किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सिवाय इसके कि सदस्यों से बनाई गई एस. जी. निधि की सीमा तक।

योगदान दें। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि जुलाई *2013* में हुए घोटाले की भयावहता को देखते हुए सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। यह कई तरीकों में से एक को चुन सकता था जिसमें कार्य करना था, लेकिन चूंकि इसने ईमानदारी से चुना था

कंपनी अधिनियम की धारा *396* द्वारा प्रदान किया गया समामेलन मार्ग, यह स्पष्ट है कि इस परिमाण के घोटाले से निपटने में, सरकार ने जनहित में काम किया है।

18. भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद ने हमें तारीखों और घटनाओं की एक लंबी सूची के बारे में सावधानीपूर्वक बताया, जिससे पता चलता है कि एन. एस. ई. एल. ने अपने छूट आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया था और वास्तव में कभी भी माल की तैयार डिलीवरी या मौके पर डिलीवरी अनुबंध नहीं किए थे। वास्तव में, उनके अनुसार, एनएसईएल के नाम पर कभी भी एक भी पंजीकृत गोदाम नहीं था। भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण ने अपने गोदामों के पंजीकरण के लिए एन. एस. ई. एल. के आवेदन को *16.05.2011* पर खारिज कर दिया था। इसलिए, एन. एस. ई. एल. का यह कहना कि उसके पास अपने स्वामित्व में *120* गोदाम हैं, शुरू से ही जनता के सामने गलत व्याख्या थी। यह भी स्पष्ट है कि जब घोटाला सामने आया, तो ग्रांट थॉर्नटन, *[2019] 8* एस. सी. आर.

उसे संदर्भित किया गया और उस पर भरोसा किया गया। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि एन. एस. ई. एल. को दिए गए 'आई. डी. *1'* दिनांकित छूट आदेश को 'आई. डी. *2'* पर वापस ले लिया गया था क्योंकि जिंसों का बाजार ऐसा माना जाता था जिन बाजारों में वस्तुओं की मौके पर डिलीवरी होती थी, वे वास्तव में कभी नहीं हुए थे और इसलिए, दो अन्य स्पॉट एक्सचेंजों सहित वस्तुओं में काम करने वाले सभी स्पॉट एक्सचेंजों को दी गई छूट को वापस ले लिया गया था। हालांकि, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड *(*बी. एस. ई.*)*, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड *(*एन. एस. ई.*)* और एम. सी. एक्स. ने वस्तु व्यापार जारी रखा, लेकिन हाजिर आधार पर नहीं। उसने हमें एक का भी उल्लेख किया

बाद की घटना, जो कि विवादित फैसले के बाद की एक घटना है, अर्थात्, एक गंभीर धोखाधड़ी जांच रिपोर्ट दिनांक *31.08.2018*, जो उनके अनुसार, ग्रांट थॉर्नटन, एफएमसी और केंद्र सरकार द्वारा अपने अंतिम आदेश द्वारा किए गए सभी निष्कर्षों की पुष्टि करती है। उन्होंने तब तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम की धारा *396* एक विशेष, स्व-अधिनियम है।

यह कि धारा *396* के सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का वर्तमान मामले के तथ्यों पर अनुपालन किया गया है, अपने आप में एकल संहिता है और इसे इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की संतुष्टि यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि है कि धारा *396* के तहत कार्य करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। उन्होंने बाचा एफ. गुज़दार बनाम का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया। आयकर आयुक्त, *[1955] 1* एस. सी. आर. *876 ["*बाचा एफ. गुज़दार*"]*, मुआवजे के आदेश पर उच्च न्यायालय के तर्क का समर्थन करने के लिए। उन्होंने यह दिखाने के लिए शेयर बाजार की कीमतों का भी उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया कि बाजार में उतार-चढ़ाव अपने आप हुआ और जुलाई, *2013* में सामने आए घोटाले के परिणामस्वरूप ही शेयर की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि न तो एफ. टी. आई. एल. और न ही इसके शेयरधारकों और लेनदारों ने मुआवजे के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर की, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने अंतिम समामेलन आदेश का समर्थन किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि यह "जनहित" में किया गया था। इसके लिए, उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया कि

"जनहित को एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्री रोहतगी के इस कथन का भी विरोध किया कि आपत्तियों को सुनने वाले दो व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए उनकी रिपोर्ट गैर-अनुमानित होगी। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी आपत्ति अंतिम सरकारी आदेश के रास्ते में नहीं आ सकती है, जिसने सभी आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखा और उन सभी का जवाब दिया।

उन्होंने *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का भी उल्लेख किया। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शेयर बाजारों की भूमिका और कहा कि स्टॉक और वस्तुओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना निश्चित रूप से सार्वजनिक हित में है। उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित पर पाए गए तीन अलग-अलग आधार, विवादित केंद्र सरकार के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। अंत में, अपने अंतिम लिखित तर्क में, उन्होंने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया, अर्थात्, भारत संघ बनाम। जी. गनयुथम, *(1997) 7* एस. सी. सी. *463* और ओम कुमार बनाम। भारत संघ, *(2001) 2* एस. सी. सी. *386,*

प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति बताते हुए। *19.* श्री तुषार मेहता, भारत के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल, जो भारत संघ की ओर से भी पेश हुए, ने उन तथ्यों पर फिर से जोर दिया जिनके कारण अंतिम समामेलन आदेश आया। उनके अनुसार, दिनांकित *12.02.2016* का विवादित आदेश जनहित पर आधारित है क्योंकि यह दर्शाता है कि

वर्ष *2013* में हुए एक बड़े घोटाले पर सरकार की प्रतिक्रिया, जिसने आम तौर पर वस्तुओं के बाजार को प्रभावित किया। उन्होंने कुछ समय तक व्यक्तिपरक संतुष्टि और न्यायिक समीक्षा पर चर्चा की और बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम का उल्लेख किया। कंपनी लॉ बोर्ड, *[1966]* पूरक एस. सी. आर. *311 ["*बेरियम केमिकल्स*"]*, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एस. डी. अग्रवाल, *[1969] 3* एस. सी. आर. *108 [*रोहतास इंडस्ट्रीज*]*, और अन्य निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र सरकार ने जनहित में अपना आदेश पारित करने के कारणों की पर्याप्तता पर निर्णय देना न्यायालय का काम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच चयन करने का अधिकार एक उत्तरदायी सरकार में निहित अधिकार है, और यह केवल तभी होता है जब ऐसा विकल्प इतना अनुचित या अनुचित होता है कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसी कार्रवाई नहीं करता, कि अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हरियाणा वित्तीय निगम बनाम का हवाला दिया। जगदम्बा ऑयल मिल्स, *(2002) 3* एस. सी. सी. *496*। उनके अनुसार, वेड्सबरी परीक्षण के अलावा अनिवार्यता की समीक्षा नहीं की जा सकती है, और न्यायालय को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या कोई उचित व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि विवादित आदेश जनहित में आवश्यक था। उन्होंने दोहराया कि *12.02.2016* का आदेश धारा *396* के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है क्योंकि कई निष्कर्ष बताते हैं कि इसमें समामेलन आवश्यक है।

निर्विवाद तथ्यों के आधार पर जनहित तय किया गया है और इसलिए उक्त आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस तरह का आदेश, यदि पारित किया जाता है, तो प्रत्यायोजित कानून की प्रकृति में है, और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। धारा *396* द्वारा ही विहित किया गया है जिसका, उनके अनुसार, प्रक्रियात्मक और मूल रूप से पालन किया गया है, जैसा कि आदेश में परिलक्षित होता है।

दिनांकित *12.02.2016*।

*20.*श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

कुछ कथित ठगे गए निवेशकों/व्यापारियों की ओर से पेश होते हुए, महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के ब्याज संरक्षण *(*वित्तीय प्रतिष्ठानों में*)* अधिनियम, *1999* का उल्लेख किया गया और कहा गया कि जिन व्यक्तियों ने एन. एस. ई. एल. के जिंसों के आदान-प्रदान में धन का निवेश किया था, उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा "जमाकर्ता" माना गया है, जिसमें से एक एस. एल. पी. को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित एक अन्य फैसले को भी हमारे ध्यान में लाया, जिसमें एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. ने एक निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन किया था, और अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी और धन का भुगतान करना पड़ा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शेयरों का "आर्थिक मूल्य" कंपनी अधिनियम की धारा *396 (3)* के लिए एक अजनबी है। इसके बाद उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की दो रिपोर्टों पर भरोसा किया, जिनमें से दोनों में कहा

गया है कि दुनिया भर में कॉर्पोरेट कानून में आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि यदि नुकसान किसी निगम द्वारा वहन किया जाता है, तो इसका खामियाजा शेयरधारकों को उठाना चाहिए।

21. सभी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह आवश्यक है

इस मोड़ पर सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद *31* ए को निर्धारित करने के लिए, जिसमें कहा गया हैः

" 31 ए. *(1)* अनुच्छेद *13* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नहीं

के लिए प्रावधान करने वाला कानून -

XXX XXX XXX

*((*ग*)* लोक हित में या निगमों के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए दो या दो से अधिक निगमों का एकीकरण।

निगमों में से कोई भी, या

XXX XXX XXX

यह इस आधार पर शून्य समझा जाएगा कि यह अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *19* द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, या उसे छीनता है या कम करता है।

XXX XXX "

" अनुच्छेद *13 (3)* में कानून को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

मौलिक अधिकार।

XXX XXX IOONS TECHNOLOGIES LTD. (वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(क*)* "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल है;

XXX XXX "

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि लोक हित में किसी भी या अधिक निगमों के एकीकरण का प्रावधान करने वाला कोई भी "कानून" भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *19* से संबंधित चुनौती से मुक्त है। यह विवादित नहीं है कि कंपनी अधिनियम की धारा *396* ऐसी है -

22. कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *396* इस प्रकार हैः

" 396. जनहित में कंपनियों के विलय का प्रावधान करने की केंद्र सरकार की शक्ति। *(1)* कहाँ*?*

केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि दो या दो से अधिक कंपनियों का विलय किया जाए, फिर, धारा *394* और *395* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उन कंपनियों को ऐसी संपत्ति, शक्तियों, अधिकारों, हितों, प्राधिकरणों और विशेषाधिकारों के साथ, और ऐसी देनदारियों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं, एक ही कंपनी में विलय करने का प्रावधान कर सकती है।

(2) उपरोक्त आदेश किसी भी हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही को हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखने का प्रावधान कर सकता है और इसमें ऐसे परिणामी, आनुषंगिक और पूरक प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं जो,

समामेलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार की राय आवश्यक होगी। *(3)* समामेलन से पहले प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक सदस्य या लेनदार *(*एक डिबेंचर धारक सहित*)* का समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी में उतना ही हित या अधिकार होंगे, जितना हो सके।

जो वह मूल रूप से एक सदस्य या लेनदार था*;* और जिस हद तक समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी में या उसके खिलाफ ऐसे सदस्य या लेनदार का ब्याज या अधिकार उससे कम हैं।

मूल कंपनी में ब्याज या उसके खिलाफ अधिकार, वह *[2019] 8* एस. सी. आर. का हकदार होगा।

क्षतिपूर्ति के लिए जिसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है और इस तरह के प्रत्येक मूल्यांकन को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

इस प्रकार निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान सदस्य को किया जाएगा।

या कंपनी द्वारा संबंधित लेनदार जिसके परिणामस्वरूप

एकीकरण।

(3 क*)* मुआवजे के किसी भी आकलन से व्यथित कोई भी व्यक्ति।

उप-धारा *(3)* के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया गया, आधिकारिक राजपत्र में ऐसे निर्धारण के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है और उसके बाद मुआवजे का आकलन न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक किः

(क*)* प्रस्तावित आदेश की एक प्रति प्रत्येक को मसौदे में भेजी गई है।

संबंधित कंपनियों का*;*

*((*ए*)* उप-धारा *(3* ए*)* के तहत अपील करने का समय समाप्त हो गया है, या जहां ऐसी कोई अपील की गई है, अपील का अंत में निपटारा कर दिया गया है*;* और *(* ख*)*

केंद्र सरकार ने मसौदा आदेश में ऐसे संशोधन, यदि कोई हों, पर विचार किया है और किए हैं, जो उसे किसी भी सुझाव और आपत्तियों के आलोक में वांछनीय लगे, जो उसे किसी ऐसी कंपनी से ऐसी अवधि के भीतर प्राप्त हो सकती है जो केंद्र सरकार उस ओर से निर्धारित करे, उस कंपनी द्वारा या उसमें किसी भी वर्ग के शेयरधारकों से या किसी भी लेनदारों या उसके किसी वर्ग के लेनदारों से उपरोक्त प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने से कम न हो।

(5) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की प्रतियां, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएंगी।

संसद "।

यह देखा जाएगा कि धारा *396* अनिवार्य प्रावधान करती है

लोक हित में कंपनियों का विलय। उक्त धारा कंपनी अधिनियम के पांचवें अध्याय में आती है जिसमें लिखा है, "मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और पुनर्निर्माण"। धारा *391* से *394* तक

स्वैच्छिक समझौतों और व्यवस्थाओं सहित

दो या दो से अधिक कंपनियों का विलय। इसके विपरीत, अनुभाग कंपनियों के अनिवार्य समामेलन के साथ लागू होता है।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

धारा *396* का हस्तक्षेप

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *31* ए को देखते हुए धारा *396* को अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *19* के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा *396* का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि यह मनमाने या अनुचित परिणामों की ओर ले जाए। प्रेम नाथ रैना बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। *, (1983) 4* एस. सी. सी. *616,* इस न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, *1976,* जिसे अनुच्छेद *31* ए द्वारा संरक्षित किया गया था, को चुनौती देते हुए कहाः

" 9. ..... अनुच्छेद *14,19* और *31* के तहत एक संवैधानिक चुनौती का बहिष्कार, जो अनुच्छेद *31* ए द्वारा प्रदान किया गया है, इन अनुच्छेदों के तर्कहीन उल्लंघन को न्यायसंगत नहीं ठहराता है। इस न्यायालय ने वामन राव *[*वामन राव बनाम। भारत संघ, *(1981) 2* एस. सी. सी. *362:* ए. आई. आर *1981* एस. सी *271: (1981) 2* एस. सी. आर. *1]* किः " ऐसा हो सकता है कि मौजूदा असमानताओं को दूर किया जा रहा है, नई

असमानताएँ मामूली और संयोग से उत्पन्न हो सकती हैं "लेकिन

विधायिका को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीमांत और आनुषंगिक भी

असमानताएँ कविता या कारण के बिना नहीं बनाई जाती हैं। द.

जम्मू-कश्मीर सरकार को धारा *7 (2)* में निहित प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और निवास के संबंध में प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए ताकि वे कारण के साथ सहमत हो सकें।

और सामान्य ज्ञान। अनुच्छेद *31* ए तर्क और औचित्य को नजरअंदाज नहीं करता है।

सामान्य ज्ञान "।

समान रूप से, बुधन सिंह और अन्र में। वी. नबी बक्स और अन्र। , *[1970] 2* एस. सी. आर. *10,* यह न्यायालय, यू. पी. जमींदारी की धारा *90* का अर्थ लगाते हुए

उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, *1950* में कहा गया थाः

"धारा *9* में "अभिनिर्धारित" शब्द के अर्थ पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह मान लेना उचित है कि कानून निर्माता जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, वे ऐसे कानून बनाते हैं जिन्हें समाज ईमानदार, निष्पक्ष और न्यायसंगत मानता है। प्रत्येक विधान का उद्देश्य लोक कल्याण को आगे बढ़ाना है। अन्य में

क्रॉफर्ड द्वारा वैधानिक पर अपनी पुस्तक में देखे गए शब्द

यह निर्माण करता है कि पूरी विधायी प्रक्रिया न्याय और तर्क के विचारों से प्रभावित हो। न्याय और तर्क कानून के हर हिस्से में महान सामान्य विधायी इरादे का गठन करते हैं। नतीजतन जहां सुझाए गए निर्माण कठोरता से काम करते हैं,

हास्यास्पद रूप से या किसी अन्य तरीके से प्रचलित *[2019] 8* एस. सी. आर.

न्याय और तर्क की अवधारणाएँ, ज्यादातर मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि क़ानून का स्पष्ट या सुझाए गए अर्थ, नहीं था

कानून निर्माताओं का इरादा। किसी और की अनुपस्थिति में

संकेत है कि कठोर या हास्यास्पद प्रभाव वास्तव में अभिप्रेत था विधायिका द्वारा, यह मानने का बहुत कम कारण है कि यह प्रतिनिधित्व करता है

विधायी उद्देश्य "।

(पीपी में। *15-16)*

केंद्रीय

आयतन की

विनाशकारी

सरकार

आदेश

24. अगला सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार का आदेश

इस तथ्य को देखते हुए कि धारा *396* निस्संदेह अनुच्छेद *31* ए द्वारा संरक्षित है, धारा *396* को अनुच्छेद *31* ए की सुरक्षात्मक छत्रछाया भी प्राप्त होगी।

25. एक समान प्रश्न उठाया गया था और इसके संबंध में विचार किया गया था

आवश्यक वस्तु अधिनियम, *1955* के तहत पारित एक आदेश। प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ, *(1978) 3* एस. सी. सी. *459 ["*प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स*"]*, एक बहुमत निर्णय द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, *1955* की धारा *3* के तहत पारित सरसों तेल *(*मूल्य नियंत्रण*)* आदेश, *1977* को अनुच्छेद *31* बी की छूट प्राप्त नहीं थी। इस न्यायालय ने कहाः

"46. संविधान का अनुच्छेद *31* ए उन कानूनों को बचाता है जो

खंड *(*ए*)* से खंड *(*ई*)* में उल्लिखित मामले एक चुनौती से

अनुच्छेद *14,19* या *31* के तहत कुछ भी निहित होने के बावजूद
संविधान का अनुच्छेद *13*। अनुच्छेद *31* बी जो प्रस्तुत किया गया था

संविधान *(*प्रथम संशोधन*)* अधिनियम, *1951* द्वारा कुछ बातों को मान्य किया गया है।

अधिनियमों और विनियमों का प्रावधान करते हुए कि प्रतिकूल प्रभाव के बिना

अनुच्छेद *31* ए में निहित प्रावधानों की व्यापकता, "इनमें से कोई नहीं

नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम और विनियम और न ही इनमें से कोई

उसके प्रावधानों को शून्य या कभी भी शून्य माना जाएगा।

नौवीं अनुसूची की सुरक्षात्मक छत्रछाया लगातार बढ़ती जा रही है
इसमें न केवल निर्दिष्ट अधिनियम और विनियम हैं, बल्कि आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*)* *v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उन अधिनियमों और विनियमों के तहत जारी आदेश और अधिसूचनाएं।

अनुच्छेद *31* बी मौलिक अधिकारों पर एक गंभीर अतिक्रमण है।

अधिकार और निस्संदेह यह प्रतीत हो सकता है कि यह एक उज्ज्वल सामाजिक दर्शन से प्रेरित है, इसका इस सरल कारण से सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो सकती है।

हमारी राय में, न्यायिक व्याख्या द्वारा उस क्षेत्र के प्रावधानों का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे उस लेख द्वारा चुनौती से मुक्त घोषित किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या संक्षिप्तकरण। यह अनुच्छेद नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को संरक्षण प्रदान करता है।

इसलिए, जब भी एक की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है

इस आधार पर कानून का प्रावधान कि यह किसी भी मौलिक का उल्लंघन करता है

सवाल यह है कि किसे खुद को संबोधित करना चाहिए कि क्या विवादित कानून उस अनुसूची में निर्दिष्ट है। यदि ऐसा है, तो प्रावधान

अनुच्छेद *31* बी आकर्षित होगा और चुनौती विफल हो जाएगी।

बिना किसी और पूछताछ के। दूसरी ओर, यदि कानून नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है, तो चुनौती की वैधता की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसके प्रावधान भाग *III* द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह से आक्रमण करते हैं। इस प्रकार यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि हालांकि विशेष कानून, उदाहरण के लिए एक नियंत्रण आदेश, नौवें में निर्दिष्ट नहीं है।

अनुसूची, मूल अधिनियम जिसके तहत आदेश जारी किया जाता है

उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट "।

26. वर्तमान मामले में, इस फैसले का यह कहने के लिए कोई प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं है कि अनुच्छेद *31* ए भी मानसिक अधिकारों पर एक गंभीर अतिक्रमण का गठन करता है, और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। अनुच्छेद *31* ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कानून" है, जिसके लिए यह देखना होगा कि परिभाषा में अनुच्छेद *13 (3)* शामिल है। " अनुच्छेद *13 (3)* में "कानून" में निश्चित रूप से "आदेश" शामिल है। सवाल यह है कि क्या इसमें *[2019] 8* एस. सी. आर. के रूप में एक प्रशासनिक आदेश शामिल होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय सरकार का आदेश प्रकृति में प्रशासनिक है *28.* यह हमें बताता है कि केंद्र सरकार के आदेश की प्रकृति क्या है जो धारा *396* के तहत पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि

भारत संघ की ओर से, कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, कि धारा *396* के तहत पारित आदेश की प्रकृति प्रत्यायोजित विधान की है। इस मामले में, यह, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *14* और *19* के आधार पर चुनौती से प्रतिरक्षा प्राप्त करेगा

भारत, क्योंकि यह तब अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *31* ए के अर्थ के भीतर एक "कानून" के बराबर होगा।

29. विधायी प्रकृति के आदेश के बीच का अंतर

और जो प्रकृति में प्रशासनिक है, उसकी चर्चा हमारे कुछ निर्णयों में की गई है। इस प्रकार, साइनामाइड इंडिया *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने एक

प्रशासनिक और विधायी आदेशों के बीच अंतर इस प्रकार हैः

" 7. ..... यह कहा गया है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बीच एक अलग रेखा खींचने का कोई भी प्रयास 'सिद्धांत रूप में कठिन और व्यवहार में असंभव' है। हालांकि मुश्किल है, यह आवश्यक है कि कभी-कभी रेखा खींची जानी चाहिए क्योंकि विभिन्न कानूनी अधिकार और परिणाम सामने आ सकते हैं। इन दोनों के बीच अंतर है

आम तौर पर 'सामान्य और के बीच एक' के रूप में व्यक्त किया जाता है
विशेष रूप से '। एक विधायी अधिनियम एक आई. ओ. एन. एस. प्रौद्योगिकी लिमिटेड का निर्माण और उद्घोषणा है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण का सामान्य नियम; एक प्रशासनिक अधिनियम एक विशिष्ट निर्देश का निर्माण और जारी करना है। या किसी विशेष मामले में एक सामान्य नियम का अनुप्रयोग

नीति की आवश्यकताओं के अनुसार '। विधान बिना किसी संदर्भ के आचरण के सामान्य नियम तैयार करने की प्रक्रिया है। विशेष मामलों में और आमतौर पर भविष्य में काम करना; प्रशासन विशेष कार्य करने की प्रक्रिया है, विशेष रूप से जारी करने की प्रक्रिया है।

सामान्य नियमों को लागू करने वाले आदेश या निर्णय लेने के लिए

विशेष मामले '। यह भी कहा गया हैः 'नियम बनाना आम तौर पर सामान्य आवश्यकताओं के निर्माण की ओर निर्देशित किया जाता है।

व्यापक रूप से पहचान योग्य वर्ग के सभी सदस्यों के लिए आवेदन 'जबकि,' दूसरी ओर, एक निर्णय विशिष्ट व्यक्तियों या स्थितियों पर लागू होता है '। लेकिन, यह केवल एक व्यापक अंतर है, जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। प्रशासन और प्रशासनिक निर्णय हो सकता है

यह सामान्य अनुप्रयोग का भी हो सकता है और केवल विशेष अनुप्रयोग का कानून हो सकता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पुनः, न्यायनिर्णयन अतीत और वर्तमान तथ्यों को निर्धारित करता है और अधिकारों और देनदारियों की घोषणा करता है जबकि विधान भविष्य की कार्रवाई का संकेत देता है। न्यायनिर्णयन अतीत और वर्तमान का निर्धारक है जबकि विधान भविष्य का संकेत देता है।

के. आई. शेफर्ड *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक, केनरा और भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन निजी बैंकों के विलय की योजना पर विचार किया, अलग-अलग योजनाओं के संदर्भ में, प्रत्येक निजी बैंक को धारा *45* के तहत राज्य के बैंकों के साथ जोड़ा गया।

विनियमन अधिनियम। यह आग्रह किया गया कि इन बैंकों के विलय के लिए भारतीय रिजर्व द्वारा पारित आदेश विधायी प्रकृति का था, जिसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मोड़ में

यह तर्क, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. ..... आर. बी. आई. और अंतरिती बैंकों के विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया है कि धारा के तहत योजना बनाने की प्रक्रिया

45 चरित्र में विधायी है और इसलिए, सुरक्षात्मक छत्र के तहत प्राकृतिक न्याय के दायरे के दायरे से बाहर है, जिसके बारे में बहिष्कृत कर्मचारियों को सूचित करने या पूछताछ करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायी शक्ति के प्रयोग में प्राकृतिक न्याय का उपयोग नहीं किया जाएगा और श्री साल्वे ने इस न्यायालय के भारत संघ बनाम भारत संघ के हाल के फैसले पर सही भरोसा किया है। ऐसी स्थिति के समर्थन में साइनामाइड इंडिया लिमिटेड *[(1987) 2* एस. सी. सी. *720]*। लेकिन क्या योजना बनाने की प्रक्रिया विधायी है*?*

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. बी. आई. को कुछ स्थितियों में स्थगन के आदेश के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने के लिए कदम उठाने और स्थगन की अवधि के दौरान दोनों में से किसी एक का प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया है।

बैंकिंग कंपनी का पुनर्निर्माण या एकीकरण। विचार किए गए उद्देश्यों के लिए एक योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की जानी चाहिए और मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के समक्ष रखी जानी चाहिए। शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है जिसे हटाने के आदेश देने के लिए हेनरी *VIII* खंड के रूप में जाना जाता है।

कठिनाइयाँ। धारा *45 (11)* के अनुसार योजनाओं की प्रतियां और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऐसे आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने चाहिए। हमें नहीं लगता कि यह आवश्यकता योजनाओं के संबंध में अभ्यास को एक विधायी प्रक्रिया बनाती है। यह.

किसी अन्य प्राधिकरण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसी निर्णय पर श्री साल्वे ने साइनामाइड इंडिया लिमिटेड के मामले में भरोसा किया था।

[(1987) 2 एस. सी. सी. *720]* परीक्षण को निर्धारित करता है। निर्णय के पैरा *7* में यह संकेत दिया गया हैः *(* एससीसी पीपी। *735-36)*

"यह कहा गया है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बीच एक अलग रेखा खींचने का कोई भी प्रयास 'सिद्धांत रूप में कठिन और व्यवहार में असंभव' है। हालांकि मुश्किल है, यह आवश्यक है कि कभी-कभी रेखा खींची जानी चाहिए क्योंकि विभिन्न कानूनी अधिकार और परिणाम सामने आ सकते हैं। दोनों के बीच का अंतर आमतौर पर 'सामान्य और विशेष के बीच एक' के रूप में व्यक्त किया गया है। एक विधायी अधिनियम विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण के एक सामान्य नियम का निर्माण और उद्घोषणा है; एक प्रशासनिक अधिनियम नीति की आवश्यकताओं के अनुसार एक विशिष्ट निर्देश का निर्माण और जारी करना या एक विशेष मामले में एक सामान्य नियम का अनुप्रयोग है।

'विधान विशेष मामलों के संदर्भ के बिना संचार नलिका के एक सामान्य नियम को तैयार करने की प्रक्रिया है और आमतौर पर भविष्य में संचालित होता है; प्रशासन समान प्रदर्शन करने की प्रक्रिया है।

विशेष आदेश जारी करने या निर्णय लेने के विशेष कार्य जो विशेष मामलों में सामान्य नियमों को लागू करते हैं। यह भी कहा गया हैः 'नियम बनाना आम तौर पर आवश्यकताओं के सूत्र की ओर निर्देशित किया

जाता है जो व्यापक रूप से पहचान योग्य वर्ग के सभी सदस्यों के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग होता है, जबकि दूसरी ओर, एक निर्णय विशिष्ट व्यक्तियों या स्थितियों पर लागू होता है। लेकिन, यह केवल एक व्यापक अंतर है, जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। *'63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इन परीक्षणों को लागू करने के लिए श्री साल्वे के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि धारा *45* के तहत योजना के निर्माण में एक विधायी प्रक्रिया शामिल है। समान वैधानिक प्रावधान हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष सामग्री रखने की आवश्यकता होती है।

फिर भी इसमें कोई विधायी गतिविधि शामिल नहीं है। तथ्य यह है कि आदेश दिए गए

कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा
उपखंड *(10)* के तहत विचार किए गए उपखंडों को भी संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना को दोनों सदनों के समक्ष रखना योजना-निर्माण प्रक्रिया को विधायी बनाने के लिए एक प्रासंगिक परीक्षा नहीं है। हम तदनुसार मानते हैं कि श्री के तर्क में कोई बल नहीं है।

साल्वे ने कहा कि प्रक्रिया विधायी होने के कारण, प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं थे।

तथ्य यह है कि धारा *396 (5)* के तहत, केंद्र सरकार के आदेश को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाना है। इस तथ्य से कि यह आदेश प्रशासनिक है और विधायी नहीं है। धारा *396* के तहत पारित केंद्र सरकार के आदेश पर इन फैसलों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि आदेश सीधे कंपनियों, उनके शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करता है, जिन्हें आदेश के तहत विलय करने की मांग की गई थी। इस तरह का आदेश सामान्य रूप से एक आदेश नहीं है जो ऐसी सभी कंपनियों पर लागू होता है, बल्कि केवल विशेष कंपनियों पर लागू होता है।

कंपनियों ने विलय की मांग की। आचरण का कोई सामान्य नियम नहीं है, विशेष मामले के संदर्भ के बिना जो इस तरह के एक द्वारा निर्धारित किया गया है आदेश दें। केंद्र सरकार का आदेश, अंततः, एक विशिष्ट बनाता है

दो विशिष्ट कंपनियों को निर्देश दें जिनका विलय किया जाना है। यह स्पष्ट है कि इस तरह का आदेश कानून की प्रकृति या प्रत्यायोजित नहीं है कानून।

30. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन और एएनआर का हवाला दिया है। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। *, (1996) 8* एस. सी. सी. *407 ["*न्यू बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन*"],* जो एक निर्णय है जिसने के. आई. शेफर्ड *(*ऊपर*)* को प्रतिष्ठित किया है। यह निर्णय बैंकिंग कंपनी *(*उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण*)* अधिनियम, *1980* की धारा *9* से संबंधित था।

[" अधिग्रहण अधिनियम *"],* जिसके लिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें तैयार किया गया हो

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखे जाने वाले उक्त अधिनियम के तहत, जिसमें संसद को उसमें कोई भी संशोधन करने की शक्ति दी जाती है। *[2019] 8* एस. सी. आर. के बीच भाषा में अंतर को देखते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा *45* और अधिग्रहण अधिनियम की धारा *9* पर इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों को अलग कियाः

शेफर्ड *(*ऊपर*)* इस प्रकारः

" 32. एकमात्र अन्य प्रश्न जो विचार के लिए बचा है वह है

क्या उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *9* के तहत योजना बनाने की प्रक्रिया विधायी नहीं है

कानून में सही। चार प्रश्नों पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए तैयार किया गया, यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं है लेकिन चूंकि

उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है और विद्वान अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल और श्री साल्वे ने इस तर्क को आगे बढ़ाया कि हम इस प्रश्न का भी उत्तर देना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया

शेफर्ड मामले में निर्णय पर *[(1987) 4* एस. सी. सी. *431 1987*

एससीसी *(*एल एंड एस*) 438: (1988) 1* एस. सी. आर. *188]* और यह मानने के लिए आया कि

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा *45* के प्रावधान

बैंकिंग कंपनी *(*उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण*)* अधिनियम, *1980* की धारा *9* और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *45* के तहत बनाई गई योजना को इस न्यायालय द्वारा विधायी नहीं माना गया है, इसलिए वर्तमान मामले की तरह अधिग्रहण अधिनियम के तहत बनाई गई योजना को भी विधायी नहीं माना जाना चाहिए। यह निर्विवाद है कि शेफर्ड मामले में *[(1987)*

4 एससीसी *431 1987* एससीसी *(*एल एंड एस*) 438 (1988) 1* एससीआर *188]*

राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक निजी बैंक का विलय था और

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* के प्रावधान लागू हुए। शेफर्ड मामले में यह न्यायालय *[(1987) 4* एस. सी. सी. *431: 1987* एससीसी *(*एल एंड एस*) 438: (1988) 1* एस. सी. आर. *188]* बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *45 (11)* की जांच करने पर यह माना गया कि केवल एक योजना के कारण

केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।

इस योजना को विधायी प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। लेकिन हमारे

माना जाता है कि उच्च न्यायालय नोटिस करने में विफल रहा है

की धारा *45* के प्रावधानों के बीच मौलिक अंतर

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* और अधिग्रहण अधिनियम की धारा *9*। अधिग्रहण अधिनियम की धारा *9* के तहत, जिसके तहत विवादित योजना बनाई गई है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक योजना को प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना है।

30 दिनों की कुल अवधि के लिए संसद और संसद के पास है

योजना के लिए सहमत होने और कोई संशोधन करने की शक्ति

यह निर्णय देते हुए कि योजना नहीं बनाई जानी चाहिए और यह *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसके बाद ही योजना का प्रभाव या तो संशोधित रूप में होता है या सहमत नहीं होती है। अतः दोनों प्रावधानों के बीच आवश्यक अंतर यह है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* के तहत बनाई गई योजना को केवल संसद के समक्ष रखा जाना है और अधिग्रहण अधिनियम के तहत योजना को लागू करने के बाद ही प्रभावी हो जाता है। संसद के
दोनों सदनों के समक्ष और संसद के बाद इस तरह का संशोधन करते हैं और योजना के लिए सहमत होते हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में शेफर्ड मामले में इस न्यायालय का निर्णय *[(1987) 4*

एससीसी *431: 1987* एससीसी *(*एल एंड एस*) 438: (1988) 1* एस. सी. आर. *188]* का प्रावधानों के तहत बनाई गई योजना के लिए कोई आवेदन नहीं है
अधिग्रहण अधिनियम और हमारी सुविचारित राय में, बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण की धारा *9* के तहत बनाई गई एक योजना और

उपक्रम अंतरण अधिनियम, *1980* एक विधायी अधिनियम है। उच्च न्यायालय ने इस योजना को विधायी नहीं ठहराते हुए गलती की थी

एक "।

चूंकि कंपनी अधिनियम की धारा *396 (5)* के. आई. शेफर्ड *(*उपरोक्त*)* के मामले में विचार किए गए प्रावधान के समान एक प्रावधान है, इसलिए अनुपात

के. आई. शेफर्ड *(*ऊपर*)* पूरी तरह से लागू होता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन *(*उपरोक्त*)* में निर्णय, इसलिए, वर्तमान मामले में वैधानिक प्रावधान को देखते हुए, कोई सहायता नहीं है। *31.* उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तब क्वारी ओनर्स एसोसिएशन बनाम में निर्णय का हवाला दिया। बिहार राज्य

और ओआरएस। *, (2000) 8* एससीसी *655*। पैराग्राफ *45* और *55* में दिए गए इस फैसले में कहा गया है कि संसद के समक्ष एक आदेश को सरलता से रखना भी एक अनिवार्य शर्त है और आदेश दिया गया है कि उस

मामले में विशेष आदेश को विधायिका के समक्ष रखा जाए क्योंकि यह पहले नहीं रखा गया था। इस निर्णय का फिर से इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या, विधायिका के समक्ष रखने के कारण, कोई आदेश प्रशासनिक या विधायी प्रकृति का है। इसलिए, यह निर्णय भी हमें बहुत आगे नहीं ले जाता है।

32. तब उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

जे. के. *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड *(*उपरोक्त*)* के एक परिच्छेद और विशेष रूप से पैराग्राफ *23* का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा *391* के तहत दिए गए आदेश को वैधानिक बल प्राप्त है। तथ्य यह है कि धारा *396* के तहत किए गए इसी तरह के आदेश में भी वैधानिक बल हो सकता है। यह फिर से हमारे सामने सटीक प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, अर्थात्, क्या वैधानिक बल वाले ऐसे आदेश प्रशासनिक हैं या *[2019] 8* एस. सी. आर.

प्रकृति में विधायी। यह अवलोकन फिर से मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है।

33. धारा *396* के तहत पारित आदेश विशेष कंपनियों के लिए है।

और अपने आप में आचरण का कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में, धारा *396* द्वारा निर्धारित आचरण के सामान्य नियम का पालन करता है। इस प्रकार, धारा *396* के तहत बनाया गया केंद्र सरकार का आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *19 (1) (*जी*)* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात आती है तो यह उसका सार है जो प्रभावित होता है, न कि रूप। इस प्रकार, थॉमस डाना वी। पंजाब राज्य, *[1959]* पूरक *(1)* एस. सी. आर. *274,* जे. सुब्बा राव ने अपनी असहमति में कहाः

"एक मौलिक अधिकार प्रकृति में दिव्य है और यह इसे नियंत्रित करता है।

विधायी और कार्यपालिका दोनों अधिनियम। अनुच्छेद *13* स्पष्ट रूप से

राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है जो छीन ले या

किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है और उस हद तक कानून घोषित करता है

अमान्य के रूप में उल्लंघन का। इसलिए कानून को सावधानी से काम लेना चाहिए।

यह पता लगाने के लिए जांच की जाती है कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

यह रूप नहीं बल्कि पदार्थ है जो मायने रखता है। यदि विधायिका
वास्तव में एक न्यायिक न्यायाधिकरण का गठन करता है, लेकिन इसे एक प्राधिकरण कहता है,

न्यायाधिकरण न्यायिक न्यायाधिकरण से कम नहीं बन जाता है। इसलिए,

सबसे पहले सामग्री की सटीकता का पता लगाना सही तरीका है।

और मौलिक अधिकार का दायरा और फिर इसकी जांच करना

यद्यपि रूप में नहीं है, उक्त अधिकार का उल्लंघन या कटौती की जाती है। अन्यथा मौलिक अधिकार खो जाएगा या हमारे देश में अनुचित रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा।

सामग्री के बहिष्करण के लिए प्रपत्र का पालन "।

(पी पर। *303)*

इसी तरह, हमदरद दवाखाना *(*वक्फ*)* लाल कुआँ, दिल्ली में

और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। , *[1960] 2* एस. सी. आर. *671,* यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" अतः वर्तमान मामले में *(1)* द्वारा प्रभावित विज्ञापन

अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्दों के भीतर नहीं आता है।

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*); (2)* अधिनियम का दायरा और उद्देश्य, यह सच है

भाषण का लेकिन यह व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है; और *(3)* कोई नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रत्यक्ष संक्षिप्तकरण और केवल एक आनुषंगिक आई. ओ. एन. एस. प्रौद्योगिकी लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस तरह के अधिकार के साथ हस्तक्षेप के चरित्र को नहीं बदलेगा

कानून; राम सिंह बनाम। दिल्ली राज्य *[(1951)* एससीआर *451-455];* एक्सप्रेस समाचार पत्र *(*निजी*)* लिमिटेड बनाम भारत संघ *[(1959)* एससीआर *12,*

123-133]

यह रूप या आकस्मिक उल्लंघन नहीं है जो निर्धारित करता है।

अधिकारों के संबंध में एक क़ानून की संवैधानिकता कला में गारंटी। *19 (1)* , लेकिन वास्तविकता और सार। अधिनियम

समग्र रूप से पढ़ना केवल संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित नहीं करता है। रोगों से जुड़ी दवाओं और दवाओं को स्पष्ट रूप से

एस में उल्लिखित है। *3* अधिनियम के लेकिन वे सभी विज्ञापनों को शामिल करते हैं

जो आपत्तिजनक या अनैतिक हैं और जिनका उपयोग स्वयं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है

इस तरह, यह किसी भी तत्व या विशेषताओं का चयन नहीं करता है बोलने की स्वतंत्रता कला के दायरे में आती है। *19 (1) ((क)* संविधान का।

(पीपी में। *690-691)*

इसी तरह, सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और ओआरएस में। वी. भारत संघ,

2] 3 एस. सी. आर. *842*, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए

व्यापक रूप से और संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं। निश्चित रूप से

अधिकारों को हमारे संविधान में मौलिक के रूप में स्थापित किया गया है

और, इसलिए, उनकी प्रकृति और सामग्री पर विचार करते हुए

अधिकार न्यायालय को भाषा की व्याख्या करने के लिए बहुत चतुर नहीं होना चाहिए

संविधान इतने शाब्दिक अर्थ में कि उन्हें नीचा दिखाता है। उस पर

दूसरी ओर न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए

जो नागरिक को उसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा।

इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होगा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने साथ प्रकाशन का अधिकार रखती है।

और अपने विचारों, विचारों और विचारों को पूरी तरह से प्रसारित करें।

स्वतंत्रता और प्रकाशन के किसी भी उपलब्ध साधन का सहारा लेकर, फिर से ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो वैध रूप से लगाए जा सकते हैं

अनुच्छेद *19* के खंड *(2)* के तहत। ..... द्वारकादास श्रीनिवास में वी. शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड *[(1954)* एससीआर *674]*

इस न्यायालय ने इंगित किया है कि संविधान का अर्थ यह है कि

राज्य के अधिनियम का सार और व्यावहारिक परिणाम कि इसके विशुद्ध रूप से कानूनी पहलू के बजाय विचार किया जाना चाहिए। द.

ऐसे मामलों में सही दृष्टिकोण यह पूछना होना चाहिए कि *[2019] 8* एस. सी. आर. में क्या है।

पदार्थ नागरिक को हुई हानि या चोट है न कि केवल

राज्य द्वारा किस तरीके और विधि को अपनाया गया है

प्रतिबंध "।

(पीपी में। 857-858)

अजय हसिया और अन्य में एक संविधान पीठ। वी. खालिद मुजीब

अवार्डी और ओआरएस। , *(1981) 1* एस. सी. सी. *722* ने यह भी कहाः

" 7. इस प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान रखना आवश्यक है।

कि "अन्य प्राधिकरण" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाला एक प्राधिकरण

अनुच्छेद में 'राज्य' की परिभाषा के भीतर इसे शामिल करने के कारण है

12 , सरकार के समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन

और पालन करने के लिए बुनियादी दायित्व से समान रूप से बाध्य है में निहित मौलिक अधिकारों का संवैधानिक अधिदेश

संविधान का भाग *III*। इसलिए हमें ऐसा देना चाहिए

मौलिक अधिकारों के संचालन और पहुंच को बाधित करना सरकार को इस संबंध में अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाना

मानव के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक बुनियादी बातें अधिकार दांव पर हैं, कार्यात्मक यथार्थवाद और चेहरे के सौंदर्य प्रसाधन नहीं

प्राकृतिक व्यक्तियों के साधन या एजेंसी के माध्यम से कार्य कर सकते हैं या यह न्यायिक व्यक्तियों के साधन या एजेंसी को नियुक्त कर सकता है

अपने कार्यों को पूरा करना। शुरुआती दिनों में जब सरकार

सीमित कार्य थे, यह प्राकृतिक माध्यम से प्रभावी ढंग से काम कर सकता था

इसके सिविल सेवा का गठन करने वाले व्यक्ति और वे पर्याप्त पाए गए पारंपरिक सरकारी कार्यों का निर्वहन करना

पुराना। लेकिन जैसे-जैसे सरकार के कार्य कई गुना बढ़ते गए

कल्याणकारी राज्य का आगमन, यह तेजी से महसूस किया जाने लगा कि

सिविल सेवा का ढांचा संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था नए कार्य जो अक्सर विशिष्ट और अत्यधिक तकनीकी होते थे

चरित्र और जिसमें दृष्टिकोण के लचीलेपन और त्वरितता की आवश्यकता होती है निर्णय लेना। निपटाने के लिए सिविल सेवा की अपर्याप्तता

इन नई समस्याओं का एहसास हुआ और यह आवश्यक हो गया संभालने के लिए एक नया उपकरण या प्रशासनिक उपकरण बनाना

ये नई समस्याएं। यह इन परिस्थितियों में और एक आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ था।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कि निगम सरकार की तीसरी शाखा के रूप में अस्तित्व में आया और वर्षों से इसका उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना और संचालन और अन्य सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए किया जा रहा है। ..... "

इसके अलावा, एम. सी. मेहता और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। राम-ओलियम गैस*), (1987) 1* एस. सी. सी. *395,* इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

"2. श्रीराम की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री दीवान ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि अदालत को इन संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि मूल रूप से रिट याचिका और इन मुद्दों में मुआवजे का कोई दावा नहीं किया गया था

यह नहीं कहा जा सकता कि यह रिट याचिका पर उत्पन्न हुआ है। श्री दीवान ने स्वीकार किया कि ओलियम गैस का पलायन रिट याचिका दायर करने के बाद हुआ था, लेकिन उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता था ताकि ओलियम गैस के पीड़ितों के लिए मुआवजे का दावा शामिल किया जा सके, लेकिन संशोधन के लिए ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था और इसलिए रिट याचिका पर ये संवैधानिक मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुए थे। हमें नहीं लगता कि श्री दीवान द्वारा उठाई गई यह प्रारंभिक आपत्ति है

टिकाऊ। यह निस्संदेह सत्य है कि याचिकाकर्ता रिट याचिका के संशोधन के लिए आवेदन कर सकता था ताकि मुआवजे के लिए दावा शामिल किया जा सके, लेकिन केवल इसलिए कि उसने ऐसा नहीं किया,

दिल्ली कानूनी सहायता द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन और

एडवाइस बोर्ड और दिल्ली बार एसोसिएशन को बाहर नहीं किया जा सकता है। मुआवजे के लिए ये आवेदन प्रवर्तन के लिए हैं

अनुच्छेद *21* में निहित जीवन का मौलिक अधिकार

संविधान और इस तरह के अनुप्रयोगों से निपटने के दौरान, हम एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं जो इसके उद्देश्यों को विफल कर देगा।

न्याय। इस न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मौलिक या अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, जो गरीबी या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण न्याय के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है, तो किसी भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति या सामाजिक कार्रवाई समूह के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मौलिक या अन्य कानूनी अधिकार की पुष्टि के लिए कार्रवाई करना खुला होगा और यह न केवल एक नियमित रिट दायर करके किया जा सकता है

याचिका लेकिन अदालत को एक पत्र संबोधित करके भी।

यदि यह न्यायालय *[2019] 8* एस. सी. आर.

है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने वाले पत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार, जो न्याय के लिए अदालत से संपर्क नहीं कर सकते हैं, मुआवजे के लिए इन आवेदनों का कोई कारण नहीं है जो प्रभावित व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किए गए हैं।

अनुच्छेद *21* के तहत ओलियम गैस रिसाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय सार को देखना चाहिए न कि रूप को। इसलिए हम द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को कायम नहीं रख सकते हैं।

मिस्टर दीवान "।

34. उक्त धारा में निहित विभिन्न पूर्व-अपेक्षाओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि धारा को संचालित कहा जा सके। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार को "संतुष्ट" होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि

कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच एकीकरण आवश्यक है। यह केवल तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार इसे "आवश्यक", यानी ऐसा करना आवश्यक समझती है।

इसके अलावा, यह केवल "जनहित" में किया जा सकता है *(*इस धारा में मूल रूप से "राष्ट्रीय हित" अभिव्यक्ति शामिल थी। *1960* के संशोधन अधिनियम *65* द्वारा, "राष्ट्रीय हित" को "लोक हित" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था*)*।

35. मूल धारा *396* से संबंधित खंडों पर टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं -

इस प्रकार हैः

"खंड *366*-यह एक नया प्रावधान है और इसका उद्देश्य सरकार के कहने पर राष्ट्रीय हित में दो या दो से अधिक कंपनियों के विलय का प्रावधान करना है। कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जहां राष्ट्रीय हित में इस तरह का एकीकरण स्पष्ट रूप से एक आवश्यकता है। ऐसे मामलों में मौजूदा अधिनियम द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन करने से लंबे समय तक देरी होगी जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश में पुराने शेयरधारकों और पुराने डिबेंचर धारकों और अन्य लेनदारों के लिए प्रावधान होना चाहिए, जिनका कंपनी में समान हित है।

समामेलन जैसा कि मूल कंपनियों में था। इस खंड के तहत सरकार द्वारा किया गया कोई भी आदेश संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा और इसलिए यह विषय होगा।

संसदीय जांच के लिए "।

खंडों पर टिप्पणियों से जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि राष्ट्रीय *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में समामेलन के मामले केवल "कभी-कभी" ही सामने आते हैं।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ब्याज "स्पष्ट रूप से एक आवश्यकता" है। यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा *396* का कारण यह है कि इसके द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन

ऐसे मामलों में मौजूदा अधिनियम *(*अर्थात्, धारा *391* से *394* में निहित*)* लंबे समय तक विलंब का कारण बनेगा, जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा। तथ्य यह है कि धारा *394* और *395* में निहित प्रक्रिया

धारा *396 (1)* में निहित अबाधित खंड में स्पष्ट किया गया है कि इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

36. धारा *396 (3), (3* ए*)* और *(4)* भी महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार द्वारा आदेश पारित करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त

इस धारा में कहा गया है कि समामेलन से पहले प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक सदस्य या लेनदार का समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी में उतना ही हित या अधिकार होगा जितना कि पूर्ववर्ती कंपनी में सदस्य या लेनदार के रूप में उसका था और यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसा सदस्य या लेनदार मुआवजे का हकदार होगा जिसका मूल्यांकन ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाना है जो निर्धारित किया जाए। इस तरह के निर्धारण के आदेश से, एक अपील उप-धारा *(3* ए*)* द्वारा प्रदान की जाती है। उप-अनुभाग में निहित अनिवार्य भाषा महत्वपूर्ण है।

(4) , जिसमें कहा गया है कि धारा के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उप-धारा *(3* ए*)* के तहत अपील करने का समय समाप्त नहीं हो गया है, या जहां ऐसी किसी अपील को प्राथमिकता दी गई है, अपील का अंत में निपटारा कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक उप-धारा *(3)* के तहत मुआवजे का आदेश पहले नहीं दिया जाता है, और उससे अपील या तो दायर नहीं की गई है या उसका निपटारा नहीं किया गया है, तब तक समामेलन का कोई आदेश लागू नहीं किया जा सकता है। बनाया गया। एक अन्य शर्त उदाहरण प्राकृतिक न्याय के लिए एक अंतर्निहित प्रावधान है, अर्थात्, एक प्रस्तावित मसौदा आदेश पहले प्रत्येक संबंधित कंपनी को भेजा गया है। कंपनियां तब सुझाव भेज सकती हैं।

या केंद्र सरकार के प्रति आपत्तियाँ, जिन पर केंद्र सरकार को अंतिम आदेश पारित करने से पहले विचार करना चाहिए। इस तरह की आपत्तियां और सुझाव किसी भी कंपनी के शेयरधारकों के किसी भी वर्ग या किसी भी कंपनी के किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से भी भेजे जा सकते हैं।

"जहाँ केंद्रीय सरकार संतुष्ट है "

37. कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *237 (*बी*)* में निहित समान भाषा के संबंध में, इस न्यायालय ने बेरियम केमिकल्स *(*उपरोक्त*)* में अलग-अलग राय दी कि धारा *237 (*बी*)* में निहित वाक्यांश "की राय में" का क्या अर्थ है। रोहतास इंडस्ट्रीज *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने हिदायतुल्ला, जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* और शेलत, जे. द्वारा निर्धारित परीक्षण को इस प्रकार अपनायाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"धारा *237 (*बी*) (*आई*)* और *(*आई*)* के तहत कार्रवाई करने से पहले,

केंद्र सरकार को यह राय बनानी होगी कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो यह सुझाव देती हैं कि कंपनी का व्यवसाय उसके लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से किया जा रहा है।

अन्य व्यक्ति, या अन्यथा किसी धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए या किसी सदस्य के लिए दमनकारी तरीके से या कि कंपनी का गठन किसी धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था या कि इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति इसके संबंध में धोखाधड़ी के दोषी रहे हैं,

कंपनी या उसके किसी भी सदस्य के प्रति कदाचार या अन्य कदाचार।

हमारे सामने रखे गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सरकार

विवादित आदेश पारित करने से पहले सामग्री पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि यह इस राय से उत्पीड़ित किया गया था कि यह श्री एस. पी. जैन के बारे में बनी थी। श्री अटार्नी द्वारा प्रस्तुत दलीलों से यह स्पष्ट है कि लेकिन अपीलार्थी-कंपनी के साथ श्री एस. पी. जैन के जुड़ाव के लिए,

विचाराधीन जाँच, सभी संभावनाओं में नहीं हुई होगी आदेश दिया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश को अप्रासंगिक बनाने में विचारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

धारा *235* से *237* के तहत शक्ति प्रदान की गई है

केंद्र सरकार इस विश्वास पर कि इसका प्रयोग उचित तरीके से किया जाएगा। केंद्र सरकार का विभाग जो कंपनियों से संबंधित है, उसे कंपनी कानून के मामलों में एक विशेषज्ञ निकाय माना जाता है। इसलिए, धारा *237 (*बी*)* के तहत निर्धारित मानक एक आम नागरिक के लिए आवश्यक मानक नहीं है, बल्कि एक विशेषज्ञ के लिए आवश्यक मानक है। विद्वान अधिवक्ता ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया कि यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसके समक्ष सामग्री पर कोई उचित प्राधिकारी विवादित आदेश पारित नहीं करता, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। बेरियम केमिकल्स एंड ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले से भी यह स्थिति स्पष्ट है। वी. कंपनी लॉ बोर्ड और ए. एन. आर. *[(1966)* पूरक एससीआर *311]*।

(पी पर। *119)*

XXX XXX IOONS TECHNOLOGIES LTD. (वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बेरियम केमिकल्स मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें धारा *237 (*बी*)* के दायरे पर विचार किया गया है, उस कठिनाई को दर्शाता है। उस मामले में हिदायतुल्ला, जे. *(*हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश*)* और शेलत, जे. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हालांकि धारा के तहत शक्ति

237 (ख*)* एक विवेकाधीन शक्ति है, इसके प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता एक राय का ईमानदार गठन है कि जांच है

आवश्यक और आगे की आवश्यकता यह है कि धारा में निर्धारित निष्कर्ष का "सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ हैं"; गणना किए गए प्रकार के निष्कर्ष का सुझाव देने वाली परिस्थितियों पर आधारित कोई कार्रवाई मान्य नहीं होगी; राय का गठन व्यक्तिपरक है लेकिन कार्रवाई के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में निष्कर्ष से संबंधित परिस्थितियों का अस्तित्व कम से कम प्रथम दृष्टया साबित होना चाहिए; यह दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे परिस्थितियाँ मौजूद हैं और वे क्या हैं, इसका कोई सुराग नहीं देते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ निश्चितता के निष्कर्ष निकल सकें; निष्कर्ष धोखाधड़ी, एक धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य, धोखाधड़ी या कदाचार के इरादे से संबंधित होने चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका मानना था कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा राय का गठन एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक प्रक्रिया है और इस तरह की राय को औचित्य, तर्कसंगतता या पर्याप्तता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, फिर भी संबंधित प्राधिकारी को परिस्थितियों से ऐसी राय पर पहुंचने की आवश्यकता है जो सुझाव देती है कि

धारा *237 (*बी*)* के उपखंड *(i), (ii)* और *(iii)* में निर्धारित निष्कर्ष और "सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ" अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकती है।

यह निर्माण कि परिस्थितियों का अस्तित्व भी व्यक्तिपरक राय का विषय है। शेलट, जे. ने आगे कहा कि यह है

यह विचार करना कठिन है कि विधानमंडल राय के गठन और व्यक्तिपरक प्रक्रिया दोनों पर छोड़ सकता था

उन परिस्थितियों का अस्तित्व जिन पर इसे स्थापित किया जाना है; यह कहना भी उचित नहीं है कि खंड ने प्राधिकरण को यह कहने की अनुमति दी है कि उसने उन परिस्थितियों पर राय बनाई है जो उसकी राय में मौजूद हैं और जो उसकी राय में धोखाधड़ी करने के इरादे या धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य का सुझाव देती हैं। दूसरी ओर सरकार, सी. जे. और जे. मुधोलकर ने कहा कि धारा *237 (*बी*)* के तहत केंद्र सरकार को प्रदान की गई शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है और उस शक्ति का कोई भी पहलू *[2019] 8* एस. सी. आर. के लिए खुला नहीं है।

न्यायिक समीक्षा। हमारे भाई जे. बचावत, उस पीठ के दूसरे विद्वान न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं की। इन परिस्थितियों में यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है।

धारा *237 (*बी*)* की आवश्यकताओं को हल करना और यह देखना कि बेरियम केमिकल्स में दो विरोधाभासी निष्कर्षों में से कौन सा निकला

मामला हमारे निर्णय में है, कानून के अनुसार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धारा *237 (*बी*)* का विश्लेषण करने के लिए हमें विचाराधीन प्रश्न पर बार में उद्धृत कुछ निर्णयों का उल्लेख करना चाहिए।

(पीपी में। *120-121)*

"धारा *237 (*बी*)* पर वापस आते हुए, इसके वास्तविक दायरे का पता लगाने के लिए हम यह ध्यान रखना होगा कि वह धारा पहले निर्दिष्ट योजना का एक हिस्सा है और इसलिए उक्त प्रावधान धारा *235* और *236* से अपना रंग लेता है। विधायी उद्देश्य का पता लगाने में हम

उन अनुभागों की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। धारा *237 (*बी*)* की व्याख्या करते हुए हम कंपनी पर जांच के प्रतिकूल प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंत में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विचाराधीन धारा कंपनी की अपने व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने की शक्तियों पर एक अतिक्रमण है और इस तरह एक उल्लंघन है।

इसके तहत अपने शेयरधारकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* और इसकी वैधता को तब तक बरकरार नहीं रखा जा सकता जब तक कि यह नहीं माना जाता है कि विचाराधीन शक्ति एक उचित प्रतिबंध है।

आम जनता के हित में। वास्तव में उस प्रावधान के अधिकारों को पीठ का गठन करने वाले अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा बरकरार रखा गया था।

बेरियम केमिकल्स का मामला मुख्य रूप से इस आधार पर है कि केंद्र सरकार को दी गई शक्ति मनमाना शक्ति नहीं है

और इसका प्रयोग कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। पहले बताए गए कारणों के लिए हम हिदायतुल्ला, जे. और शेलत, जे. द्वारा किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं। बेरियम केमिकल्स के मामले में कि उन परिस्थितियों का अस्तित्व जो यह दर्शाती हैं कि कंपनी का व्यवसाय उपखंड *(1)* में निर्धारित किए गए अनुसार किया जा रहा था या उपखंड *(2)* में उल्लिखित व्यक्ति धोखाधड़ी या कदाचार या अन्य कदाचार के दोषी थे

कंपनी या उसके किसी भी सदस्य के प्रति सरकार के लिए आवश्यक राय बनाने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है और यदि उन शर्तों के अस्तित्व को चुनौती दी जाती है, तो अदालतों को यह जांचने का अधिकार है कि क्या वे परिस्थितियां तब मौजूद थीं जब आदेश *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बनाया गया। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों का अस्तित्व
प्रश्न न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं हालांकि राय द्वारा बनाई गई है

सरकार अदालतों द्वारा समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि आयोजित किया गया है

इस मामले में पहले आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं।

(पीपी में। *128-129)*

38. पश्चिमी यू. पी. में इलेक्ट्रिक पावर एंड सप्लाई कंपनी। लिमिटेड वी.

उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। *, (1969) 1* एस. सी. सी. *817,* इस न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जहां भारतीय विद्युत अधिनियम, *1910* को *1961* के यू. पी. अधिनियम *30* द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा धारा *3 (2) (*ई*) (ii)* में प्रावधान किया गया था कि अनुदान किसी लाइसेंस का

होना, किसी भी तरह से, राज्य सरकार या राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उसी क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा या प्रतिबंध नहीं लगाएगा जहां राज्य सरकार ऐसी आपूर्ति को "जनहित में आवश्यक" समझती है। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार इस बात की एकमात्र न्यायाधीश है कि ऊर्जा की प्रत्यक्ष आपूर्ति जनहित में थी या नहीं, शक्ति की प्रकृति व्यक्तिपरक है। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को विक्षिप्त करते हुए कहाः

"11. हम इस विचार से सहमत नहीं हो सकते। धारा *3 (2) (ई)* द्वारा *1961* के यू. पी. अधिनियम *30* द्वारा संशोधित, सरकार अधिकृत है

अनुज्ञप्तिधारक के क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति करना

कुछ शर्तेंः शक्ति का प्रयोग इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है
सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है

आपूर्ति करें। यदि चुनौती दी जाती है, तो सरकार को यह दिखाना चाहिए कि

लोक हित में शक्ति की आवश्यकता थी। न्यायालय इस प्रकार है

सरकार की संतुष्टि पर अपील करने का इरादा नहीं है।

यदि प्रथम दृष्टया ऐसा साक्ष्य है जिस पर एक उचित निकाय

व्यक्ति यह मान सकते हैं कि ऊर्जा की आपूर्ति करना सार्वजनिक हित में है

पूरा हुआ। आम तौर पर विद्युत ऊर्जा का एक लाइसेंसधारी, हालांकि उसके पास है
कोई एकाधिकार नहीं है, वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा होगी

आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर वितरित किया जाना चाहिए, क्योंकि लाइसेंसधारी को

विद्युत आपूर्ति-ऊर्जा संचरण के लिए लाइनें बिछाना और
अपनी स्थापना बनाए रखें। उस अधिकार में एक इनरोड बनाया जा सकता है

ऐसी शर्तें जो वैधानिक रूप से निर्धारित की गई हों। हमारे निर्णय में,
सरकार की संतुष्टि कि आपूर्ति आवश्यक है

लोक हित उचित मामलों में है जो न्यायिक से बाहर नहीं हैं

समीक्षा। *"[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. इन फैसलों के बाद, इस न्यायालय ने

बेरियम केमिकल्स *(ऊपर)* और रोहतास इंडस्ट्रीज *(ऊपर),*

रामपुर में प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के रूप में परीक्षण

लिलेरी कं. लिमिटेड बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड, *[1970] 2* एससीआर *177* के रूप में

बनाम ○:

"धारा की योजना का तात्पर्य जांच और निर्णय से है।

उसमें उल्लिखित मामलों पर। धारा *326* उप-धारा *(1) (ए)* द्वारा शर्तें निर्धारित करती है जिसमें केंद्र सरकार

शेयरधारकों के सामान्य निकाय के संकल्प को ओवरराइड करें

कुछ निर्दिष्ट शर्तें। केंद्र सरकार पर है

नियुक्ति के लिए अनुमोदन नहीं देने का कर्तव्य अधिरोपित किया या फिर से खंडों के आलोक में एक प्रस्तावित प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति

(उप-धारा *(2)* के क*), (ख)* और *(ग)*। यद्यपि उप-धारा को नकारात्मक रूप में अधिनियमित किया गया है, लेकिन सार में यह इस पर शक्ति प्रदान करता है - खंड *(ए), (*बी*)* और *(*सी*)* द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन सरकार अनुमोदन देने से इनकार करती है। उप-धारा *(2)* केंद्र सरकार पर अनुमोदन न देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है -

जब तक सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं होती कि प्रबंध अभिकर्ता नियुक्त किए जाने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है, तब तक की शर्तें - प्रबन्धन अभिकरण समझौता निष्पक्ष और उचित है और प्रबन्धन अभिकर्ता ने उन शर्तों को पूरा किया है जो केंद्रीय

सरकार ने उसे पूरा करने की मांग की। इस प्रकार केंद्रीय

सरकार को अस्तित्व का अंतिम मध्यस्थ नहीं बनाया गया है

जिन आधारों पर संतुष्टि की नींव रखी जा सकती है। सरकार की संतुष्टि जो निर्धारक है, कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों के अस्तित्व के बारे में संतुष्टि है। संतुष्टि के बारे में पाठ

यह दर्शाकर विस्थापित किया जा सकता है कि परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं, या कानून में ठीक से पारंगत व्यक्तियों का कोई उचित निकाय ऐसा नहीं कर सकता था वे उस निर्णय पर पहुँच गए हैं जो उन्होंने किया था।

तथापि, न्यायालय पर्याप्तता से संबंधित नहीं हैं -

जिन आधारों पर संतुष्टि प्राप्त की जाती है। क्या प्रासंगिक है

क्या अस्तित्व के बारे में केंद्र सरकार की संतुष्टि है धारा *326* की उप-धारा *(2)* के खंड *(ए), (*बी*)* और *(*सी*)* में शर्तों की। अतः न्यायालय के समक्ष जाँच यह है कि क्या

केंद्र सरकार के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट थी

शर्तें। संतुष्टि के अस्तित्व को शायद इस आधार के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है कि प्राधिकरण ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया।

आयन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

स्थितियों की प्रकृति को गलत तरीके से समझा, या आगे बढ़े अप्रासंगिक सामग्री, या प्रासंगिक सामग्री की उपेक्षा करता है, अधिकार क्षेत्र

संतुष्टि की जांच करने के लिए न्यायालयों को बाहर नहीं रखा गया है। .....

(पी पर। *183)*

एम. ए. रशीद और अन्य में। वी. केरल राज्य, *[1975] 2* एससीआर

रोहतास इंडस्ट्रीज *(*ऊपर*)* के बाद, न्यायिक समीक्षा के लिए परीक्षा

मंत्रालयी निर्णयों को रे, सी. जे. द्वारा सबसे अधिक सम्मानपूर्वक बताया गया।

"शक्तियों के प्रयोग में प्रशासनिक निर्णय भले ही प्रदान किए गए हों व्यक्तिपरक शब्दों में प्रासंगिक पर अच्छे विश्वास में बनाया जाना चाहिए

विचार करें। अदालतें पूछती हैं कि क्या एक समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

स्वयं को गलत तरीके से निर्देशित किए बिना प्रश्नगत निर्णय पर आ गए हैं

कानून या भौतिक संदर्भ में तथ्यों पर। का मानक

तर्कसंगतता जिसके लिए प्रशासनिक निकाय की आवश्यकता है अदालतों की अपनी राय के अनुरूप क्या हो सकता है

एक उचित निकाय के पास क्या हो सकता है, इसकी कसौटी के लिए उचित तय किया। अदालतें यह पता लगाएंगी कि क्या शर्तें पूर्ववर्ती हैं

राय के गठन का एक तथ्यात्मक आधार होता है।

(पी पर। *99)*

खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, *(1975) 2* एससीसी *81,*

न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए पूरी तरह से मानदंड निर्धारित किए

निवारक निरोध में हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी की संतोषजनक संतुष्टि

इस न्यायालय ने कहाः

"*9.* लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिपरक संतुष्टि हिरासत में लेने का अधिकार न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त है।

न्यायालयों ने न्यायिक निर्णयों द्वारा एक सीमित क्षेत्र बनाया है। हालांकि यह हो सकता है, जिसके भीतर व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता

अभी तक न्यायिक जांच के अधीन किया जा सकता है। पर मूल अभिधारणा

यह नहीं है, शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थिति पूरा नहीं होगा और शक्ति का प्रयोग होगा

बुरा। *[2019] 8* एस. सी. आर. के लिए न्यायिक निर्णयों द्वारा कई आधार विकसित किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कहते हुए कि कानून के तहत प्राधिकरण द्वारा कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं प्राप्त की जाती है। सबसे सरल मामला यह है कि क्या प्राधिकरण ने अपने दिमाग को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है; ऐसे मामले में प्राधिकरण संभवतः इस तथ्य के संबंध में संतुष्ट नहीं हो सका

जिसे संतुष्ट करना आवश्यक है। सम्राट वी। शिवनाथ बनर्जी *[*ए. आई. आर. *1943* एफ. सी. *75: 1944* एफसीआर *1: 45* सी. आर. आई. एल. जे. *341]* एक उदाहरण है। तब ऐसा मामला हो सकता है जहाँ शक्ति का प्रयोग बेईमानी से या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाता हैः ऐसा मामला प्राधिकरण की ओर से संतुष्टि के अस्तित्व को भी नकारात्मक बना देगा। "अनुचित उद्देश्य" के अस्तित्व, यानी एक ऐसा उद्देश्य जिस पर क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया है, को कई निश्चित मामलों में नियंत्रण के एक स्वतंत्र आधार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, संतुष्टि स्वयं प्राधिकरण की संतुष्टि होनी चाहिए, और इसलिए, यदि, शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने दूसरे के आदेश के तहत काम किया है।

राष्ट्रीय सेवा *[(1946) 2* सभी ई. आर. *201]* शक्ति का प्रयोग खराब होगा और इसी तरह शक्ति का प्रयोग भी दूषित हो जाएगा जहां प्राधिकरण ने नीति के स्व-निर्मित नियमों या किसी अन्य तरीके से प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाने से खुद को अक्षम कर लिया है। कहा गया कि संतुष्टि प्राधिकरण द्वारा पहुँचा जाना भी बुरा होगा जहाँ यह एक गलत परीक्षण के आवेदन या एक क़ानून के गलत निर्माण पर आधारित है। जहां ऐसा होता है, प्राधिकरण की संतुष्टि उस बात के संबंध में नहीं होगी जिसके संबंध में उसे संतुष्ट किया जाना आवश्यक है।

फिर, संतुष्टि को "उन सामग्रियों पर आधारित होना चाहिए जो तर्कसंगत रूप से संभावित मूल्य की हैं"। मछिंदर बनाम। राजा *[*ए. आई. आर. *1950* एफ. सी. *129: 51* क्रि एल. जे. *1480: 1949* एफसीआर *827]*। जिन आधारों पर संतुष्टि आधारित है, वे ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक तर्कसंगत व्यक्ति इस तथ्य से जुड़े होने पर विचार कर सके जिसके संबंध में

संतुष्टि मिलनी चाहिए। वे जांच के विषय के लिए प्रासंगिक होने चाहिए और क़ानून के दायरे और उद्देश्य के लिए बाहरी नहीं होने चाहिए। यदि प्राधिकरण ने ध्यान में रखा है, तो यह एक प्रासंगिक कारक के रूप में सर्वोत्तम इरादे के साथ भी हो सकता है।

कुछ ऐसा जिसे यह तय करने में ठीक से ध्यान में नहीं रखा जा सकता था कि आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शक्ति या तरीके या विस्तार का प्रयोग करना है या नहीं।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए, शक्ति का प्रयोग बुरा होगा। प्रताप सिंह बनाम। पंजाब राज्य *[*ए. आई. आर *1964* एस. सी. *72: (1964) 4* एस. सी. आर. *733]* यदि कानून में स्पष्ट रूप से या निहितार्थ वाले मामले पाए जाते हैं जिन्हें प्राधिकरण को ध्यान में रखना चाहिए, तो, शक्ति का प्रयोग करते समय, प्राधिकरण को उन मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। प्राधिकरण को उन मामलों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है।

टाटा सेल्युलर *v.* भारत संघ *(1994) 6* एस. सी. सी. *651,* नवीनतम अंग्रेजी निर्णयों की एक उत्तेजक समीक्षा के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 77. न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को इस प्रश्न तक सीमित रखना है कि

वैधानिकता। इसकी चिंता इस प्रकार होनी चाहिए:

1. क्या कोई निर्णय लेने वाला प्राधिकारी अपनी शक्तियों को पार कर गया है*?*

2. कानून की गलती की,

3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

4. एक निर्णय पर पहुंचे जो किसी भी उचित न्यायाधिकरण के पास नहीं होगा

पहुँच गया या,

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा मामले-दर-मामले अलग-अलग होगी। संक्षेप में कहें तो जिन आधारों पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है

((i) अवैधता: इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को ठीक से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। *((ii)* अतार्किकता, अर्थात् वेड्सबरी अतार्किकता।

((iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

समय के साथ और आधार जोड़ना। वास्तव में, आर. वी. में गृह विभाग के राज्य सचिव, पूर्व ब्रिंड *[(1991) 1* एसी *696],* लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक *[2019] 8* एस. सी. आर. का उल्लेख करते हैं।

विकास, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में स्वीकार की जाने वाली कसौटी यह है कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कुछ गलत हुआ है।

प्रकृति और डिग्री जिसके लिए इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

40. भीखुभाई विट्ठलभाई पटेल बनाम। गुजरात राज्य, *(2008)*

सी. *144,* इस न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय में, गुजरात नगर योजना और शहरी विकास अधिनियम, *1976* की धारा *17* के भाग में बेरियम केमिकल्स *(*उपर्युक्त*)* सहित कई निर्णयों का उल्लेख किया और उनका पालन किया, जिसके द्वारा, यदि राज्य सरकार की राय है कि विकास योजना के मसौदे में विरोधी संशोधन आवश्यक हैं, तो यहइस तरह के संशोधनों को प्रकाशित करें। इस न्यायालय ने कहाः

" 20. राज्य सरकार को संशोधनों को प्रकाशित करने का अधिकार है बशर्ते उसकी राय हो कि मसौदे में पर्याप्त संशोधन किए गए हैं। विकास योजनाएँ आवश्यक हैं। यह अभिव्यक्ति "राय की है" कि विकास योजना के मसौदे में पर्याप्त संशोधन आवश्यक हैं "महत्वपूर्ण महत्व की है। क्या अभिलेख पर कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिसने राज्य सरकार को अपनी राय बनाने में सक्षम बनाया कि विकास योजना के मसौदे में पर्याप्त संशोधन आवश्यक थे? विकास योजना के मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधन करने का राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है -

अपनी राय का गठन कि विकास योजना के मसौदे में इस तरह के महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक हैं। राज्य सरकार

ऐसी कोई राय बनाए बिना सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित करने वाले नोटिस के साथ आवश्यक माने जाने वाले संशोधनों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जिस दिन संबंधित मंत्री ने शैक्षिक उपयोग के लिए भूमि को नामित करने का निर्णय लिया था, उस दिन रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री इस प्रकार थीः

(क*)* मुख्य नगर योजनाकार की राय;

(बी*)* पिछले मुकदमे की पूरी पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया *23-4-2004* का नोट इस सुझाव के साथ कि भूमि को अब दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए और भूमि को आरक्षण से मुक्त करने के बाद, इसे नीचे रखा जाना चाहिए।

आवासीय क्षेत्र।

21. यह सच है कि राज्य सरकार इस तरह की राय से बाध्य नहीं है और इस मामले में अपना निर्णय लेने का हकदार है बशर्ते कि यह राय बनाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री उपलब्ध हो कि सारवान आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*)* *v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विकास योजना के मसौदे में संशोधन आवश्यक थे।

राय का गठन मसौदे में पर्याप्त संशोधनों का प्रस्ताव करने वाले कानून को लागू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

विकास योजना।

22. गठित की जाने वाली सरकार की कोई भी राय वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अधीन नहीं है। भाषा उन आधारों की पर्याप्तता के बारे में न्यायिक परीक्षा की प्रासंगिकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है जिन पर सरकार ने अपनी राय बनाने में काम किया। लेकिन ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर राज्य सरकार अपनी राय बना सकती है कि विकास योजना के मसौदे में पर्याप्त संशोधन करना आवश्यक हो गया है। *23.* परंतुक के साथ पठित धारा *17 (1) (ए) (ii)* द्वारा प्रदत्त शक्ति एक सशर्त शक्ति है। यह राज्य सरकार के विवेक से प्रयोग की जाने वाली पूर्ण शक्ति नहीं है। शर्त यह है कि

व्यक्तिपरक राय का गठन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मसौदे में पर्याप्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था

24. यह परंतुक इन शब्दों के साथ शुरू होता है "जहां राज्य सरकार की राय है कि विकास योजना और विनियमों के मसौदे में पर्याप्त संशोधन आवश्यक हैं"। ये शब्द व्यक्तिपरक संतुष्टि का संकेत देते हैं लेकिन वहाँ परंतुक में बताई गई परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए जो राय के गठन के लिए पूर्ववर्ती स्थितियाँ हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली राय काल्पनिक आधारों, इच्छाधारी सोच पर नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी प्रशंसनीय क्यों न हो। ऐसा कोर्स है

कानून में अस्वीकार्य। राय का गठन, हालांकि

व्यक्तिपरक, इस बात का खुलासा करने वाली सामग्री पर आधारित होना चाहिए कि मसौदे में पर्याप्त संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी

विकास योजना।

विकास योजना के मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधन। द. अभिव्यक्तिः "जैसा कि आवश्यक माना जाता है "फिर से महत्वपूर्ण है

महत्व। "विचार" शब्द का अर्थ है विचार करना; इसका अर्थ है

कि मन का सक्रिय अनुप्रयोग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में,

"विचार" शब्द सभी प्रासंगिक बातों पर विचार करने का अभिधारणा देता है।

सुझाव है कि राज्य सरकार संशोधनों को प्रकाशित कर सकती है केवल इस बात पर विचार करने के बाद कि इस तरह के संशोधन हो गए हैं

आवश्यक है। "आवश्यक" शब्द का अर्थ है अपरिहार्य, आवश्यक,

अपरिहार्य, अन्यथा होना असंभव, टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य है। "आवश्यक" शब्द का अर्थ इसमें लिया जाना चाहिए -

कनेक्शन जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। *(* एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन देखें,

सामग्री के संदर्भ में मन के गहन अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करें अभिलेख पर उपलब्ध है कि प्रस्ताव देना आवश्यक हो गया था

विकास योजना के मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधन।

99

41. हालांकि, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

, एम. झांगिर भटुशा और ओआरएस पर भरोसा किया। वी. भारत संघ ओआरएस। , *1989* उदाहरण के लिए *(2)* एस. सी. सी. *201,* विशेष रूप से, पृष्ठ *208* का परिच्छेद।

एच इस प्रकार पढ़ता हैः

धारा के तहत संसद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के रूप में संतुष्ट *25 (2)* , कि जनहित में विशेष बनाना आवश्यक है

छूट के आदेश। इसने उन कारणों को निर्धारित किया है जिन्होंने इसे प्रेरित किया

उन अधिसूचनाओं को अप्रासंगिक या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उनकी पर्याप्तता पर निर्णय दे

कारणों से। मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ जहाँ संतुष्टि कार्यकारी प्राधिकारी को सौंपी गई है

आदेश पारित करने की आवश्यकता का न्याय करना अच्छी तरह से परिभाषित है और है

इसे लंबे समय से स्वीकार किया गया है। *"63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ये टिप्पणियां इस तर्क के संदर्भ में की गई थीं कि राज्य व्यापार को विभेदक व्यवहार दिया गया था।

निगम बनाम निजी आयातकों के लिए कि राज्य व्यापार निगम के लिए सीमा शुल्क को अधिसूचना द्वारा कम कर दिया गया था

42. इस प्रकार, कम से कम, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की संतुष्टि में उल्लिखित पूर्ववर्ती शर्तों के बारे में होनी चाहिए धारा जैसा कि कानून में सही ढंग से समझा गया है, और उन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि

जब केंद्र सरकार का आदेश दिया जाता है तो पूर्ववर्ती स्थितियां मौजूद होती हैं। ऐसे तथ्य होने चाहिए जिन पर व्यक्तियों का एक उचित निकाय हो।

कानून में ठीक से निर्देश दिए जाने पर यह माना जा सकता है कि दो या दो से अधिक कंपनियों का विलय सार्वजनिक हित में आवश्यक है। संतुष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है अप्रासंगिक या काल्पनिक आधारों पर होना, क्योंकि यह शक्ति के प्रयोग को दूषित कर देगा।

"आवश्यक "

43. पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन *(*चौथा संस्करण*)* में *"*आवश्यक*"* अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"जरूरी है। अनिवार्य रूप से आवश्यक; उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्णः जो किसी वस्तु के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(10* वीं संस्करण*)* *"*आवश्यक*"* को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

" आवश्यक, ए. जी. *(14(*ग*) 1.* किसी चीज़ के सार या आंतरिक प्रकृति का, उससे संबंधित, या शामिल करना। *2.* सबसे महत्वपूर्ण; बुनियादी और आवश्यक। *3.* वास्तविक अस्तित्व होना; वास्तविक। "

44. जे. जयललीता बनाम भारत संघ, *(1999) 5* एस. सी. सी. *138,* इस न्यायालय ने इस तर्क पर विचार किया कि इसमें कोई दिशानिर्देश निहित नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* की धारा *3 (1)* जब धारा *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार को *"*आवश्यकतानुसार*"* अधिक से अधिक विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। यह कहा गया था कि इस शब्द का एक सटीक अर्थ है और इसका अर्थ है *"*जो अपरिहार्य, आवश्यक या आवश्यक है*" [*पैराग्राफ *14* देखें*]*। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के दिमाग को इस बात पर लागू करना होगा कि क्या धारा *396* के तहत एक अनिवार्य समामेलन अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जो उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्ण है, और क्या ऐसा समामेलन बुनियादी और आवश्यक दोनों है।

"सार्वजनिक रुचि "

45. धारा *396* की तीसरी पूर्व-आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार को दो धाराओं का अनिवार्य रूप से विलय करते समय अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए।

46. यह मणिमेगलाई *v* में प्रतिध्वनित होता है। विशेष तहसीलदार *(*भूमि अधिग्रहण अधिकारी*)* आदि द्रविड़ कल्याण, *(2018) 13* एस. सी. सी. *491* निम्नलिखित हैः

"14. इसी तरह, सार्वजनिक उद्देश्य सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक मामले पर उस उद्देश्य के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए अधिग्रहण की मांग की गई है। यह व्यक्ति के विशेष हित के विपरीत समुदाय के सामान्य हित की सेवा करने के लिए है। व्यापक रूप से सार्वजनिक उद्देश्य में वह उद्देश्य शामिल होगा जिसमें व्यक्ति के विशेष हित के विपरीत समाज का सामान्य हित प्रत्यक्ष और

महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। आम तौर पर, कार्यपालिका यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश होगा कि विवादित उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य है या नहीं।

फिर भी यह न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है। समाज के किसी वर्ग का हित सार्वजनिक उद्देश्य हो सकता है जब वह

अधिग्रहण से लाभान्वित। विचाराधीन अधिग्रहण से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह लोगों के कल्याण के लिए था, न कि
किसी निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ पहुँचाना जो आई. ओ. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में शामिल हुए।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सामूहिक रूप से। इसलिए, किसी भी चीज के लिए अधिग्रहण जो एक के लिए नहीं है सार्वजनिक उद्देश्य अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया*)*

47. रामेश्वर में मोटर वाहन अधिनियम, *1939* के संदर्भ में

विज्ञापन और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। *, (1983) 2* एस. सी. सी. *195,* यह

आयोजितः

" 19. ..... आखिरकार धारा *43*-ए *(1)* क्या कहती है*?* इसमें कहा गया है

कि राज्य सरकार एक सामान्य के ऐसे निर्देश जारी कर सकती है

किसी मार्ग पर या किसी भी क्षेत्र में जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या यात्रा करने वाली जनता की जरूरतों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए,

पर्याप्त संख्या में स्टेज कैरिज सेवाओं की अनुपलब्धता

अन्य मार्गों या क्षेत्रों में जिन्हें चलाने की आवश्यकता हो सकती है

अतिरिक्त सेवाएं, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, उपलब्धता

ईंधन, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं किसी भी मार्ग या क्षेत्र में संचालित बड़ी संख्या में मोटर वाहन,

मार्गों पर सड़कों और पुलों की स्थिति, गैर-आर्थिक संचालन छोटे परिचालकों के उन्मूलन के लिए स्टेज कैरिज सेवाओं का निर्माण

अधिनियम के तहत लोक हित का मतलब जनता का हित नहीं है। संचालक या केवल यात्री। हमें यह ध्यान रखना होगा कि

हर दूसरी आर्थिक गतिविधि की तरह स्टेज कैरिज चलाना

सेवा एक ऐसी गतिविधि है जिसमें दुर्लभ या सीमित उपयोग शामिल है।

उत्पादक संसाधन। मोटर परिवहन में एक बड़ी पूंजी शामिल होती है।

मोटर वाहनों पर निवेश, सक्षम चालकों का प्रशिक्षण और यांत्रिकी, कार्यशालाओं की स्थापना, सुरक्षित सड़कों का निर्माण

और पुलों, पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती

कानून और व्यवस्था और कई अन्य मामलों को बनाए रखें। कहने के लिए कि किसी भी मार्ग या क्षेत्र में स्टेज कैरिज की संख्या अधिक

यह जनता के सदस्यों के लिए सुविधाजनक होगा

प्रभावित करने वाले असंख्य पहलुओं के साथ एक समस्या का अति सरलीकरण आम जनता। यदि हम अधिनियम *[2019] 8* एस. सी. आर. के विभिन्न प्रावधानों से गुजरते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके द्वारा विभिन्न पर कितना ध्यान दिया जाता है

जनहित को प्रभावित करने वाले मामले। संबंधित प्रावधान हैं - चालकों को उनकी क्षमता के आधार पर लाइसेंस देना,

चालक, विशिष्टताएँ जिनके लिए मोटर वाहनों को जाना चाहिए

सड़क और रेल परिवहन का समन्वय, रोकथाम

निर्धारित समय सारिणी के साथ मोटर वाहनों द्वारा अनुपालन, आवश्यक सुविधाओं और रखरखाव के साथ बस अड्डों का निर्माण

वाहनों में आराम और स्वच्छता के मानकों का, अंतर-राज्यीय पर्यटक यातायात का विकास और कई अन्य मामले

पर्याप्त और कुशल परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

देश के सभी हिस्सों में सुविधाएं। द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश इसलिए अधिनियम की धारा *43*-ए के तहत राज्य सरकार को,

उन सभी मामलों के अनुरूप होना जिनके बारे में क़ानून है

प्रावधान किया। इस स्थिति में यह कहने के लिए कि किसी भी संख्या में परमिट किसी भी पात्र प्रचालक को बिना किसी ऊपरी सीमा के जारी किया जा सकता है

मोटर जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि का उपहास परिवहन "।

(जोर दिया गया*)*

48. जनता दल बनाम। एच. एस. चौधरी और अन्य। , *(1992) 4* एससीसी

इस न्यायालय ने स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश को संदर्भित किया, जो परिभाषित करता है

आई. सी. ब्याज इस प्रकार हैः

" 51. स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी, वॉल्यूम। *IV (*चौथा संस्करण*)* 'सार्वजनिक

ब्याज 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

इसका मतलब यह नहीं है कि जो संतोषजनक जिज्ञासा के रूप में दिलचस्प है
या जानकारी या मनोरंजन का प्यार; लेकिन वह जिसमें एक

ब्याज जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियाँ प्रभावित होती हैं।
(प्रति कैम्बेल सी. जे., आर. वी. में। बेडफोर्डशायर *[24* एलजे क्यूबी *84])*।

52. ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(*छठा संस्करण*)* में, 'जनहित' है निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया हैः

आयन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" जनहित कुछ ऐसा जिसमें जनता,

बड़े पैमाने पर समुदाय का कुछ आर्थिक हित या कुछ हित होता है जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती हैं। इसका मतलब केवल जिज्ञासा या विशेष इलाकों के हितों के रूप में इतना संकीर्ण कुछ भी नहीं है, जो विचाराधीन मामलों से प्रभावित हो सकता है। आम तौर पर नागरिकों द्वारा साझा किया गया ब्याज

स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार के मामले।

49. अहमदाबाद शहर के नगर निगम और

वी. जान मोहम्मद। उस्मानभाई और अन्र। , *(1986) 3* एस. सी. सी. *20,* यह न्यायालय *I* कि "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, एल. एस., समुदाय के आर्थिक कल्याण और उल्लिखित उद्देश्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद *IV [*पैराग्राफ *19* देखें*]*।

50. इसी तरह, बी. पी. शर्मा बनाम. भारत संघ और ओआरएस। , *(2003)*

सी*309,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

*" 15. .... "*आम जनता के हित में" वाक्यांश पर कई फैसलों में विचार किया गया है और यह माना गया है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे इसके दायरे में आएगा।

और नैतिकता *(*महाराष्ट्र राज्य बनाम। हिम्मतभाई

नरभेराम राव *[*ए. आई. आर *1970* एस. सी. *1157: (1969) 2* एस. सी. आर. *392),* आर्थिक स्थिरता *(*असम राज्य बनाम। श्रीस्तिकार दोवेराह *(*ए. आई. आर. *1957* एस. सी. *414),* देश की स्थिरता, उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण *(*भारत संघ बनाम. भानामल गुलजारीमल लिमिटेड. *[*ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *475: 1960 Cri LJ 664])* के लिए

सार्वजनिक जीवन में शुद्धता बनाए रखना, धोखाधड़ी की रोकथाम और इसी तरह के विचार। .....

51. घर के करीब आते हुए, हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉइज यूनियन नंदुस्तान लीवर लिमिटेड और ओआरएस। , *1995* सपं. *(1)* एस. सी. सी. *499,* सहाय, जे., निर्णय पर, की धारा *394* में "जनहित" का उल्लेख किया गया है।

कम्पनी अधिनियम इस प्रकार हैः

" *5.* हालाँकि, एक विचारशील विचार की आवश्यकता है कि क्या कंपनी अदालत ने सार्वजनिक हित में अपना दिमाग लगाया है।

विलय में शामिल। इस संबंध में भारतीय कानून अंग्रेजी कानून से अलग है और यह अदालत को *[2019] 8* एस. सी. आर. की जांच करने का कर्तव्य देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि विलय जनहित का उल्लंघन नहीं था तो निष्पक्ष रूप से और सावधानीपूर्वक। अंग्रेजी कानून में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। जो जनहित में होगा, उसे जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता। यह एक गतिशील अवधारणा है जो बदलती रहती है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैः

"कुछ ऐसा जिसमें जनता, बड़े पैमाने पर समुदाय का कुछ आर्थिक हित होता है, या कुछ हित होता है जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती हैं। इसका मतलब केवल जिज्ञासा के रूप में या विशेष इलाके के हितों के रूप में इतना संकीर्ण कुछ भी नहीं है जो विचाराधीन मामलों से प्रभावित हो सकता है। आम तौर पर स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार के मामलों में नागरिकों द्वारा साझा हित।

6. धारा *394* अदालत पर यह संतुष्ट होने का दायित्व डालती है कि समामेलन या विलय की योजना जनता के विपरीत नहीं थी। ब्याज। इस तरह की संतुष्टि का मूल सिद्धांत पक्षकारों के बीच किए गए किसी भी समझौते या समझौते में निहित व्यापक और सामान्य सिद्धांतों के अलावा और कुछ नहीं है कि यह अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत या अनुचित नहीं होना चाहिए। एकीकरण में

कंपनियों की, अदालतों ने विकसित किया है, "विवेकपूर्ण व्यवसाय प्रबंधन परीक्षण" का सिद्धांत या यह कि योजना एक नहीं होनी चाहिए

कानून से बचने के लिए उपकरण। लेकिन जब अदालत किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी के साथ विलय की योजना से संबंधित होती है तो परीक्षा केवल यह नहीं होती है कि क्या योजना के परिणामस्वरूप शेयरधारकों का अधिकतम लाभ होगा या क्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गई थी, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि विलय के परिणामस्वरूप आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नहीं होगा।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उद्योग के संवर्धन में बाधा डालना या राष्ट्रीय विकास में बाधा डालना।

अर्थव्यवस्था। उदारीकृत आर्थिक नीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। द.

इसलिए विलय इस उद्देश्य के विपरीत नहीं होना चाहिए। रिलायंस

अंग्रेजी निर्णयों पर होर एंड कंपनी लिमिटेड, री *[1933* ऑल ई. आर. रेप

105 , सीएचडी*]* और बिगल प्रेस लिमिटेड, री *[1961* सीएच *270: (1960) 1* सभी

ई. आर. *768: (1960) 2* डब्ल्यू. एल. आर. *658]* कि न्यायालय की शक्ति होगी

केवल तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया हो।

के साथ या कि वर्ग या वर्गों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था और

दो निजी कंपनियों के बीच अनुमोदन सही हो सकता है और हो सकता है आम तौर पर पालन किया जाता है लेकिन जब विलय एक सहायक कंपनी के साथ होता है

किसी विदेशी कंपनी का तब देश का आर्थिक हित हो सकता है

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में न्यायालय की अधिकारिता

सम्मान व्यापक है "।

(जोर दिया गया*)*

52. बिहार लोक सेवा आयोग बनाम। सैयद हुसैन

एस रिज़वी और अन्र। *, (2012) 13* एस. सी. सी. *61,* इस न्यायालय ने "जनता" को संदर्भित किया

सेवा कानून के संदर्भ में इस प्रकार हैः

" 22. "जनहित" अभिव्यक्ति को इसमें समझना होगा। सही अर्थ ताकि प्रासंगिक को पूरा अर्थ दिया जा सके

अधिनियम के प्रावधान। "जनहित" अभिव्यक्ति होनी चाहिए इसके सभी अपवादों के साथ इसके सख्त अर्थों में देखा जाता है ताकि इसे उचित ठहराया जा सके।

अधिनियम के संदर्भ में वैधानिक छूट से इनकार। अपने आम में

बोलचाल में, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक हित", जैसे "सार्वजनिक उद्देश्य",

यह किसी भी सटीक परिभाषा में सक्षम नहीं है। इसमें कोई कठोरता नहीं है

जिसका अर्थ है, लोचदार है और अपना रंग उस क़ानून से लेता है जिसमें यह

अवधारणा समाज के समय और स्थिति के साथ भिन्न होती है और इसकी

इसका अर्थ जनता का सामान्य कल्याण भी है जो आवश्यक है। मान्यता और संरक्षण; कुछ ऐसा जिसमें जनता एक

होल की हिस्सेदारी है *[*ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(8* वां संस्करण*)]*। "

53. आर. आर. त्रिपाठी बनाम भारत संघ *(2010) 1* बम सी. आर. *513,*

ओम्बे उच्च न्यायालय ने बिजनेस डिक्शनरी को संदर्भित किया, जो परिभाषित करता है

आई. सी. ब्याज इस प्रकार हैः

"आम जनता का कल्याण *(*के स्वार्थी हित के विपरीत*)*

एक व्यक्ति, समूह या फर्म*)* जिसमें पूरे समाज की हिस्सेदारी है

और जो मान्यता, पदोन्नति और संरक्षण की गारंटी देता है
सरकार और उसकी एजेंसियां। शब्द की अस्पष्टता के बावजूद,

आम तौर पर सरकारों द्वारा सार्वजनिक हित के मामलों में दावा किया जाता है

राज्य गोपनीयता और गोपनीयता। तुलना करके इसका अनुमान लगाया जाता है

अपेक्षित लाभ और संभावित लागत या हानि

निर्णय, नीति, कार्यक्रम या परियोजना "।

(जोर दिया गया*)*

54. दो या अधिक के अनिवार्य समामेलन के संदर्भ में

कंपनियों, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक हित" का अर्थ होगा

सार्वजनिक या समग्र रूप से समाज का हित, जैसा कि निजी व्यक्तियों के एक समूह के "स्वार्थी" हित के विपरीत है। इस प्रकार, "लोक हित" में राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के हित को ध्यान में रखा जा सकता है ताकि वे राष्ट्र के कल्याण में योगदान कर सकें और

प्रगति, और ऐसा करने से, बहुत आवश्यक रोजगार भी मिल सकता है।

"इसलिए, इस संदर्भ में "लोक हित" का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों के संसाधनों का संयोजन होगा ताकि उत्पादन और विकास को प्रभावित किया जा सके। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उनसे संबंधित व्यक्तियों का रोजगार। इसके विपरीत, कोई भी कार्रवाई जो उद्योग के संवर्धन में बाधा डालती है या विकास में बाधा डालती है जो राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में है, इस धारा में उल्लिखित सार्वजनिक हित के विपरीत होगी।

55. इस मोड़ पर, हमें पहले यह देखना होगा कि क्या प्रत्येक

धारा *396* की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होती हैं। जहां तक केंद्र सरकार के "संतुष्ट" होने का संबंध है, ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफ. एम. सी. के दिनांकित *17.12.2013* आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा है:

55.1 ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट वास्तव में एक के साथ शुरू होती है

अस्वीकरण, जो इस प्रकार है:

"*4.* सीमाएँ

4.1 . हमारे निष्कर्ष उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं

हमें और हमने स्वतंत्र रूप से सत्यापित या मान्य नहीं किया है
जानकारी दी।

आयन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

4.2 . हमारा काम किसी भी लेखा के तहत लेखा परीक्षा का गठन नहीं करता था।

मानक और हमारे काम का दायरा वैधानिक लेखापरीक्षा से काफी अलग था। इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है वैधानिक लेखापरीक्षा के समान स्तर का आश्वासन प्रदान करें।

4.3 . हमारे द्वारा किया गया काम उस समय आवश्यक माना जाता था।

काम के दायरे और आवश्यक कठोरता को प्रतिबिंबित करने के लिए समय।

5. प्रतिबंध

5.1 . हमारी रिपोर्ट और टिप्पणियां प्रकृति में गोपनीय हैं और सामान्य प्रसार या प्रकाशन के लिए नहीं हैं, और न ही वे हैं प्रत्येक विशिष्ट उदाहरण में हमारी पूर्व सहमति के बिना, पूरे या आंशिक रूप से उद्धृत या संदर्भित किया जाए। इस तरह की सहमति को अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा। एन. एस. ई. एल. और एफ. एम. सी. के पास हमारे निष्कर्षों को किसी भी तरह से संशोधित करने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं होगी। हम किसी भी लागत, नुकसान, नुकसान, देनदारियों, परिसंचरण, प्रकाशन के परिणामस्वरूप किसी के द्वारा किए गए खर्चों के लिए सभी जिम्मेदारी या दायित्व को अस्वीकार करते हैं।

इस अनुच्छेद के प्रावधानों के विपरीत हमारी रिपोर्टों का पुनरुत्पादन या उपयोग। यदि अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं जो हमारी रिपोर्टों में पहुंचे निष्कर्षों पर प्रभाव डालते हैं, तो हम अपने निष्कर्षों को संशोधित करने और तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा, हमारी रिपोर्टों में टिप्पणियों का इरादा नहीं है, न ही उनकी व्याख्या कानूनी सलाह या राय के रूप में की जानी चाहिए।

हालाँकि, कार्यकारी सारांश में उक्त रिपोर्ट में कहा गया हैः

"B. कार्यकारी सारांश

1.1 एन. एस. ई. एल. विनिमय मंच का उपयोग वित्तपोषण व्यवसाय के संचालन के लिए किया जा रहा था। इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन *(*आई. बी. एम. ए.*)* ने एफ. टी. आई. एल. समूह के एक्सचेंजों *(*एन. एस. ई. एल. और मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड *('*एम. सी. एक्स.*')* पर संबंधित पक्ष द्वारा बड़ी मात्रा में व्यापार को सक्षम बनाया।

इसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार चित्रित किया गया हैः —

निवेशक

एनएसईएल

=

ई. जी. आईबीएमए, के ग्राहक

आईएनआर

आईएनआर

बोरोवर्स

टी *+ 2*

जियोजीत जैसे दलाल,

जैसे एन. के. प्रोटीन, पी. डी.

टी *+ 25*

भारत-इन्फोलाइन, आनंद राठी

एग्रोप्रोसेसर आदि।

आईएनआर

आईएनआर

आदि।

फंडिंग

संबंधित पक्ष

आई. बी. एम. ए.

व्यापार

एनएसईएल/आईबीएमए

(एन. एस. ई. एल. की सहायक*)*

ब्रोकरेज

व्यापार बहिष्कृत

एफ. टी. आई. एल.

परिवर्तन

उदा. एमसीएक्स

1.2 ग्रांट थॉर्नटन ने पाया कि एन. एस. ई. एल. की एक बड़ी मात्रा

एक्सचेंज ट्रेडों को जोड़ीदार बैक-टू-बैक अनुबंधों के साथ किया जाता था। निवेशक एक साथ एक अल्पकालिक खरीद अनुबंध *(*जैसे सी *+ 2* यानी *2*-दिवसीय निपटान*)* और एक दीर्घकालिक बिक्री अनुबंध *(*जैसे टी *+ 25* ई*)* में प्रवेश करते हैं। *25* दिन का निपटान*)*। अनुबंध एक ही पक्ष द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्य पर लिए गए थे और हमेशा दीर्घकालिक पदों पर लाभ दर्ज करते थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ट्रेड डी बाय मेम्ब सदस्य का नाम

अनुबंध उपावधि व्यापार व्यापार

ले अल सेलर आईडी

कोड ब्रोकर्नल आईडी मूल्य मूल्य

तिथि सं।

नहीं।

02 87 एस *13790* पी. डी.

DLF002 PDY1 121 474

13791 2400.00 360,000

एग्रीप्रोसेसो

अप्रैल

एचआर *2*

आरएस पीवीटी। लिमिटेड।

2012

02 87 बी.

10570 आनंद राठी

एचएनआर *320* पीडीवाई *1 121 232*

10575 2400.00 360,000

सामान्यताएँ

एचआर *2*

अप्रैल

लिमिटेड।

2012

एच. एन. आर. *320* पी. वाई. *1 121* एच। *232*

02 88 एस.

10575 2450.70 367,605

10570 आनंद राठी

अप्रैल

सामान्यताएँ

आर *25*

लिमिटेड।

2012

02 88 बी *13790* पीडी

DLC001 PY1 121H 474

13791 2450.70 367,605

एग्रीप्रोसेसो

अप्रैल

आर *25*

आरएस पीवीटी। लिमिटेड।

2012

1.3 इन दीर्घकालिक अनुबंधों *(*जैसे टी *+ 25)* का पहली बार सितंबर *2009* में एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज में कारोबार किया गया था। एनएसईएल का बोर्ड

नवंबर *2009* से शुरू होने वाली अवधि में ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों को शुरू करने वाले परिपत्रों की पुष्टि की।

1.4 वित्तपोषण व्यवसाय के अस्तित्व के संबंध में और साक्ष्य प्राप्त किए गए थे, जैसे कि प्रस्तुतियाँ जिनमें कहा गया था कि एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज पर कुछ उत्पादों में निवेश करने पर निश्चित प्रतिफल दर की गारंटी दी गई थी।

एक समीक्षा में कई आंतरिक *(*एन. एस. ई. एल.*)* प्रस्तुतियाँ पाई गईं। ई-मेल डेटाबेस का, एक अवसर के रूप में उपज *(*जैसे *16* प्रतिशत*)* निर्धारित करना।

एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज पर कुछ उत्पादों में व्यापार करने के लिए निवेशकों के लिए।

एक बाहरी प्रस्तुति भी प्राप्त की गई थी जो एक ब्रोकरेज हाउस *(*जियोजीत कॉमट्रेड लिमिटेड*)* द्वारा अपने ग्राहकों के लिए की गई थी।

एन. एस. ई. एल. पर किए गए निवेश पर एक निश्चित लाभ का दावा करना विनिमय करें। इसके अलावा, इस प्रस्तुति में घोषणा की गई कि इस तरह के लेनदेन में स्टॉक की वास्तविक डिलीवरी की आवश्यकता नहीं होगी।

1.5 ग्रांट थॉर्नटन ने एन. एस. ई. एल. विनिमय नियमों और उप-कानूनों के बार-बार उल्लंघन के साक्ष्य भी प्राप्त किए, जिन्होंने इस तरह के वित्तपोषण लेनदेन को जारी रखने और आकार में बढ़ने में सहायता की।

दोहराए गए डिफ़ॉल्टः एन. एस. ई. एल. विनिमय नियमों के अनुसार एक सदस्य जिसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक/धन आदि नहीं है।

मार्जिन आवश्यकताओं से छूटः जो सदस्य पूर्वनिर्धारित स्थिति में थे या जिन्होंने व्यापार पर अपनी मार्जिन सीमा समाप्त कर दी थी, उन्हें मार्जिन आवश्यकताओं से छूट दी गई थी और इस प्रकार उन्हें नए व्यापार में संलग्न करके अपने एक्सपोजर को बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। *1, 800* से अधिक सीमा सीमा छूट दी गई थी। *2009* से *2013* के बीच।

1.6 आई. बी. एम. ए. एम. सी. एक्स. और एन. सी. डी. ई. एक्स. जैसे वायदा जिंस विनिमय पर व्यापार निष्पादित करने के लिए कार्वी कॉमट्रेड लिमिटेड के साथ एक ग्राहक के रूप में पंजीकृत है। एस. एन. पी. डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड *(*एस. एन. पी.*)* आई. बी. एम. ए. की ग्राहक है और एस. एन. पी. की प्रबंध निदेशक श्रीमती शालिनी सिन्हा हैं, जो श्री अंजनी सिन्हा *(*एन. एस. ई. एल. के सी. ई. ओ. और एम. डी. के साथ-साथ आई. बी. एम. ए.*)* की पत्नी हैं।

ग्रांट थॉर्नटन को कार्वी कॉमट्रेड लिमिटेड के माध्यम से एसएनपी की ओर से एमसीएक्स एक्सचेंज पर बड़ी मात्रा में किए गए व्यापार के प्रमाण मिले। अप्रैल *2012* से एमसीएक्स पर कुल नाममात्र मूल्य/मात्रा का कारोबार लगभग रु। *40,000* एक करोड़। इस अवधि में भारी नुकसान के बावजूद, एसएनपी की ओर से व्यापार जारी रखने की अनुमति दी गई थी। एस. एन. पी. से कभी भी मार्जिन मनी नहीं ली गई। *20* सितंबर *2013* तक आई. बी. एम. ए. को रु. *77* एस. एन. पी. की ओर से निष्पादित व्यापारों से होने वाले नुकसान के कारण रु. इसके बावजूद एसएनपी से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारी मात्रा में देय राशि।

आयन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसके अलावा, सबूत प्राप्त हुए कि रु। *10* मोहन इंडिया से एक करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो एक आई. बी. एम. ए. बैंक खाते में जमा किए गए। श्री अंजनी सिन्हा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इसे एस. एन. पी. प्राप्य शेष राशि के साथ समायोजित किया जाना था।

1.7 . आई. बी. एम. ए. एन. एस. ई. एल. की एक सहायक कंपनी है और इसे कई अवसरों पर परिचालन आवश्यकताओं के लिए धन प्राप्त हुआ है *(*जिसमें *5* करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है। *5* अगस्त *2013* को *5* करोड़*)*। आई. बी. एम. ए. एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज का भी सदस्य है और ग्राहकों की ओर से व्यापार करता है। आई. बी. एम. ए. को फरवरी *2010* से दैनिक आधार पर मार्जिन सीमा छूट दी गई है।

निगमित शासन और जोखिम प्रबंधन

1.8 जबकि विनिमय के उपनियमों और नियमों ने प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों के गठन को अनिवार्य कर दिया एक्सचेंज के संचालन; बोर्ड ऐसी *10* समितियों में से *9* का गठन करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि क्या एकमात्र गठित समिति *(*सदस्यता समिति*)* कभी बुलाई गई थी और इसलिए, अपने उद्देश्यों को पूरा किया।

1.9 बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त नियमित रूप से *(*जैसे। *11* जून *2008,15* जून *2009,25* मई *2011)* ने कहा कि लेखा परीक्षा समिति ने वार्षिक वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के

दायरे की समीक्षा, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए काम का दायरा, चालू वित्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा की योजना, लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान, लेखा परीक्षक रिपोर्ट के मसौदे में लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणियों पर विस्तृत चर्चा की।

आदि।

संबंधित लेखा परीक्षा समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करने पर हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर चर्चा, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के दायरे की समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए काम के दायरे का कोई संदर्भ नहीं देखा।

बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति के सामान्य सदस्य थेः

श्री जिग्नेश शाह श्री जोसेफ मैसी

श्री वी. हरिहरन श्री श्रीकांत जवालगेकर *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.10 31 मार्च *2010* और *11* अगस्त *2010* की बोर्ड बैठक में कहा गया कि कंपनी *(*एन. एस. ई. एल.*)* ने कार्वी से संपर्क किया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड *(*के. एफ. एस. एल.*)* एक सदस्य, विशेष रूप से एन. के. प्रोटीन को ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए। इसके अलावा बोर्ड ने के. एफ. एस. एल. को एक करोड़ रुपये की गारंटी जारी करने के लिए मंजूरी दी। *14* एन. के. को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में रु.

प्रोटीन।

1.11 सूचना प्रौद्योगिकी की हमारी समीक्षा ने कई स्वतंत्र स्वतंत्र प्रणालियों की पहचान की जिसमें विभिन्न प्रणालियों के बीच व्यावसायिक लेनदेन और संबंधित जानकारी का प्रवाह होता है आवश्यक हस्तचालित हस्तक्षेप। व्यापारिक लेन-देन की जटिलता और प्रकृति को देखते हुए गोदाम *(*ई. डब्ल्यू. डी. एम. एस.*)*, सी. एन. एस., वितरण प्रणाली *(*ई. एम. आई.*)* और व्यापार सहित ऐसी प्रणालियाँ होनी चाहिए थीं।

एकीकृत। इसके अलावा, इन प्रणालियों ने किसी भी प्रकार के एम. आई. एस. का उत्पादन/संचालन नहीं किया। सभी रिपोर्टिंग और विश्लेषण मैनुअल वर्कशीट पर किए गए थे। बोर्ड के कार्यवृत्त की हमारी समीक्षा ने किसी भी प्रकार की एम. आई. एस. रिपोर्टिंग या समीक्षा का संकेत नहीं दिया।

ये बिंदु सामूहिक रूप से आईटी, जोखिम और कॉर्पोरेट प्रशासन में महत्वपूर्ण अंतराल का संकेत देते हैं।

ग्राहकों के धन का दुरुपयोग *1.12* ग्राहक धन/निपटान निधि का दुरुपयोगः एन. एस. ई. एल. विनिमय के नियमों और उप-कानूनों के अनुसार "सदस्यों द्वारा उनके घटक सदस्यों और ग्राहकों से किसी भी रूप में प्राप्त मार्जिन जमा का हिसाब अलग-अलग खातों में अलग-अलग रखा जाएगा और उनका उपयोग केवल संबंधित घटक सदस्यों और ग्राहक की स्थिति के लाभ के लिए किया जाएगा।"

ग्रांट थॉर्नटन ने सबूत *(*ई-मेल सहित*)* पाए कि ग्राहक धन/निपटान निधि का उपयोग नियमित रूप से चूक करने वाले सदस्यों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता था।

इसके अलावा, एन. एस. ई. एल. ने नियमित रूप से अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ग्राहक धन/निपटान निधि का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, *28* मार्च, *2013* को रु। *236.5* एन. एस. ई. एल. के अपने व्यावसायिक ओवरड्राफ्ट खाते को निधि देने के लिए निपटान कोष से एक करोड़ रुपये निकाले गए थे।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ग्राहक धन/निपटान निधि में चालू घाटा था।

अप्रैल *2012* से जून *2013* तक शेष राशि। एफ. टी. आई. एल. की वित्त टीम ने कई मौकों पर इसे चिंता का विषय बनाया था।

नियामक को गलत प्रस्तुतियाँ

1.13 विनियामक उल्लंघनः

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय द्वारा *5* जून *2007* को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स *(*रेगुलेशन*)* एक्ट, *1952 ("*एफसीआरए*")* की धारा *27* के तहत एनएसईएल पर कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि के सभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को उक्त अधिनियम के संचालन से छूट दी है। एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज पर निष्पादित व्यापारों के प्रकार की ग्रांट थॉर्नटन की समीक्षा के उल्लंघन का संकेत देता है

छूट की शर्तें दी गई हैं।

जनवरी *2011* से जुलाई *2013* की अवधि के दौरान, एफ. एम. सी. ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग और वित्तपोषण योजना चलाने का आरोप लगाते हुए जनता से प्राप्त कई शिकायतों पर एन. एस. ई. एल. से कई स्पष्टीकरण मांगे। एन. एस. ई. एल. ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। ऐसे व्यापारों का हमारा विश्लेषण एन. एस. ई. एल. द्वारा एफ. एम. सी. को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का संकेत देता है।
कई बार "।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दीर्घकालिक व्यापार के लिए गोदाम गतिविधियों के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं था जो दर्शाता है कि इस तरह के अनुबंध गोदाम स्टॉक द्वारा सुरक्षित नहीं थे। गोदाम ग्राहक द्वारा प्रबंधित गोदाम थे और अंतर्निहित संपार्श्विक एन. एस. ई. एल. की हिरासत में नहीं थे। एन. एस. ई. एल. का इन पर नियंत्रण नहीं था।

गोदामों और ग्रांट थॉर्नटन को कई गोदामों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वास्तव में अपने गोदामों के पंजीकरण के लिए एन. एस. ई. एल. के आवेदन को *16.05.2011* पर खारिज कर दिया था। इस तरह की अस्वीकृति के बावजूद, एन. एस. ई. एल. की वेबसाइट ने दर्शाया कि इसके गोदाम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थे। एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने नियमों और उपनियमों में उल्लिखित शर्तों का अपने सदस्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कभी भी कोई सत्यापन या उचित परिश्रम नहीं किया गया था, भले ही एन. एस. ई. एल. उपनियमों के संदर्भ में, एन. एस. ई. एल. द्वारा जारी गोदाम रसीद किसी वस्तु को किसी अनुमोदित गोदाम में रखे जाने का प्रमाण देने के लिए थी। एन. एस. ई. एल. ने बिक्री लेनदेन को निष्पादित करने से पहले गोदामों में वस्तुओं को जमा करने पर जोर नहीं दिया।

इसके बजाय एन. एस. ई. एल. *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिलीवरी आवंटन रिपोर्ट *(*डी. ए. आर.*)* जारी करना जो निवेशकों को यह दर्शाता है कि प्रत्येक लेन-देन डिलीवरी आधारित था और बिक्री के समय में आवश्यक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री का समर्थन करता था। घर।

55.2 . इस विशेषज्ञ रिपोर्ट पर आधारित एफ. एम. सी. के दिनांकित *2.2013* आदेश की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" 15. सारांश अवलोकन और निष्कर्ष: - सभी आपत्तियों और तर्कों पर उचित विचार करने के बाद

नोटिसियों द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ अपने वकील के माध्यम से मौखिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उठाए गए, अब हम बाद के पैराग्राफ में 'उपयुक्त और उचित व्यक्तियों' के रूप में चार नोटिसों की स्थिति पर अंतिम विचार करके अपनी टिप्पणियों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। *15.1 .* सूचना संख्या *1: -* फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज *(*इंडिया*)* लिमिटेड *(*एफटीआईएल*):* हमने एन. एस. ई. एल. की इक्विटी संरचना पर चर्चा की है, जो पूरी तरह से एफ. टी. आई. एल. के स्वामित्व में है। हमने यह भी बताया है कि एफ. टी. आई. एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री जिग्नेश शाह बोर्ड में निदेशक रहे हैं और उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं।

एन. एस. ई. एल. के अध्यक्ष और एक प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

शुरुआत। इसी तरह, श्री जोसेफ मैसी और श्री श्रीकांत जवालगेकर उक्त कंपनी के निदेशक रहे हैं।

एन. एस. ई. एल. में निपटान संकट पहली बार जुलाई, *2013* में सामने आने तक शुरू हुआ। धोखाधड़ी को स्थापित करने वाले तथ्य जिसमें रुपये से अधिक का निपटान चूक शामिल है। *5,500* एन. एस. ई. एल. में करोड़ों रुपये की राशि पर नोटिस जारी किए गए एस. सी. एन. में विस्तार से चर्चा की गई है और साथ ही इस आदेश के पैरा संख्या *14.7* में हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। एन. एस. ई. एल. के शासन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली होल्डिंग कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला गया है। एन. एस. ई. एल. पर एफ. टी. आई. एल. का नियंत्रण मेसर्स द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। आयोग के समक्ष ग्रांट थॉर्नटन

यह कहते हुए कि श्री जिग्नेश शाह, श्री जोसेफ मैसी और एफ. टी. आई. एल. के कई अन्य अधिकारियों ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और उनकी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

15.1. 1 . छूट में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन

अधिसूचना, वस्तु व्यापार की आड़ में सुनिश्चित वित्तीय लाभ उत्पन्न करने के लिए युग्मित अनुबंधों में व्यापार, ऐसे सदस्य जिनकी निवल संपत्ति बहुत कम थी और जिनकी आयून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उन लोगों को मार्जिन छूट देना जो बार-बार अपने बकाया का भुगतान करने में चूक कर रहे थे, बिना या अपर्याप्त स्टॉक के साथ खराब भंडारण सुविधाएं, कोई जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पालन नहीं किया गया, एसजीएफ में धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, श्री जिग्नेश शाह से संबंधित श्री मुकेश पी. शाह को एफ. वाई. के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में जानबूझकर नियुक्त किया गया, और निवेशकों को धोखा देने के लिए चूक करने वालों के साथ स्पष्ट भागीदारी आदि, एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एनएसईएल द्वारा एक बड़ी धोखाधड़ी की गई थी, जबकि एनएसईएल के बोर्ड में एफटीआईएल के दो बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति थी, जिनमें से एक कंपनी के उपाध्यक्ष थे।

15.1. 2 . मामले के तथ्य और जिस तरह से एन. एस. ई. एल. के व्यावसायिक मामलों का संचालन किया गया, उससे हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं है।

कि एफ. टी. आई. एल. ने अपनी इन दलीलों के बावजूद कि वह एन. एस. ई. एल. के मामलों और संचालन से अनजान था, प्रबंधन पर एक प्रमुख प्रभाव डाला, और एन. एस. ई. एल. के शासन का निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया। रुपये के निपटान संकट से जुड़े इतने बड़े पैमाने की धोखाधड़ी के सामने। *5,500* एन. एस. ई. एल., एफ. टी. आई. एल. के व्यापारिक मंच पर *13,000* से अधिक विक्रेताओं/निवेशकों को दिए गए करोड़ रुपये के ऋण के कारण वे निगमित आवरण के पीछे शरण नहीं ले सकते हैं ताकि एन. एस. ई. एल. में हुई धोखाधड़ी की कार्रवाइयों से खुद को अन्यायपूर्ण रूप से अलग कर सकें जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा भुगतान संकट पैदा हो। *15.1. 3 .* एफ. टी. आई. एल. का सॉफ्टवेयर के विकास का प्रमुख व्यवसाय है जो शेयरों और प्रतिभूतियों, वस्तुओं, विदेशी मुद्रा आदि में दलाली में लगे लगभग पूरे उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी मंच बन गया है। जैसा कि एफ. टी. आई. एल. द्वारा प्रदर्शित किया गया है

एफ. टी. आई. एल. ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी प्रतिभूतियों और जिंसों के लिए कई विनियमित एक्सचेंज शुरू किए हैं। एन. एस. ई. एल. का गठन एक

अखिल भारतीय आधार पर कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज का व्यापार मंच, जिसके उद्देश्य के लिए उसने स्पष्ट रूप से एफ. सी. आर. ए., *1952* के संचालन से छूट मांगी थी और उसे दी गई थी। तब से

एन. एस. ई. एल. का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं में हाजिर व्यापार को बढ़ावा देना था, इसके व्यापार मॉडल ने अग्रिम अनुबंधों में व्यापार करने पर विचार नहीं किया। एफ. टी. आई. एल. ने अग्रिम अनुबंधों में व्यापार के उद्देश्य से एफ. सी. आर. ए., *1952* के तहत एक विनियमित एक्सचेंज एम. सी. एक्स. को पहले ही बढ़ावा दे दिया था। इसलिए, एफ. सी. आर. ए., *1952* के दायरे से इस आधार पर छूट प्राप्त करने के बाद कि इसका उद्देश्य हाजिर व्यापार को बढ़ावा देना था, एन. एस. ई. एल. *[2019] 8* एस. सी. आर. था।

युग्मित अनुबंधों की योजना के माध्यम से अग्रिम अनुबंधों में व्यापार की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं है, जिससे इसे दी गई छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों की अवहेलना होती है। एन. एस. ई. एल. पर एन. एस.

ई. एल. प्लेटफॉर्म पर अग्रवर्ती अनुबंधों में व्यापार की अनुमति देने के पीछे का उद्देश्य, जिसे न तो एफ. सी. आर. ए., *1952* के तहत मान्यता दी गई थी और न ही पंजीकृत किया गया था, एफ. टी. आई. एल. के प्रवर्तक की ओर से नियामक की नजरों से दूर अवैध लाभ के लिए अपनी सहायक कंपनी के व्यापार मंच का उपयोग करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे का संकेत देता है। तथ्य यह है कि एफ. टी. आई. एल. द्वारा प्रवर्तित एन. एस. ई. एल. ने कोई भी व्यापार या संचालन शुरू करने से पहले ही एफ. सी. आर. ए., *1952* के प्रावधानों से छूट मांगी थी, जो शुरू से ही उनके इरादे की ओर इशारा करता है। इस तरह से, इसमें निर्धारित शर्तों की गलत व्याख्या की गई मुट्ठी भर सदस्यों की मिलीभगत से छूट अधिसूचना, जो अंततः रुपये की भारी धोखाधड़ी में परिणत हुई। *5,500* करोड़, जिसका विश्वास को कम करने का संभावित प्रभाव है और

आदान-प्रदान और वित्तीय बाजारों में विश्वास।

15.1. 4 . पूर्वगामी टिप्पणियों और उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो अपनी सहायक कंपनी, एन. एस. ई. एल. की गतिविधियों की योजना, निर्देशन और नियंत्रण में एफ. टी. आई. एल. की ओर से कदाचार, ईमानदारी की कमी और अनुचित प्रथाओं को प्रकट करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एफ. टी. आई. एल.

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड *(*एमसीएक्स*)* में एंकर निवेशक की अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का रिकॉर्ड नहीं है ताकि वह उपरोक्त के शेयरधारक बने रहें।

विनियमित विनिमय। इसलिए, जनहित में और

जिंस विनिमय दिशानिर्देशों और डाक के तहत निर्धारित ऐसे संघ/विनिमय की कुल चुकता इक्विटी पूंजी की सीमा *5* - वर्ष दिशानिर्देश "।

(मूल में जोर*)*

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफ. एम. सी. आदेश के आधार पर, *21.10.2014* दिनांकित समामेलन आदेश का मसौदा उन्हीं तथ्यों पर निर्भर था, जैसे

कंपनी अधिनियम की धारा *211,217* और *292* ए का उल्लंघन हुआ। ये शमनीय अपराध हैं जिन्हें वास्तव में संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिनांकित *03.03.2016* और *31.05.2016* आदेशों द्वारा जोड़ा गया है।

55.3 . हमने देखा है कि न तो एफ. टी. आई. एल. और न ही एन. एस. ई. एल. ने इस तथ्य से इनकार किया है कि वस्तुओं में युग्मित अनुबंध चल रहे थे, और अप्रैल से अप्रैल तक।

जुलाई, *2013* में *99* प्रतिशत *(*और ई-श्रृंखला अनुबंधों को छोड़कर*)* एन. एस. ई. एल. के कारोबार का कम से कम *46* प्रतिशत ऐसे युग्मित अनुबंधों से बना था। वहाँ कोई नहीं है

इस बात पर संदेह है कि ऐसे युग्मित अनुबंध, वास्तव में, वित्तपोषण लेनदेन थे जो वस्तुओं में बिक्री और खरीद लेनदेन से अलग थे और इस प्रकार, एन. एस. ई. एल. और एफ. सी. आर. ए. दोनों को दी गई छूट का उल्लंघन था। हमने यह भी देखा है कि एन. एस. ई. एल. पूरे समय प्रतिनिधित्व करता रहा है।

कि यह वास्तव में, स्पॉट डिलीवरी से संबंधित एक वस्तु विनिमय था। ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफ. एम. सी. आदेश के अलावा, हमने यह भी देखा है कि श्री जिग्नेश शाह ने *10.07.2013* पर डी. सी. ए. और एफ. एम. सी. को अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एन. एस. ई. एल. के पास पूरा स्टॉक था।

संपार्श्विक; मार्जिन मनी के रूप में खुली स्थिति का *10-20%;* और यह कि वर्तमान में *NSEL* के *120* गोदामों में रखे गए स्टॉक का मूल्य *INR 6000* करोड़ था, जो सभी गलत साबित हुए। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुलाई, *2013* में एन. एस. ई. एल. के बंद होने के परिणामस्वरूप लगभग *5600* करोड़ रुपये का भुगतान संकट पैदा हो गया। आगे सवाल यह है कि क्या इन तथ्यों को देखते हुए, धारा *396* की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का पालन किया गया था।

56. जब यह बात आती है कि क्या केंद्र सरकार

इस बात का संतोष कि क्या उपरोक्त कंपनियों का विलय "आवश्यक" था, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एन. एस. ई. एल. ने खुद ही पेशकश की थी।

कथित रूप से ठगे गए व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए एक निपटान योजना। यह पाया गया कि यह योजना वास्तव में शुरू नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्तियों पर बड़ी राशि बकाया बनी रही। एफ. एम. सी. द्वारा कॉर्पोरेट मंत्रालय के सचिव को संबोधित एक पत्र से स्पष्ट है कि यह एफ. एम. सी. की वास्तविक चिंता थी

मामले। इस पत्र में कहा गया हैः

" XXX XXX XXX *2.* जैसा कि पहले बताया गया था, व्यापार के निलंबन और एन. एस. ई. एल. में *8* एस. सी. आर. को हुए भारी निपटान चूक के परिणामस्वरूप।

एफ. एम. सी. का पर्यवेक्षण। इस पर्यवेक्षी भूमिका का प्रयोग करते हुए आयोग लगातार हर संभव कदम उठा रहा है और वसूली में तेजी लाने के लिए एन. एस. ई. एल. के साथ नियमित रूप से प्रयास कर रहा है। इसके मंच पर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही। एन. एस. ई. एल. के अनुपालन की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सं. *8/1/2013 (1)*-एम. डी.*-1 (1) (*सी*)/*निपटान *(*वॉल्यूम. *- IV)* दिनांक *29* नवंबर, *2013 (*अनुलग्नक *III* के रूप में संलग्न प्रति*)*

निगरानी और नीलामी समिति *(*एम. ए. सी.*)*

विभिन्न सदस्य संघों और निवेशक निकायों के प्रतिनिधि संबंधित मामलों पर आयोग की सहायता और सलाह देंगे

एन. एस. ई. एल. में बकाया अनुबंधों के निपटान पर आयोग की पर्यवेक्षी भूमिका के लिए। *3.* यह देखा गया है कि एक साल के लगातार प्रयासों के बाद भी और अनुबंधों के निपटान की निगरानी में एफ. एम. सी. की सक्रिय भूमिका के बावजूद, निपटान योजना के परिणामस्वरूप निवेशकों को कोई महत्वपूर्ण भुगतान

नहीं किया जा सका क्योंकि एन. एस. ई. एल. द्वारा चूक करने वाले सदस्यों से बकाया की वसूली की प्रक्रिया बहुत धीमी है। यह है।

प्रस्तुत किया कि, यह केवल एन. एस. ई. एल. की जिम्मेदारी है कि वह अपने नियमों/उप-कानूनों और देश के अन्य कानूनों के अनुसार सभी संभावित दंडात्मक उपाय करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निवेशकों के बकाया का निपटान किया जाए। हालाँकि आज की तारीख तक एन. एस. ई. एल. केवल रु. *538.56* इसके सदस्यों को लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। *5500* करोड़। इस राशि में रुपये की राशि भी शामिल है। *179.26* एन. एस. ई. एल. द्वारा अपनी होल्डिंग कंपनी, एफ. टी. आई. एल. से उधार लिए गए करोड़ रुपये जो छोटे प्रतिभागियों को वितरित किए गए थे। एम. ए. सी. पर सदस्य संघों और निवेशक निकायों के प्रतिनिधियों ने आयोग के साथ अपनी बैठक में एन. एस. ई. एल. का प्रतिनिधित्व किया है। एक संस्थान के रूप में विश्वसनीयता। इसके अलावा हाल के महीनों में एन. एस. ई. एल. में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक रही है और यह पता चला है कि एन. एस. ई. एल. के कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे वसूली प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार

एन. एस. ई. एल. से, आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में एन. एस. ई. एल. रोल पर कुल कर्मचारियों की संख्या *193* थी।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

31.07.2013 पर *(*जब एन. एस. ई. एल. ने एक दिन में कारोबार रोक दिया था*)*

निगरानी और नीलामी समिति के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि विश्वसनीयता के नुकसान, कमजोर संगठनात्मक संरचना, मानव-शक्ति की कमी और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण एन. एस. ई. एल. पूरी तरह से अप्रभावी हो गया है। चूककर्ता से चूक राशि की वसूली का पीछा करना

सदस्य।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एन. एस. ई. एल. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड *(*एफ. टी. आई. एल.*)* की एक सहायक कंपनी है जिसके पास एन. एस. ई. एल. के *99.99%* शेयर हैं। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एन. एस. ई. एल. पूरी तरह से एफ. टी. आई. एल. की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और इसलिए यह मूल कंपनी यानी एफ. टी. आई. एल. की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी सहायक कंपनी के मामलों की पूरी जिम्मेदारी ले। इस संबंध में मेसर्स एफ. टी. आई. एल. *(*एम. सी. एक्स. के एक अन्य शेयरधारक और प्रवर्तक*)* की "उपयुक्त और उचित व्यक्ति" की स्थिति के मामले में आयोग संख्या *4/5/2013* एम. के. टी.-आई./बी. दिनांक *17* दिसंबर, *2013 (*अनुलग्नक *4* के रूप में संलग्न प्रति*)* के आदेश और एम. सी. एक्स. के पूर्व निदेशक श्री जिग्नेश शाह और श्री जोसेफ मैसी और एम. सी. एक्स. के पूर्व प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ. श्री श्रीकांत जवालगेकर के मामले में ध्यान आकर्षित किया जाता है। एफ. टी. आई. एल. से संबंधित उक्त आदेश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

((i) पैरा *14.2* में। *1* आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि एन. एस. ई. एल. को एक अलग कानूनी इकाई होने के कारण होल्डिंग/मूल कंपनी यानी एफ. टी. आई. एल. के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है, जिसके पास अपनी शेयर पूंजी का *99.99%* है।

((ii) पैरा *14.5* में। *2* यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि एफ. टी. आई. एल. प्रभावी रूप से एन. एस. ई. एल. का एकमात्र शेयरधारक है, इसलिए एन. एस. ई. एल. के निदेशक मंडल का गठन पूरी तरह से इसके नियंत्रण में है। एफ. टी. आई. एल. अपने द्वारा गठित एन. एस. ई. एल. के निदेशक मंडल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनी एन. एस. ई. एल. पर प्रभावी और पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस तरह के नियंत्रण को और बढ़ाया जाता है और *[2019] 8* एस. सी. आर.

एफ. टी. आई. एल. के प्रवर्तक और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री जिग्नेश शाह एन. एस. ई. एल. के निदेशक मंडल में हैं और अपनी स्थापना के बाद से कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री जोसेफ मैसी एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. दोनों के बोर्ड में एक सामान्य निदेशक भी थे, जबकि श्री श्रीकांत जवालगेकर एन. एस. ई. एल. के निदेशक बने रहे जब तक कि उन्होंने जुलाई *2013* में पद से इस्तीफा नहीं दे दिया।

((iii) पैरा *14.5* में। *3* अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि यह

एन. एस. ई. एल. की बोर्ड बैठकों के सभी कार्यवृत्त नियमित रूप से एफ. टी. आई. एल. की बोर्ड बैठकों में प्रस्तुत किए जाते थे। एफ. टी. आई. एल. ने एन. एस. ई. एल. के मामलों के बारे में खुद को अवगत रखा और नियमित रूप से अपनी बोर्ड बैठकों में एन. एस. ई. एल. के कार्यों को मंजूरी/पुष्टि भी दी।

((iv) पैरा *14.9* में। *1* अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि यह

यह निर्विवाद है कि एन. एस. ई. एल. एक ऐसा एक्सचेंज था जिसमें एफ. टी. आई. एल. का अपना स्वामित्व ब्याज *99.9998%* था और नाफेड के लिए एक नगण्य *0.0002%* हिस्सेदारी छोड़ दी गई थी। एन. एस. ई. एल. के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने शेयरधारकों को निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। एकल सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में, यह एफ. टी. आई. एल. है जिसने सभी को नामित किया है। एन. एस. ई. एल. बोर्ड में निदेशक। एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, एन. एस. ई. एल. पूरी तरह से एफ. टी. आई. एल. के नियंत्रण में है, जिसमें एन. एस. ई. एल. के मामलों पर वित्तीय धोखाधड़ी भी शामिल है। एफ. टी. आई. एल., जिसके पास एन. एस. ई. एल. के मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, एन. एस. ई. एल. के प्रबंधन द्वारा किए गए गलत काम और धोखाधड़ी से अनजान होने का दावा नहीं कर सकता है।

(v) क्रम के पैरा *14.10.06* में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया गया है कि

एफ. टी. आई. एल. सहायक कंपनी के प्रबंधन और शासन में उचित देखभाल करने और विवेक का प्रयोग करने के लिए एक मूल कंपनी के रूप में अपनी भूमिका और कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती है। *(vi)* पैरा *14.10* में। *8* आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एफ. टी. आई. एल. ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि एन. एस. ई. एल. द्वारा या एक मूल कंपनी के रूप में उसके द्वारा उन ग्राहकों और ग्राहकों को सुरक्षा और जोखिम मुक्त व्यापार का आश्वासन देने की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने विशुद्ध रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया है।

एक स्पष्ट आश्वासन के आधार पर कि यदि किसी भी प्रतिभागी द्वारा कोई चूक की जाती है तो एक्सचेंज काउंटर पार्टियों के स्थान पर कदम रखेगा।

आयन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

((vii) पैरा *15.1* में। *3* आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि एफ. टी. आई. एल. का सॉफ्टवेयर के विकास का अपना प्रमुख व्यवसाय है यह शेयरों और प्रतिभूतियों, वस्तुओं, विदेशी मुद्रा आदि में दलाली में लगे लगभग पूरे उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी मंच बन गया है। एन. एस. ई. एल. प्लेटफॉर्म पर एन. एस. ई. एल. प्लेटफॉर्म पर अग्रवर्ती व्यापार की अनुमति देने के पीछे का उद्देश्य, जिसे न तो एफ. सी. आर. ए., *1952* के तहत मान्यता दी गई थी और न ही पंजीकृत किया गया था, एफ. टी. आई. एल. के प्रवर्तक की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे का संकेत देता है।

नियामक की नजरों से दूर अवैध लाभ के लिए अपनी सहायक कंपनी के व्यापार मंच का उपयोग करना। *5.* उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करेंगे कि श्री जिग्नेश शाह के नेतृत्व में एफ. टी. आई. एल. का बोर्ड और इसके प्रवर्तक एन. एस. ई. एल. के मामलों को सक्रिय रूप से नियंत्रित और निर्देशित कर रहे हैं और यह एफ. टी. आई. एल. और इसके प्रवर्तकों द्वारा एन. एस. ई. एल. के मामलों में किए गए खराब शासन और अनियमितताओं के कारण है कि

चूक करने वाले सदस्यों ने रुपये की सीमा तक विनिमय को धोखा दिया। *5,500* इससे *13,000* से अधिक निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग द्वारा पारित *17* दिसंबर, *2013* का उपरोक्त आदेश एन. एस. ई. एल. के मामलों में एफ. टी. आई. एल. की भूमिका पर ठोस तथ्यों पर आधारित है, जो आयोग द्वारा अपने दम पर एकत्र किया गया है और फोरेंसिक ऑडिटर मैसर्स द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों पर भी आधारित है। ग्रांट थॉर्नटन जिन्हें एन. एस. ई. एल. द्वारा एन. एस. ई. एल. के मामलों में फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था

निपटान संकट। यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने *17* तारीख के उपरोक्त आदेश के संबंध में एफ. टी. आई. एल. और तीन अन्य व्यक्तियों को कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। दिसंबर, *2013* में आयोग ने एफ. टी. आई. एल., श्री जिग्नेश शाह, श्री जोसेफ मैसी और श्री श्रीकांत जवालगेकर को किसी भी मान्यता प्राप्त जिंस एक्सचेंज में शेयरधारक या निदेशक बनने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं घोषित किया। एफ. टी. आई. एल. और अन्य तीन

6. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एन. एस. ई. एल. निपटान पराजय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यवस्थित जोखिम की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित कार्य समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वामित्व, शासन और प्रबंधन की सिफारिश की है। एफ. टी. आई. एल. में संरचना और एफ. टी. आई. एल. द्वारा बढ़ावा दिए गए आदान-प्रदान का मूल्यांकन करने और इन पहलुओं के लिए एक संस्थागत ढांचा और दृष्टिकोण लाने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है।

7. यहां यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एफ. टी. आई. एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री जिग्नेश शाह, जो एन. एस. ई. एल. के उपाध्यक्ष भी थे, की आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस के ई. ओ. डब्ल्यू. ने श्री जिग्नेश शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के तहत आरोप पत्र दायर किया है। *(* एम. पी. आई. डी.*)* अधिनियम, *1999*, एम. पी. आई. डी. अधिनियम, मुंबई के तहत विशेष न्यायालय के माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष, जो मूल के रूप में एफ. टी. आई. एल. की भूमिका और जिम्मेदारी से संबंधित आयोग द्वारा *17* दिसंबर, *2013* के अपने आदेश में पहले से ही लिए गए रुख को सही ठहराता है।

अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात एन. एस. ई. एल. के मामलों में कंपनी। *8.* उपरोक्त प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एन. एस. ई. एल. एक निगमित इकाई के रूप में अब किसी भी विश्वसनीयता से वंचित हो गई है और अब ऐसा लगता है कि वित्तीय और शारीरिक रूप से चूक करने वाले सदस्यों से कोई पर्याप्त वसूली करने में असमर्थ है।

आयोग के निर्देशों/पर्यवेक्षण के तहत उनके खिलाफ उठाए गए सभी कानूनी और अन्य उपायों के बावजूद। इसी तरह, एफ. टी. आई. एल. के बोर्ड और प्रबंधन ने एन. एस. ई. एल. के मामलों के प्रबंधन में अपने आचरण और निपटान चूक के बाद एन. एस. ई. एल. के प्रति अपनी जिम्मेदारी से खुद को दूर करने के निरंतर प्रयास से एक उत्तरदायी और जिम्मेदार होल्डिंग कंपनी के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो दी है।

9. उपरोक्त आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का विचार है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए इस पर विचार करने का समय आ गया हैः

चूककर्ताओं से बकाया राशि की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. भुगतान को हल करने की जिम्मेदारी लेते हैं।

एन. एस. ई. एल. में जल्द से जल्द संकट।

(ii) इसके अलावा, यह सुझाव दिया जाता है कि विलय के साथ /

एन. एस. ई. एल. का एफ. टी. आई. एल. के साथ विलय एफ. टी. आई. एल. के प्रबंधन पर भी विचार किया जा सकता है ताकि मामले

कार्य द्वारा अनुशंसित एक संस्थागत ढांचा भारत सरकार द्वारा नियुक्त समूह।

XXX XXX "

(जोर दिया गया*)*

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

यह पत्र बताएगा कि तत्काल कारण

समामेलन, एफ. एम. सी. के अनुसार, और जिसे ईमानदारी से किया गया था

सरकार द्वारा यह कहा गया है कि एन. एस. ई. एल., एक निगमित इकाई के रूप में, वित्तीय और शारीरिक रूप से किसी भी महत्वपूर्ण वसूली को प्रभावित करने में असमर्थ प्रतीत होती है।

चूक सदस्य। एफ. एम. सी. के अनुसार यह "आपातकालीन स्थिति" थी, जिससे होल्डिंग और सहायक कंपनियों के विलय का आदेश दिया जाना चाहिए ताकि होल्डिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ सके।

संसाधनों का उपयोग कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिसके द्वारा कथित रूप से ठगे गए निवेशकों/व्यापारियों को देय धन की वसूली की जा सकती है।

56.1 . ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक समामेलन का अंतिम आदेश पारित किया गया था, यानी *12.02.2016* पर, तब तक अंतिम आदेश ही पारित हो गया था।

अभिलेखः

" *8.1* . आर्थिक अपराध शाखा, मुम्बईः

24 चूककर्ताओं से कुल देय और वसूली योग्य राशि है -

रु. *5689.95* करोड़।

2 करोड़ रुपये की चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों के खिलाफ निषेधाज्ञा। *4400.10*

करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

रुपये मूल्य के आदेश। *1233.02* इसके खिलाफ करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं।

5 ऋण चुकाने वाले।

रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ। *5444.31* चूककर्ताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। *4654.62* एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं

एम. पी. आई. डी. न्यायालय की देखरेख में परिसमापन और रुपये की शेष संपत्ति। *789.69* करोड़ रुपये कुर्क/सुरक्षित किए गए हैं।
ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा संलग्नक के लिएः

रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ। *885.32* निदेशकों से संबंधित करोड़ और

-

एन. एस. ई. एल. के कर्मचारियों को कुर्क कर लिया गया है, जिनमें से *5* करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। *882.32* एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत परिसमापन के लिए राजपत्र में पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।
एम. पी. आई. डी. न्यायालय और रुपये की शेष संपत्ति। *3* ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा कुर्की के लिए करोड़ रुपये कुर्क/सुरक्षित किए गए हैं;

एम. पी. आई. डी. न्यायालय पहले ही उन व्यक्तियों को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा *4* और *5* के तहत नोटिस जारी कर चुका है जिनकी संपत्ति ऊपर बताए गए अनुसार कुर्क की गई है। इस प्रकार, संलग्न परिसंपत्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया है

शुरू किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने श्री न्यायमूर्ति *(*सेवानिवृत्त*)* की अध्यक्षता में *3* सदस्यीय समिति नियुक्त की है। वी. सी. डागा और वित्त और कानून के *2* विशेषज्ञ चूककर्ताओं की संपत्ति की वसूली और मुद्रीकरण के लिए। रु. अब तक *558.83* करोड़ की वसूली की जा चुकी है, जिसमें से रु। *379.83* चूककर्ताओं से एक करोड़ रुपये प्राप्त/बरामद किए गए हैं। *179* एन. एस. ई. एल. द्वारा छोटे उद्योगों को एक करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

व्यापारी/निवेशक।

8.2 . प्रवर्तन निदेशालयः

ईडी ने रुपये की अपराध आय का पता लगाया है। *3973.83*

25 चूककर्ताओं को करोड़*;*

ईडी ने एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। *837.01 12* करोड़ से संबंधित

ऋण चुकाने वाले*;*

पीएमएलए में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां

ईडी द्वारा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।

8.3 . उपरोक्त स्थिति इंगित करती है कि उक्त प्रवर्तन एजेंसियां

वे अपने आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं।

56.2 . अगस्त *2014* में एफ. एम. सी. के संबंध में अंतिम समामेलन आदेश की तारीख तक, बड़े पैमाने पर बिना विलय के ही इसका समाधान कर दिया गया है।

एकीकरण। *2013* की "आपातकालीन स्थिति", जिसमें केंद्र सरकार के अनुसार भी अनिवार्य कदम उठाने की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार के आदेश के पारित होने तक समामेलन गायब हो गया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम की धारा *396* को लागू करने का कारण समय के साथ गायब हो गया है। वास्तव में, आज तक, चूककर्ताओं के खिलाफ *3365* करोड़ रुपये के फरमान/पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा स्पष्ट रूप से आई. एन. आर. *835.88* करोड़ प्राप्त किए गए हैं।

उच्च न्यायालय, एक समामेलित कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. के वित्तीय संसाधनों का उपयोग किए बिना भी। इसलिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो उभर रहा था, और इसलिए, आवश्यक था, एफ. एम. सी. के अनुसार भी और

समामेलन आदेश दिए जाने तक *2016* में सरकार का काफी हद तक समाधान कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार का आदेश धारा *396* के अनिवार्यता पहलू पर अपना ध्यान बिल्कुल भी लागू नहीं करता

है। वास्तव में, कई स्थानों पर, यह "आवश्यक सार्वजनिक हित" को संदर्भित करता है जैसे कि "आवश्यक" धारा *396* के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक अलग और विशिष्ट शर्त होने के बजाय "सार्वजनिक हित" के साथ जाता है।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

तथ्यों पर, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनिवार्यता परीक्षण, जो धारा *396* पर लागू होने की पूर्व शर्त है, को संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है।

57. बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही के दौरान, एफ. टी. आई. एल. ने डिफॉल्टरों से बकाया वसूलने, विभिन्न मामलों का बचाव करने और डिफॉल्टरों से राशि की वसूली के लिए विभिन्न पक्षों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए एन. एस. ई. एल. का समर्थन करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए *50* करोड़ रुपये तक की राशि डालने के लिए अपने संकल्प दिनांक आई. डी. *1* को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत किया। डिवीजन बेंच इस हलफनामे को इस प्रकार संदर्भित करती है:

" 293] इस स्तर पर, जब इन याचिकाओं में अंतिम सुनवाई काफी आगे बढ़ गई थी, तो एफ. टी. आई. एल. ने *28* मार्च *2016* को अपने प्रस्ताव को दर्ज करने के लिए *4* जुलाई *2017* को एक हलफनामा प्रस्तुत किया। *50* प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए करोड़, अर्थात एन. एस. ई. एल. को चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने में सहायता करने के लिए; विभिन्न कानूनी मामलों का बचाव करने के लिए; चूककर्ताओं से राशि की वसूली के लिए विभिन्न पक्षों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए; और कार्यशील पूंजी के लिए। हलफनामे में कहा गया है कि इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस तरह के वित्त का प्रस्ताव किया गया है

एन. एस. ई. एल. के अनुरोध पर लगाया गया।
294] 4 जुलाई *2017* के हलफनामे में यह भी पुष्टि की गई है कि एन. एस. ई. एल. की गतिविधियाँ रुक गई हैं, हालांकि, हलफनामे में ऐसी स्थिति के लिए एफ. एम. सी. को दोषी ठहराया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अब तक एफ. टी. आई. एल. ने लगभग

रु. *109* एन. एस. ई. एल. के साथ, मुख्य रूप से कानूनी कार्यवाही का मुकदमा चलाने और बचाव करने के लिए। एन. एस. ई. एल. द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक के आदेश प्राप्त करने का संदर्भ है। *1200* करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के खिलाफ निषेधाज्ञा और ऋण चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों के खिलाफ निषेधाज्ञा। *5444.31* करोड़। हलफनामे में आगे कहा गया है कि एफ. टी. आई. एल. एन. एस. ई. एल. के विनिमय मंच पर भुगतान संकट की घटना के बाद से चूककर्ताओं से वसूली के उद्देश्यों के लिए एन. एस. ई. एल. को धन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

295] यदि श्री चिनॉय का यह तर्क कि एन. एस. ई. एल. या एन. एस. ई. एल. के कामकाज में कोई समस्या नहीं है

यदि चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए वित्तीय और अवसंरचनात्मक दोनों आवश्यक साधनों को स्वीकार किया जाना है, तो *[2019] 8* एस. सी. आर. से योगदान पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था।

एफ. टी. आई. एल., जिसे देर से बनाया या प्रस्तावित किया जाता है। एफ. टी. आई. एल.

आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए, वास्तव में, समर्थन देता है
इस विवादित आदेश में तर्क दिया गया है कि एन. एस. ई. एल. में अपने दम पर इसकी कमी है।

किसी भी वसूली को प्रभावित करने के लिए वित्तीय के साथ-साथ अवसंरचनात्मक क्षमता
चूककर्ताओं से। *4* जुलाई, *2017* का शपथ पत्र और

28 मार्च *2016* का संकल्प भी व्यवसाय का संकेत है।

स्थिति की वास्तविकता, जो संयोग से एक और आधार है
विवादित क्रम में "।

(मूल में जोर*)*

58. उपरोक्त हलफनामे पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी नहीं है

सही है। हलफनामा इस आधार पर आगे बढ़ता है कि चूंकि एन. एस. ई. एल. की गतिविधियां रुक गई हैं, इसलिए एफ. टी. आई. एल. एन. एस. ई. एल. को चूककर्ताओं से वसूली करने में मदद करेगा। हलफनामे में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एन. एस. ई. एल. के कामकाज में कोई समस्या नहीं है, या एन. एस. ई. एल. के पास चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए आवश्यक साधन हैं या नहीं हैं। यहां तक कि हमारे समक्ष सुनवाई में भी, एफ. टी. आई. एल. ने एक हलफनामा-सह-वचन पत्र दिनांक *1* प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि वह एन. एस. ई. एल. में धन का निवेश करना जारी रखेगा ताकि चूककर्ताओं से बकाया की वसूली किसी भी तरह से बाधित न हो। हम इस शपथ-पत्र और वचन-पत्र को अभिलेख में लेते हैं और इस न्यायालय के समक्ष किए गए इस वचन-पत्र को एफ. टी. आई. एल. मानते हैं।

59. जब "निजी" के विपरीत "सार्वजनिक हित" की बात आती है

जिन निवेशकों/व्यापारियों को ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, उनका *12.02.2016* दिनांकित समामेलन आदेश पढ़ना दिलचस्प बनाता है। आदेश की शुरुआत में ही जनहित के बारे में संतुष्टि इस प्रकार दी गई है:

"जबकि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि लाभ उठाने के लिए

संयुक्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी और भंडार, पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करते हैं,

कुशल प्रशासन, अधिकारों और देनदारियों का लाभकारी निपटान

नीति में समन्वय, यह जनहित में आवश्यक है।
शुरुआत में जो कहा गया है उसे पैराग्राफ *2.14* में दोहराया गया है। *2* के रूप में

निम्नलिखित है:

" *2.14. 2* केंद्र सरकार ने भी सावधानीपूर्वक विचार किया

एफ. एम. सी. और डी. ई. ए. से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया

राय है कि संयुक्त परिसंपत्तियों, पूंजी और भंडार का लाभ उठाने के लिए
कुशल प्रशासन और अधिकारों का संतोषजनक निपटान और *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एन. एस. ई. एल. के हितधारकों और लेनदारों की देनदारियों के लिए, एन. एस. ई. एल. का एफ. टी. आई. एल. के साथ विलय करना अनिवार्य सार्वजनिक हित में होगा। "

यह देखा जाएगा कि "जनहित" के संबंध में उपयोग की जाने वाली सभी अभिव्यक्तियों का संबंध केवल दोनों कंपनियों के व्यवसायों से है जो

समामेलित किए जाने की मांग की जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन दो कंपनियों को संदर्भित किया गया है, उनके व्यवसायों के विपरीत आम जनता का कोई हित नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त परिसंपत्तियों, पूंजी और भंडार का लाभ केवल कुछ हितधारकों और लेनदारों की देनदारियों का निपटान करने के लिए है जब आदेश को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, और इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों कंपनियों के व्यवसाय पूरी तरह से अलग थे। जहां तक बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और कुशल प्रशासन प्राप्त करने का सवाल है, यह देखना मुश्किल है कि यह इस मामले में तथ्य स्थिति पर कैसे लागू होगा, जहां एनएसईएल एक कंपनी है।

जिसने कम से कम एक वस्तु विनिमय के रूप में काम करना बंद कर दिया है

जुलाई, *2013* से प्रभावी, जिसमें किसी भी पुनरुद्धार की कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रकार, व्यवसायों के समेकन के बारे में बात वास्तव में मौजूद नहीं है, क्योंकि एन. एस. ई. एल. का व्यवसाय थम गया है, जैसा कि एफ. एम. सी. और स्वयं केंद्र सरकार ने देखा है। इन अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक, जब शेष क्रम के साथ पढ़ा जाता है, तो केवल यह दर्शाता है कि समामेलन क्रम का एकमात्र उद्देश्य उद्घाटन में उपयोग किए गए उच्च-ध्वनि वाले वाक्यांशों से बहुत दूर है, और वास्तव में केवल बकाया की त्वरित वसूली को प्रभावित करने के लिए है।

आई. एन. आर. *5600* करोड़, जिसका उल्लेख एफ. एम. सी. के पत्र में सचिव, निगमित कार्य मंत्रालय, दिनांक *18.08.2014* को किया गया है। यह विशेष रूप से, आदेश के दो पैराग्राफ, अर्थात् पैराग्राफ *2.13* के पठन से स्पष्ट होगा। *2* और *2.13*। *3* , जो इस प्रकार हैः

कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *396* के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा एफ. टी. आई. एल. के साथ एन. एस. ई. एल.। यह है प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग *(*डी. ई. ए.*)* द्वारा समर्थित, एफ. एम. सी. ने आवश्यक जनहित में एफ. टी. आई. एल. के साथ एन. एस. ई. एल. के विलय/एकीकरण का प्रस्ताव रखा है ताकि मानव*/[2019] 8* एस. सी. आर.

एफ. टी. आई. एल. के वित्तीय संसाधनों को एन. एस. ई. एल. में चूककर्ताओं से बकाया की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है।
एफ. टी. आई. एल. एन. एस. ई. एल. में भुगतान संकट को जल्द से जल्द हल करने की जिम्मेदारी लेता है।

59.1 . हालाँकि, केंद्र सरकार ने इस आदेश का इस आधार पर समर्थन किया कि यह अनिवार्य रूप से तीन आधारों पर जनहित में किया गया है, जिन्हें बार-बार विवादित निर्णय द्वारा संदर्भित किया जाता है। विवादित फैसले में बताए गए तीन आधार इस प्रकार हैं:

*"269. ..... (*क*)* एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. के व्यवसायों को समेकित करके, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं, अग्रिम अनुबंधों और आदान-प्रदानों में जनता के विश्वास को बहाल करना/संरक्षित करना; *(ख)* एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के व्यवसायों को समेकित करके मामले की व्यावसायिक वास्तविकताओं को प्रभावी बनाना और एफ. टी. आई. एल. को एन. एस. ई. एल. से दूरी बनाने से रोकना, जो कि अन्यथा भी, इसका अहंकार है; और *(ग)* एन. एस. ई. एल. को मानव संसाधन जुटाकर चूककर्ताओं से बकाया वसूल करने में सुविधा प्रदान करना।

एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के वित्तीय संसाधन। इसके अलावा, हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि इन तीनों आधारों में से प्रत्येक धारा *396* के प्रावधानों के संदर्भ में जनहित का एक पहलू है।

99

59.2 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित पहले और दूसरे आधार आदेश के मसौदे में निहित नहीं हैं।

एकीकरण। यदि उन्हें इस तरह नियंत्रित किया जाता, तो सभी हितधारकों द्वारा आपत्तियां और सुझाव दिए जाते, जिन पर केंद्र सरकार अंतिम आदेश पारित करने से पहले विचार करने के लिए बाध्य होती। हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि पहला और दूसरा आधार वास्तव में उन तथ्यों से लिए गए निष्कर्ष हैं जो पहले से ही आदेश में बताए गए हैं और इन निष्कर्षों को मसौदा आदेश में बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें डर है कि यह तर्क गलत है क्योंकि कारण *(ए)* और *(*बी*)* में निहित आधार महत्वपूर्ण आधार हैं जिनका प्रश्नगत समामेलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि ये आधार मसौदा आदेश में निहित थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों और लेनदारों और स्वयं एफ. टी. आई. एल. को ऐसा करने का अवसर मिला होगा:

उसी पर टिप्पणी करें। उदाहरण के लिए, मामले की "व्यावसायिक वास्तविकताएं" एफ़. टी. आई. एल. को ज्ञात तथ्य हैं; और एन. एस. ई. एल., एफ़. टी. आई. एल. का अहंकार होने के कारण,

विभिन्न मुकदमों में विवाद का विषय जो दायर किए गए हैं और निर्णय के लिए लंबित हैं। एफ. टी. आई. एल. *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को कारण बताते हुए जवाब दे सकता था।

*(*वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एन. एस. ई. एल. इसका अहंकार क्यों नहीं है। इसके अलावा, क्या विलय, वास्तव में, अग्रिम अनुबंधों और विनिमयों में जनता के विश्वास को बहाल करने या संरक्षित करने के लिए है, यह एक विषय है जिस पर एफ. टी. आई. एल., इसके शेयरधारक और

लेनदार, टिप्पणी कर सकते थे। समान रूप से, क्या एन. एस. ई. एल. का विनिमय भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का एक आवश्यक और अभिन्न अंग था, और क्या इस निष्क्रिय व्यवसाय को समेकित किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सके, ये सभी एफ. टी. आई. एल. और इसके प्रबंधकों द्वारा टिप्पणी के लिए विषय हैं। शेयरधारक और लेनदार। इन सभी कारणों से, हम इस आधार पर उत्तरदाताओं के तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केवल इस आधार पर, यह मानते हुए भी कि ये दो आधार प्राप्त किए गए हैं और अंतिम आदेश से हटाए जा सकते हैं, मसौदा आदेश में निहित नहीं होने के कारण, उक्त आधार धारा *396 (3)* और *(4)* का उल्लंघन होगा, और इसलिए, आदेश का समर्थन करने के लिए नहीं देखा जा सकता है।

59.3 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफ. टी. आई. एल. द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में आधार *(ए)* और *(बी)* दोनों को निकाला गया है। सटीक आपत्ति

उठाया गया और दिया गया जवाब नीचे उद्धृत किया गया है:

" *7.2. 1* . एफ. टी. आई. एल. ने समामेलन की पृष्ठभूमि और कारणों को चुनौती दी है क्योंकि अधिनियम की धारा *396* के तहत शक्ति का उपयोग केवल सरकारी कंपनियों के मामले में किया गया है। यह तर्क वैधानिक प्रावधानों के दायरे का अपमान नहीं करता है। शीर्षक कंपनी में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सार्वजनिक हित में अधिनियम की धारा *396* के वैधानिक प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति

एन. एस. ई. एल की स्थिति। विलय को जन हित प्रेरित कर रहा है
मामले की व्यावसायिक वास्तविकताओं में निर्धारित किए गए हैं, यह मामले के तथ्यों और एफ. एम. सी. की सिफारिशों के साथ-साथ इसके दिनांकित *17-12-2013* के आदेश से नोट किया जाता है जो कब्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

जनता के विश्वास और स्थापना के उद्देश्य को तोड़ना

जिंस विनिमय पराजित हो गया है "।

" *7.2. 6* . एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के अलग-अलग उद्देश्य हैं।

और संचालन की प्रकृति और पूरी तरह से भिन्न और
असंबद्ध वस्तुएँ, और इसलिए कोई तालमेल, कुशल नहीं है

प्रशासन, व्यवसाय का समेकन या समन्वय

जबरन समामेलन द्वारा प्राप्त की जाने वाली नीति; तर्क

एकीकरण के उद्देश्य। तत्काल मामले में, एकीकरण
अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित में अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित है।

सभी इरादों और उद्देश्यों से, जिस तरह से दोनों कंपनियाँ थीं

एन. एस. ई. एल. का प्रबंधन, स्वामित्व और नियंत्रण होने के कारण एन. एस. ई. एल. का अहंकार बदल जाता है।

एफ. टी. आई. एल. और इस प्रकार, दोनों कंपनियाँ व्यावहारिक रूप से एक इकाई रही हैं।

सभी हितधारक भी उन्हें एक इकाई के रूप में देख रहे थे। द.

समामेलन यू/एस। *396* अधिनियम का केवल इस व्यावहारिक को औपचारिक रूप देता है

XXX XXX XXX " *7.2. 8* . एफ. टी. आई. एल.
ने केंद्र के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है।

धोखाधड़ी और दावे के सवाल पर सरकार करेगी फैसला

396 एन. एस. ई. एल. के विलय के लिए आवश्यक लोक हित में अधिनियम,
जो एफ. टी. आई. एल. की लगभग पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। विलय

यह कथित धोखाधड़ी पर निर्णय नहीं है। विलय का लक्ष्य है
में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए

हितधारकों का सर्वोत्तम हित "।

(मूल में जोर*)*

यह ध्यान दिया जाएगा कि पैराग्राफ *7.2* में आपत्ति उठाई गई है। *1* है।

कि धारा *396* का उपयोग केवल सरकारी कंपनियों के मामले में किया जा सकता है, जबकि दिया गया उत्तर यह है कि मामले की व्यावसायिक वास्तविकताओं और *17.12.2013* के एफ. एम. सी. आदेश को देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता है, जो जनता के विश्वास के गंभीर टूटने पर पर्याप्त प्रकाश डालता है और कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया है। सबसे पहले

और सबसे महत्वपूर्ण, जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मामले की "व्यावसायिक वास्तविकताएं" वही हैं जो "एफएमसी की सिफारिशों" में निहित हैं। हमने देखा है कि ये सिफारिशें *18.08.2014* दिनांकित एक पत्र के रूप में हैं, जिसमें "व्यावसायिक वास्तविकता" यह है कि *5600* करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाना है, और एनएसईएल के पास *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नहीं है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ऐसा करने के लिए। इस प्रकार, इसकी मूल कंपनी के वित्तीय संसाधनों का उपयोग इस तरह के भुगतान को प्रभावित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए यह "व्यावसायिक वास्तविकता" केवल उन निवेशकों/व्यापारियों के निजी हित की बात करती है जिनके पास है

कथित रूप से ठगा गया *(*जो तथ्य केवल *2014* में उनके द्वारा दायर मुकदमों में स्थापित किया जाएगा*)*, और इसके अलावा कुछ भी नहीं *(*जो सार्वजनिक हित के कुछ निशान दिखाएगा*)*। समान रूप से, जनता के विश्वास और जिंसों के आदान-प्रदान की स्थापना के उद्देश्य को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के अनुसार, यह एफ. एम. सी. के दिनांकित *17.12.2013* आदेश पर एक विवरण है। यदि ऐसा होता, तो एन. एस. ई. एल. के जिंस विनिमय के पुनरुत्थान या पुनरुद्धार की उम्मीद की जा सकती थी, जिसे इसके प्रबंधन के अधिग्रहण से हासिल किया जा सकता था। यह कल्पना करना मुश्किल है कि एन. एस. ई. एल. के जिंस विनिमय को स्थायी रूप से बंद करने से जनता के विश्वास को गंभीर रूप से टूटने से केवल कुछ कथित रूप से ठगे गए निवेशकों/व्यापारियों को बकाया राशि का भुगतान करने में सुविधा होगी, जो तथ्य उनके द्वारा दायर मुकदमों में साबित या गलत साबित होगा जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित हैं। किसी भी मामले में, यह कारण एफ. टी. आई. एल. द्वारा उठाई गई आपत्ति के उत्तर के रूप में पूरी तरह से अप्रासंगिक है, जो कि, जैसा कि हमने देखा है, एक आपत्ति है जिसमें कहा गया है कि यह धारा केवल सरकारी कंपनियों पर लागू होती है। इसके अलावा, अगर एफ. टी. आई. एल. ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं की होती, तो ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आता। जहाँ तक परिच्छेदों की बात है

7.2. 6 और *7.2*। *8* आदेश के संबंध में, आदेश में ही जो स्वीकार किया गया है, वह यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में "धोखाधड़ी" पर कोई "निर्णय" नहीं है, और इस प्रकार, समामेलन से पहले की कंपनियों के निगमित आवरण को हटाने की कवायद नहीं है। समामेलन आदेश यह कहते हुए खुद का खंडन करता है कि एन. एस. ई. एल. एफ. टी. आई. एल. का अहंकार है, और इस प्रकार, दोनों कंपनियां व्यावहारिक रूप से एक इकाई हैं। किसी भी स्थिति में, ये पैराग्राफ इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि 'अहंकार परिवर्तन' तर्क सार्वजनिक हित को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए, इन सभी कारणों से, न तो कारण *(*ए*)* और न ही कारण *(*बी*)* हमें और अधिक रोके रखना चाहिए। इसलिए, कारण *(*ग*)* ही एकमात्र कारण है जो वास्तव में बना हुआ है, जैसा कि केंद्र सरकार को एफ. एम. सी. द्वारा *18.08.2014* के पत्र में निहित है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह कारण, अपने आप में, निवेशकों/व्यापारियों के एक समूह के निजी हित की रक्षा है, जो सार्वजनिक हित से अलग है।

59.4 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा *396 (4) (*बी*)* के तहत, केंद्र सरकार, सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद उल्लिखित हितधारक, ऐसे सुझावों और आपत्तियों के आलोक में मसौदा आदेश में संशोधन करें जो इसे वांछनीय लग सकता है। केंद्र सरकार के आदेश *[2019] 8* एस. सी. आर. में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

जैसा कि अंत में किया गया। यदि केंद्र सरकार ने वास्तव में यह माना होता कि इन तीन कारणों में से प्रत्येक सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है, तो विभिन्न दलों द्वारा सुझाव और आपत्तियां दिए जाने के बाद उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा होता।

जो, जैसा कि हमने देखा है, जनहित को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। कारण *(*ए*)* और *(*बी*)*, जिनका कुछ हिस्सा अंतिम आदेश में दी गई आपत्तियों और सुझावों के उत्तरों से निकाला गया है, केवल केंद्र सरकार द्वारा समामेलन आदेश के बाद अलग से दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि धारा *396* की उप-धारा *(4)* द्वारा निर्धारित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वास्तव में पालन किया गया है। यह अंतिम आदेश के पैराग्राफ *6.3* और *7* से स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है:

" *6.3* . केंद्र सरकार ने लिखित रूप में और इसके माध्यम से प्राप्त किया

7. एफ. टी. आई. एल., एन. एस. ई. एल. और अन्य पक्षों की आपत्तियों, सुझावों और प्रस्तुतियों से निपटते हुए-पार्टियों ने प्रस्तावित समामेलन पर विभिन्न आपत्तियां, सुझाव और प्रस्तुतियाँ दी हैं। *396 21-10-2014* दिनांकित आदेश पर अधिनियम का
केंद्र सरकार द्वारा जारी मसौदा प्रपत्र में। उक्त आपत्तियाँ, सुझाव और प्रस्तुतियाँ केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त सुनवाई और लिखित प्रस्तुतियों *(*भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से*)* के दौरान की गई थीं।

तिथियाँ। प्रत्येक पक्ष द्वारा की गई उक्त आपत्तियों, सुझावों और प्रस्तुतियों को नीचे दिए गए तरीके से निपटाया गया है। "

59.5 . अब तक हम केंद्र सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने कारण *(*ए*), (*बी*)* और *(*सी*)* को जनहित के आधार के रूप में बताते हुए जवाब से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं।

उन आपत्तियों को दिया जाता है जो आदेश में ही निहित हैं। " अग्रिम अनुबंधों और आदान-प्रदान में जनता के विश्वास को बहाल करना/सुरक्षित करना,

जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं और वित्तीय प्रणाली, एन. एस. ई. एल. और एफ. टी. आई. एल. के व्यवसायों को समेकित करके, आदेश में आपत्तियों के लिए दिए गए उत्तर में निहित नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जनता का विश्वास बहाल करना आदेश का कोई हिस्सा नहीं है।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्या है*? (* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि विवादित आदेश जनहित में दिया गया है। *60.* उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने गणेश बैंक के फैसले पर बहुत भरोसा किया है

अपीलार्थी के साथ विलय के प्रस्ताव के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई अन्य बैंकों में से फेडरल बैंक का चयन किया गया था। बैंक बिना शर्त था, फेडरल बैंक ने पूरा भुगतान करने का वचन दिया

जमाकर्ताओं को।

61. गणेश बैंक *(*उपरोक्त*)* में निर्णय का सामना एक स्थगन के बाद अपीलार्थी बैंक के विलय के साथ किया गया था

इसे लागू किया गया क्योंकि यह पाया गया कि इसकी स्थिति बहुत कमजोर थी, जिससे वित्तीय वर्ष *2004-05* में भारी नुकसान हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा *45* इस प्रकार है:

"*45.* रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक पर लागू होने की शक्ति

बैंकिंग द्वारा व्यवसाय के निलंबन के लिए सरकार
कंपनी और पुनर्गठन की योजना तैयार करना या

एकीकरण। — *(1)* इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों या किसी अन्य विधि या किसी *[2019]* एस. सी. आर. में किसी बात के होते हुए भी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता या अन्य लिखत, जो अभी लागू है, जहां

रिजर्व बैंक को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करने का उचित कारण है, रिजर्व बैंक किसी बैंकिंग कंपनी के संबंध में स्थगन के आदेश के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है।

XXX XXX XXX

(4) अधिस्थगन की अवधि के दौरान, यदि रिजर्व बैंक संतुष्ट है

कि

((क) लोक हित में; या *((ख)* जमाकर्ताओं के हितों में; या

(ग) बैंकिंग के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए
कंपनी; या

((घ) देश की बैंकिंग प्रणाली के हित में

पूरा,

ऐसा करना आवश्यक है, रिजर्व बैंक एक तैयार कर सकता है

योजना

((i) बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए, या

((ii) बैंकिंग कंपनी के किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ विलय के लिए *(*इस खंड में जिसे "

अंतरिती बैंक *")*।

XXX XXX "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनियों की धारा *396* के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि इनमें से किसी एक पर हो सकती है।

आधार। ऐसी संतुष्टि लोक हित में हो सकती है याजमाकर्ताओं की स्थिति। वास्तव में इस बिंदु पर अनुच्छेद *34* में प्रकाश डाला गया है।

डीगमेंट इस प्रकार है:

"34. धारा *45* की उप-धारा *(1)* में *"*अच्छे कारण*"* वाक्यांश व्यापक आयाम का एक शब्द है और इसे केवल अधिनियम की धारा *45* की उप-धारा *(2)* के तहत उल्लिखित कार्यों तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है। प्रावधान यह है कि

पुनर्निर्माण की योजना तैयार करने से संबंधित या

समामेलन जो आवश्यक हो जाएगा जहां आर. बी. आई.

धारा *45 (4)* में उल्लिखित चार आधारों में से किसी एक के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट। जनहित और आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के हितों के अलावा।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बैंकिंग प्रणाली, जो इसके खंड *(*ए*)* और *(*डी*)* में प्रदान की गई है, धारा *45 (4)* निम्नलिखित के हित में आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान करती हैः

जमाकर्ताओं या उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने की दृष्टि से

बैंक जो उस उप-धारा में खंड *(*ख*)* और *(*ग*)* हैं। योजना के निर्माण के पूर्ववर्ती अधिस्थगन का अधिरोपण है जो धारा *45* की उप-धारा *(1)* और *(2)* में प्रदान किया गया है। धारा *45 (2)* में उल्लिखित अदालती कार्यवाही का अस्तित्व निश्चित रूप से स्थगन लागू करने के अच्छे कारणों में से एक होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है, *"*अच्छे कारणों*"* की अवधारणा की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए।

अपनाया गया, और संकीर्ण नहीं। *"*

फैसले में आगे कहा गया हैः *"39.* अब जहां तक पुनर्निर्माण पर विचार न करने और फेडरल बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव रखने के पहले दो प्रश्न हैं -

बैंक। इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य था कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम की धारा *45* के तहत बैंक के साथ इसके विलय के माध्यम से व्यवस्था की जानी थी। इसलिए, आर. बी. आई. ने एक प्रयास किया और अपीलार्थी से अपील की।

बैंक, कि यदि संभव हो, तो किसी अन्य मजबूत बैंक के साथ विलय की संभावना का पता लगाने के लिए। इसने यह प्रभावित करने का भी प्रयास किया था कि नई पूंजी का निवेश होना चाहिए। वह नहीं आ रहा था। अधिक धन लाकर या उसके द्वारा पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

अपीलार्थी बैंक के आकार को कम करना जो संभव नहीं प्रतीत होता था। एकमात्र विकल्प एकीकरण बचा था।

इस प्रकार, गणेश बैंक *(*उपर्युक्त*)* की दो विशेषताएँ उक्त को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करती हैं। पहला, कि एंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा *45* के तहत, जमाकर्ताओं के हित को देखा जाना चाहिए क्योंकि यही कारण था जिसके कारण समामेलन हुआ। दूसरा, इस टी ने पाया कि अन्य विकल्पों की खोज करने के बाद, एकमात्र विकल्प बचा था

एफ समामेलन।

महत्वपूर्ण है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा *45 (4) (*बी*)* और *(*सी*)* के तहत, विलय की योजना तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि किसी विशेष बैंक के जमाकर्ताओं के हित में या किसी विशेष बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए हो सकती है। यह धारा के खंड *(*ए*)* और *(*डी*)* के विपरीत होना चाहिए। *45 (4)* , जो जनहित और समग्र रूप से देश की बैंकिंग प्रणाली के हित की बात करते हैं। तथ्यों के आधार पर इस फैसले ने वित्तीय रूप से कमजोर बैंक के जमाकर्ताओं के हित में वित्तीय रूप से मजबूत बैंक के साथ वित्तीय रूप से कमजोर बैंक का विलय कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो विलय की गई संस्थाओं का व्यवसाय समान है, साथ ही फेडरल बैंक की *(*यानी, मजबूत बैंक की*)* विलय की इच्छा भी, विलय के लिए एक बिना शर्त प्रस्ताव होने के कारण क्योंकि यह महसूस किया गया कि विलय के बाद, इसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

पश्चिमी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बेलगाम क्षेत्र में उपस्थिति, और कृषि क्षेत्र के लिए अपने ऋण वितरण को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, चूंकि जमाकर्ताओं का हित एक अलग शीर्ष है, जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक दो बैंकिंग कंपनियों का विलय कर सकता है, इसलिए यह है -

स्पष्ट करें कि केवल यह कारण लोक हित में नहीं जाएगा, जो धारा *45 (4)* में निहित एक अलग शीर्ष है। यह इस संदर्भ में है कि अनुच्छेद *44* में निहित अवलोकन किया गया है, अर्थात्:

"*44.* अधिनियम की धारा *45* के तहत, प्राथमिक विचार जनहित है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने का एक अंतर्निहित उद्देश्य है। आपात स्थिति जो अभियान के साथ कार्रवाई की आवश्यकता है, कुछ समय के लिए अनदेखी नहीं की जा सकती है।

कार्रवाई की वैधता तय करना "।

63. उच्च न्यायालय में वकील के साथ-साथ इस न्यायालय में वकील द्वारा इस आधार पर आदेश का समर्थन करने के लिए साहसी प्रयास किए गए हैं कि आदेश के बाहर हैं, यह कहते हुए कि ऐसे आधार यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मामले में, सरकारी आदेश जनहित में किया गया है। मोहिंदर सिंह गिल *(*ऊपर*)* में प्रसिद्ध अंश में कहा गया है कि:

"*8.* दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी वैधता *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड होती है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*)* *v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस प्रकार उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है या

अन्यथा। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, जब तक यह किसी चुनौती के कारण न्यायालय में आता है, तब तक इसके द्वारा मान्य हो सकता है

बाद में अतिरिक्त आधार सामने लाए गए। हम यहाँ गोरधनदास भंजी में जे. बोस की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पुलिस, बॉम्बे बनाम। गोरधनदास भंजी, ए. आई. आर *1952* एस. सी. *16]:*

"सार्वजनिक आदेश, सार्वजनिक रूप से बनाए गए, एक वैधानिक अभ्यास में

प्राधिकार का अर्थ स्पष्टीकरणों के आलोक में नहीं लगाया जा सकता है।
बाद में अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश कि उसका क्या मतलब था, या उसके दिमाग में क्या था, या वह क्या करना चाहता था। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेशों का अर्थ है

सार्वजनिक प्रभाव और उन लोगों के कार्यों और आचरण को प्रभावित करने का इरादा है जिनके लिए उन्हें संबोधित किया जाता है और आदेश में उपयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से समझा जाना चाहिए।

स्वयं "।

ऑर्डर पुरानी शराब की तरह नहीं हैं जो बढ़ती हुई बेहतर होती जा रही हैं।
उम्रदराज़ "।

हमारा विचार है कि यह केंद्र सरकार है जिसे "संतुष्ट" होना चाहिए कि उसका आदेश सार्वजनिक हित में है और इसलिए ऐसी "संतुष्टि" केंद्र सरकार की ही होनी चाहिए और इसलिए, आदेश से ही प्रकट होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए गए इन सभी बहादुर प्रयासों को खारिज किया जाना चाहिए।

64. हालांकि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से

उत्तरदाताओं ने अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड और ए. एन. आर. का हवाला दिया है। वी. के. श्याम कुमार और अन्य। , *(2010) 6* एस. सी. सी. *614,* जो उनके अनुसार, मोहिंदर सिंह गिल *(*उपरोक्त*)* मामले में निर्णय को लागू नहीं करता है, जहां व्यापक जनहित शामिल है। इसमें

निर्णय में, मोहिंदर सिंह गिल *(*ऊपर*)* को इस प्रकार प्रतिष्ठित किया गया थाः

"*44.* हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में एक गंभीर त्रुटि की है कि बोर्ड का आदेश हो सकता है

केवल सतर्कता की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आदेश में बताए गए कारणों के आधार पर निर्णय लिया जाए, न कि बाद के आधार पर।
सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत सामग्री। संभवतः उच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखा था

गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त। *[(1978) 1* एससीसी *405] [2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. हमारा विचार है कि निर्णय निर्माता हमेशा बाद की सामग्री पर भरोसा कर सकता है ताकि पहले से लिए गए निर्णय का समर्थन किया जा सके जब व्यापक सार्वजनिक हित शामिल हो। मध्यम शिक्षा मंडल, एम. पी. बनाम में यह न्यायालय। अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति
[(1998) 9 एस. सी. सी. *236]* ने आयोजित परीक्षा के रद्द होने को बनाए रखने के लिए बाद की रिपोर्ट पर निर्भरता रखने में कोई अनियमितता नहीं पाई, जहां सामूहिक नकल के गंभीर आरोप थे। मोहिंदर सिंह गिल मामले *[(1978) 1* एस. सी. सी. *405]* में निर्धारित सिद्धांत लागू नहीं होता है जहां व्यापक जनहित शामिल है और ऐसी स्थितियों में, किसी आदेश की वैधता की जांच करने के लिए अतिरिक्त आधारों पर विचार किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट को दिनांकित *4-6-2004* के आदेश की वैधता की जांच करने के लिए नहीं देखा जा सकता है, को कायम नहीं रखा जा सकता है।

शामिल है। यह केवल बाद की सामग्री है, यानी, तथ्यों के रूप में सामग्री जो विचाराधीन आदेश पारित होने के बाद हुई है, जिसे व्यापक सार्वजनिक हित में देखा जा सकता है, ताकि एक समर्थन किया जा सके प्रशासनिक आदेश। पी. आर. पी. निर्यात और अन्य मामलों में भी यही निर्णय लिया गया है। वी. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य। *, (2014) 13* एस. सी. सी. *692 [*पैराग्राफ *8* पर*]*। यह किसी का मामला नहीं है कि केंद्र सरकार के अंतिम आदेश के पारित होने के बाद ऐसी कोई सामग्री या तथ्य हैं जिन्होंने जनहित को प्रभावित किया है, और इसलिए, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तथ्यों पर, इसलिए, उत्तरदाताओं की ओर से उद्धृत दो निर्णयों का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून में ठीक से प्रशिक्षित व्यक्तियों का कोई भी उचित निकाय संभवतः इस मामले के तथ्यों पर यह नहीं मान सकता है कि एफ. टी. आई. एल. और एन. एस. ई. एल. के बीच अनिवार्य एकीकरण सार्वजनिक हित में होगा।

65. धारा *396 (3)* समामेलन आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी में शेयरधारक या लेनदार के हित या कंपनी के खिलाफ अधिकारों की बात करती है।

इस तरह के "हित" या "अधिकारों के खिलाफ" स्पष्ट रूप से वास्तविक और मूल अधिकारों को संदर्भित करता है, जो केवल उन अधिकारों के विपरीत हैं जो केवल रूप में हैं। एक शेयरधारक या लेनदार एक समामेलन आदेश द्वारा प्रभावित होता है यदि उसका मूल्य

समामेलन के परिणामस्वरूप शेयर समाप्त हो जाता है और यदि वह लाभांश देता है

समामेलन के परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए भुगतान में कमी आने की संभावना है। इसी तरह, एक विलायक कंपनी का लेनदार सीधे एक समामेलन द्वारा प्रभावित होता है जिसके द्वारा ऐसे *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा उधार दी गई राशि।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

समामेलन के परिणामस्वरूप, समामेलन नहीं होने की तुलना में लेनदार को समय पर भुगतान किए जाने की संभावना कम हो जाती है। सदस्यों और लेनदारों के ऐसे अधिकार और हित मूल अधिकार हैं, जो जब समामेलन से प्रभावित होते हैं, तो मुआवजे के रूप में दिए जाने की आवश्यकता होती है -

भुगतान किया। किसी कंपनी का प्रत्येक शेयरधारक और वास्तव में, किसी कंपनी का प्रत्येक लेनदार, केवल अपने हिस्से के "आर्थिक मूल्य" से संबंधित होता है या

यथास्थिति, किसी कंपनी को दिया गया ऋण। जिस क्षण शेयर मूल्य, वास्तविक रूप से, कम होने की संभावना है, और/या दिए गए ऋणों को समामेलन के परिणामस्वरूप समय पर या बिल्कुल भी चुकाया नहीं जा सकता है, समामेलित कंपनी के ऐसे सदस्य या लेनदार इस आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के समान रूप से हकदार हैं जैसा कि सदस्य और ऋणदाता हैं।

समामेलित कंपनी के लेनदार, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर। धारा *396* को उचित आधार दिया जाना चाहिए। साथ ही, प्रत्यर्थियों द्वारा सुझाए गए निर्माण, जैसा कि विवादित निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है, कठोर और हास्यास्पद रूप से काम करता है, और न्याय और तर्क का विरोध करने के कारण, संभवतः इस न्यायालय द्वारा अपनाया नहीं जा सकता है। यह है।

समामेलन में, जितना हो सके, समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी में वही हित या अधिकार होंगे जो उसके पास थे। मूल कंपनी। जिस हद तक ऐसे सदस्य या लेनदार का ब्याज या अधिकार उसके खिलाफ उसके ब्याज या अधिकारों से कम हैं

मूल कंपनी, विलय के बाद, वह मुआवजे का हकदार होगा। जिसका मूल्यांकन किया जाना है। निर्धारण के बाद, यदि ऐसा सदस्य या लेनदार व्यथित है, तो वह उप के तहत अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

खंड *(3 ए)*। उप-धारा *(4) (एए)* के तहत, समामेलन का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उप-धारा *(3 ए)* के तहत अपील करने का समय समाप्त नहीं हो गया है, या जहां ऐसी किसी अपील को प्राथमिकता दी गई है, अपील का अंत में निपटारा कर दिया गया है।

67. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया है

कि संयुक्त निदेशक *(*लेखा*)* द्वारा पारित *01.04.2015* दिनांकित मूल्यांकन आदेश, के पक्ष में किसी भी मुआवजे को नहीं दर्शाता है एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारक या लेनदार। विद्वान वकील के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यदि कम निवल मूल्य *(*एन. एस. ई. एल.*)* वाली कंपनी का उच्च सकारात्मक निवल मूल्य *(*एफ. टी. आई. एल.*)* वाली कंपनी के साथ विलय किया जाता है, तो दोनों शेयरधारक *[2019] 8* एस. सी. आर.

और एफ. टी. आई. एल. के लेनदारों पर आर्थिक रूप से सीधा प्रभाव पड़ेगा। शेयरों का मूल्य गिर जाएगा और एफ. टी. आई. एल., जो एक सकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी है, के लेनदारों को इससे पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।

एक बार कंपनी के नकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी के साथ विलय हो जाने के बाद उनके ऋणों की वसूली। संक्षेप में, एफ. टी. आई. एल. के लेनदारों को एन. एस. ई. एल. के लेनदारों के बराबर रखा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लेनदार होंगे।

एफ. टी. आई. एल. को या तो बहुत बाद में उनके ऋणों का भुगतान किया जा रहा है, या बिल्कुल नहीं। इस तर्क के लिए, भारत संघ का उत्तर, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने समर्थन दिया है, यह है कि "आर्थिक मूल्य" धारा *396* का कोई हिस्सा नहीं है। जब तक कि एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों के

पास समान संख्या में शेयर बने रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समामेलन के बाद उनके शेयर के मूल्य में गिरावट आई है या नहीं।

68. बाचा एफ. गुज़दार *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि

शेयरधारक कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है क्योंकि

कंपनी स्वयं ऐसी परिसंपत्तियों की स्वामी है, फिर भी एक शेयरधारक को निश्चित रूप से लाभांश का अधिकार है और कंपनी की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार है जो बंद होने के बाद बची होंगी। न्यायालय ने कहाः

"शेयरधारक की वास्तविक स्थिति यह है कि शेयर खरीदने पर

निवेशक लाभ में भाग लेने का हकदार हो जाता है
कंपनी जिसमें वह शेयर रखता है यदि और जब कंपनी

संघ के अनुच्छेदों के अधीन, घोषणा करता है कि लाभ या

इसके किसी भी हिस्से को लाभांश के रूप में वितरित किया जाना चाहिए।

शेयरधारक। वह निस्संदेह एक और अधिकार है

कंपनी की उन परिसंपत्तियों में भाग लें जो बची होंगी

समाप्त होने के बाद लेकिन प्रभु के रूप में समग्र रूप से संपत्ति में नहीं
एंडरसन कहते हैं।

(पी पर। *882)*

(मूल में जोर*)*

69. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड

और ओआरएस। *, (1986) 1* एस. सी. सी. *264,* इस न्यायालय ने आम तौर पर शेयरधारकों के अधिकारों को निम्नानुसार निपटायाः

"*84.* कई वैधानिक प्रावधानों के समग्र दृष्टिकोण पर और

न्यायिक उदाहरण जिनका हमने उल्लेख किया है, हम पाते हैं कि

शेयरधारक की एक कंपनी में निस्संदेह रुचि होती है, एक ब्याज
जिसका प्रतिनिधित्व उसकी हिस्सेदारी द्वारा किया जाता है। शेयर चल है

ऐसी संपत्ति की सभी विशेषताओं के साथ।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अधिकार। *(* वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

शेयरधारक हैं *(i)* निदेशकों का चुनाव करना और इस प्रकार इसमें भाग लेना

उनके माध्यम से प्रबंधन*; (ii)* बैठकों में प्रस्तावों पर मतदान करना।

कंपनी का*; (iii)* कंपनी के लाभ का आनंद लेने के लिए
लाभांश का आकार*; (iv)* मामले में राहत के लिए अदालत में आवेदन करना।

उत्पीड़न का*; (v)* के मामले में राहत के लिए अदालत में आवेदन करना
कुप्रबंधन*; (vi)* न्यायालय को समाप्त करने के लिए आवेदन करना

कंपनी*; (vii)* बंद होने पर अधिशेष में हिस्सेदारी करना। ..... '

वर्तमान मामले के तथ्यों पर, हम सीधे तौर पर चिंतित हैं

अंक *(iii)* और *(vii)*। यह तर्क दिया गया है कि समामेलन के बाद कंपनी का लाभ स्पष्ट रूप से कम हो जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों को देय लाभांश या तो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा यदि समामेलित कंपनी की संभावित देनदारियों के साथ एन. एस. ई. एल. के कम निवल मूल्य को समामेलन के बाद ध्यान में रखा जाता है, जिसका भुगतान निकट भविष्य में करना पड़ सकता है। दूसरा, यदि समामेलित कंपनी है

अंत में, समामेलन के बाद शेयरधारकों को देय राशि समामेलन से पहले की तुलना में बहुत कम होगी, यदि कुछ भी भुगतान किया जाना है।

70. वास्तव में, आयकर आयुक्त *(*केंद्रीय*)*

कलकत्ता बनाम। मानक वैक्यूम ऑयल कंपनी, *[1966] 2* एस. सी. आर. *367,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

एक शेयर धन की राशि नहीं हैः यह एक रुचि का प्रतिनिधित्व करता है

धन राशि द्वारा मापा जाता है और विभिन्न अधिकारों से बना होता है
संघ के लेखों द्वारा प्रमाणित अनुबंध में निहित

कंपनी से। .....

(पी पर। *374)*

71. मिहीर एच. मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, *(1997)*

1 एस. सी. सी. *579,* कंपनी अधिनियम की धारा *391* से *394* के तहत किए गए स्वैच्छिक समामेलन के संदर्भ में, यह न्यायालय शेयर मूल्यांकन में गया। इस न्यायालय ने कहाः

" 40. ..... यह तुरंत कहा जाना चाहिए कि शेयरों का मूल्यांकन एक है

तकनीकी और जटिल समस्या जिसे उचित रूप से छोड़ दिया जा सकता है

लेखांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का विचार। पेनिंगटन

कम्पनी कानून के अपने सिद्धांतों में चार कारकों का उल्लेख किया गया है जो

शेयरों के मूल्यांकन में ध्यान रखा जाना चाहिएः

"*(1)* पूँजी आवरण,

(2) उपज, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 8 एस सी आर।

(3) अर्जित करने की क्षमता, और

(4) विपणन क्षमता।

(2) नेटवर्थ विधि या ब्रेक मूल्य विधि, और
(3) बाजार मूल्य विधि "।

शेयरों के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों से क्या स्पष्ट है, जब इस तरह के मूल्यांकन की बात आती है तो हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता

कंपनी, यह है कि बाजार मूल्य विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शेयरों का मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि उनके समकक्ष को समामेलित कंपनी में प्रदान किया जा सके। यह किसी विशेष दिन बाजार में उन शेयरों की कीमत या लिए गए औसत के अलावा और कुछ नहीं होगा।

एक निश्चित अवधि के भीतर। ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयरों का बाजार मूल्य शेयरों का बाजार मूल्य है जो उनके आर्थिक मूल्य को दर्शाता है, ब्याज होने के नाते धन की राशि से मापा जाता है, यह कुछ ऐसा नहीं है जो किसी शेयर के अधिकारों या इंट एस्ट को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अलग है।

हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता कंपनी में शेयरधारक, जैसा भी मामला हो

बनो।

72. वास्तव में, एन. एस. ई. एल. के दिनांकित बैलेंस शीट से सरकारी आदेश के अनुसार एन. एस. ई. एल. की कुल संपत्ति *8.86* करोड़ रुपये आंकी गई है।

31.03.2015 , इसकी पूंजी आई. एन. आर. *60* करोड़ होने के बावजूद, कुल आरक्षित राशि और अधिशेष आई. एन. आर. *51.54* करोड़ का नकारात्मक आंकड़ा है। इसके विपरीत, एफ. टी. आई. एल. की बैलेंस शीट, *31.03.2015* पर, यह बताती है कि उसी वर्ष के लिए, एफ. टी. आई. एल. की कुल संपत्ति आई. एन. आर. *2779.94* करोड़ है। इसके अलावा, एफ. टी. आई. एल. अपने शेयरधारकों को *2007-2008* से *2015-2016* तक के वर्षों के लिए *1000%* से *250%* तक के लाभांश का भुगतान कर रहा है। दूसरी ओर एन. एस. ई. एल. ने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी एक भी लाभांश का भुगतान नहीं किया है। अतः समामेलन के बाद एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों को देय लाभांश में कमी आना तय है। तदनुसार, ऐसे शेयरों का 'विपणन योग्य मूल्य' भी गिर जाएगा। *73.* विवादित खंड पीठ के फैसले में गलत तरीके से कहा गया है कि शेयरों के आर्थिक मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में, एन. एस. ई. एल. की दिनांकित *20.07.2015* की निदेशक रिपोर्ट से, यह विशेष रूप से आई. ओ. एन. एस. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]1* शीर्षक के तहत, *"(vi)* दीवानी मुकदमे/शिकायतें/रिट/सार्वजनिक

यह मुकदमा है "किः

" XXX XXX XXX

ग*)* कंपनी को इस आशय की कानूनी राय मिली कि कंपनी उप-कानूनों में एस. जी. एफ. के प्रावधानों के तहत भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा ई-सीरीज अनुबंध से संबंधित लेनदेन के मामले में, अंतर्निहित भौतिक स्टॉक में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी गई। इसलिए, इस स्तर पर और कंपनी के प्रबंधन की राय में, कानूनी सलाह पर भरोसा करते हुए, और एक्सचेंज के उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सुनिश्चित करने योग्य वित्तीय दावे नहीं हैं। इन जांचों/पूछताछों या कानूनी मामलों या किसी अन्य जांच/पूछताछ या मुकदमों के किसी भी प्रतिकूल परिणाम के मामले में कंपनी को देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है जो बाद में उत्पन्न हो सकते हैं।

तारीख "।

समेकित वित्तीय विवरण में यह और स्पष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष *2014-2015* के लिए निम्नानुसारः

अंतर्निहित एक जोखिम है कि भौतिक त्रुटियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अवैध कार्य मौजूद हो सकते हैं जो अज्ञात रह सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच/जांच के प्रतिकूल परिणाम का जोखिम

पुलिस *(*ईओडब्ल्यू*)*, मंत्रालय जैसी कई एजेंसियां

कॉरपोरेट मामले *(*एम. सी. आर. ए.*)*, प्रवर्तन निदेशालय *(*ई. डी.*)*, सी. बी. आई. और आयकर विभाग आदि वर्तमान में कथित अनियमितताओं और किसी भी कानून के उल्लंघन की सीमा की जांच/पूछताछ कर रहे हैं। ये मामले माननीय मुंबई उच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों के समक्ष भी विचाराधीन हैं। इन जांचों या किसी अन्य जांच के किसी भी प्रतिकूल परिणाम के मामले में कंपनी को देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है जो किसी समय उत्पन्न हो सकती हैं। बाद की तारीख "।

निदेशक की रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण एस. ई. एल. से, यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी के सामने हो सकता है

यह किसी भी कार्यवाही में किसी भी प्रतिकूल परिणाम के मामले में है कि *[2019]* एस. सी. आर.

लंबित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, उसे कथित निवेशकों को दिए गए *5600* करोड़ रुपये के पूरे या कुछ हिस्से का भुगतान करना पड़ सकता है।

24 चूककर्ताओं द्वारा व्यापारी जो एन. एस. ई. एल. के सदस्य हैं। यह निश्चित रूप से एफ. टी. आई. एल. में रखे गए शेयरों के 'आर्थिक मूल्य' को प्रभावित करेगा क्योंकि एक कारक जो समामेलन के बाद, ऐसे शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों के बाजार मूल्य को कम करेगा, और समामेलन के बाद ऐसे शेयरों पर देय लाभांश को भी प्रभावित करेगा।

74. विवादित फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी कि वास्तव में शेयर की कीमतें

एकीकरण के बाद गिरावट। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विवादित निर्णय स्वयं इस तथ्य को संदर्भित करता है कि *21.10.2014* पर मसौदा आदेश के प्रकाशन के बाद से, शेयर का मूल्य जो *INR 211.10* था, दस दिन बाद गिरकर *INR 174.55* हो गया। डिवीजन बेंच ने तब कहा कि यह मानना संभव नहीं है कि आर्थिक मूल्य में गंभीर क्षरण का कोई भी मामला बिल्कुल भी बनाया गया है, क्योंकि जब विलय का मसौदा आदेश कंपनियों को उपलब्ध कराया गया था, तो एन. एस. ई. एल. के एक्सचेंज के पतन की खबर पहले से ही सार्वजनिक थी। यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि पतन की खबर जुलाई, *2014* में हुई थी, यानी मसौदा आदेश के प्रकाशन से दो महीने पहले। यह सर्वविदित है कि शेयर बाजार थोड़ी सी भी घटना के प्रति बेहद संवेदनशील है जो किसी कंपनी को कम लाभदायक बना सकती है। आई. एन. आर. *211.10* के शेयर मूल्य को आई. एन. आर. *174.55* तक भारी गिरावट से जोड़ने के लिए दो महीने से अधिक की अवधि बहुत लंबी है। दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि *21.10.2014* पर मसौदा आदेश के प्रकाशन का प्रभाव दस दिन बाद शेयर की कीमत में पर्याप्त मात्रा में कमी का था। वास्तव में, विद्वानों द्वारा प्रस्तुत एन. एस. ई. एल. के शेयर मूल्यों का एक संदर्भ

धारा *396 (3)* के प्रावधानों का अनुपालन। इस तथ्य को देखते हुए कि *01.04.2015* दिनांकित मूल्यांकन आदेश में कोई प्रावधान नहीं था धारा *396 (3)* के उल्लंघन में समामेलन के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों या लेनदारों को मुआवजा, यह स्पष्ट है कि अंतिम समामेलन आदेश के पारित होने की एक महत्वपूर्ण शर्त को पूरा नहीं किया गया था। इस आधार पर भी, इसलिए, *63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अंतिम समामेलन आदेश को कंपनी अधिनियम की धारा *396* के अधिकार क्षेत्र से बाहर और मनमाना और अनुचित होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

75. हालांकि, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि शून्य मुआवजे का आदेश समान रूप से एक आदेश है जो धारा *396 (3)* के तहत पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील की जा सकती थी लेकिन इसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी। इस कारण से, यह कहना सही नहीं है कि धारा *396 (4) (*एए*)* में उल्लिखित पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं हुई है। यह ध्यान दिया जाएगा कि अपील प्रावधान में उपयोग की गई भाषा, यानी धारा *396 (3* ए*),* "कोई भी व्यक्ति है जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किए गए मुआवजे के किसी भी मूल्यांकन से व्यथित है। उप-धारा *(3)* न्यायाधिकरण में अपील कर सकती है और उसके बाद मुआवजे का आकलन न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। उप-धारा *(3* ए*)* को लागू करने के लिए पूर्व-अपेक्षाएं यह हैं कि कोई व्यक्ति पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा "किए गए मुआवजे के मूल्यांकन" से व्यथित हो। जहां मुआवजे का कोई आकलन नहीं किया जाता है।

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जो कुछ भी किया जाता है *(*और यहाँ तथ्यों के आधार पर, निर्धारित प्राधिकारी ने वास्तव में यह नहीं कहा है कि उसके द्वारा दिए गए कारणों से, एफ. टी. आई. एल., उसके शेयरधारकों और लेनदारों को दिया गया मुआवजा शून्य है*)*, किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदेश से व्यथित नहीं किया जा सकता है जो किसी का आकलन नहीं करता है।

क्षतिपूर्ति, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, जिसे तब अपने लिए मुआवजे का आकलन करना चाहिए। कानून स्पष्ट रूप से ऐसे शेयरधारकों और लेनदारों को मुआवजे का आकलन करने का अधिकार देता है। पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा और फिर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा। यह न्यायालय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम। एल. के. रत्ना

और ओआरएस। , *[1986] 3* एस. सी. आर. *1049* ने अभिनिर्धारित किया कि विचारण प्रशासनिक निकाय में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने में दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है

अपीलीय निकाय में प्राकृतिक न्याय के ऐसे नियमों का पालन करना। यह आयोजित किया गया थाः

"इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि अधिनियम की धारा *22-*ए के तहत अपील का प्रावधान मूल कार्यवाही में किसी भी अपर्याप्तता के खिलाफ एक पूर्ण सुरक्षा है। परिषद के समक्ष, और यह अनिवार्य नहीं है कि परिषद द्वारा अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सदस्य को सुना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा *22-*ए एक सदस्य को अपील करने का अधिकार देती है -

अधिनियम की धारा *21 (4)* के तहत जुर्माना लगाने वाले परिषद के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय। यह इंगित किया गया है कि अपील के दायरे पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है, और यह कि एक अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष हर आधार पर आग्रह करने का हकदार है जो *[2019] 8* एस. सी. आर. था।

परिषद के समक्ष उसके लिए उपलब्ध। कोई भी अपर्याप्तता, यह कहा जाता है,

इस तरह की अपील का सहारा लेकर ठीक किया जा सकता है। विद्वान वकील स्पष्ट रूप से कुछ मामलों में लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं जो एक अपील प्रदान करती है मूल कार्यवाही के दौरान प्रक्रिया में दोष के लिए एक पर्याप्त उपाय। सर विलियम में उल्लिखित कुछ मामले

"प्रशासनिक कानून" पर वेड का विद्वतापूर्ण और उत्कृष्ट कार्य *(5th Edn.)*। लेकिन जैसा कि उस विद्वान लेखक ने देखा है *(*पृ. *487)*, "सिद्धांत रूप में दोनों चरणों में समान रूप से प्राकृतिक न्याय का पालन होना चाहिए", और

"यदि पहले चरण में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जाता है, तो अपील का अधिकार अपील का उतना सही अधिकार नहीं है जितना कि प्रारंभिक सुधार सुननाः अपील के बाद निष्पक्ष सुनवाई के बजाय, प्रक्रिया

निष्पक्ष सुनवाई के बाद अनुचित सुनवाई तक सीमित कर दिया जाता है।

और वह लेरी वी. में जे. मेगारी की टिप्पणियों का संदर्भ देता है। नेशनल यूनियन ऑफ व्हीकल बिल्डर्स *[(1971) 1 Ch. 34 , 49] .* इस मुद्दे के एक अन्य पहलू पर विचार करते हुए, उस विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

अपीलीय निकाय में, यह सदस्य को निष्कासित निकाय से अपील करने के उसके अधिकार से वंचित करने का परिणाम है। यदि नियम और कानून मिलकर सदस्य को निष्पक्ष सुनवाई और अपील का अधिकार देते हैं, तो उसे यह क्यों बताया जाना चाहिए कि उसे अन्यायपूर्ण सुनवाई और निष्पक्ष अपील से संतुष्ट होना चाहिए? भले ही अपील को नए सिरे से सुनवाई के रूप में माना जाता है, सदस्य को निष्कासित करने के प्रभावी निर्णय से दूसरे निकाय में अपील करने का उसका अधिकार छीन लिया जा रहा है। मैं यह नहीं सोच सकता कि प्राकृतिक न्याय एक ऐसी प्रक्रिया से संतुष्ट होता है जिसके द्वारा एक अनुचित परीक्षण, हालांकि एक वैध निष्कासन के परिणामस्वरूप नहीं, फिर भी प्रभाव डालेगा। सदस्य को उसके अपील करने के अधिकार से वंचित करना जब बाद में उसे निष्कासित करने का एक वैध निर्णय लिया जाता है। इस तरह का अभाव एक शक्तिशाली परिणाम होगा जिसे कानून में केवल एक शून्यता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; और यह केवल तुच्छता नहीं है जिसे इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय का मतलब पूर्ण न्याय नहीं है। एक सामान्य नियम के रूप में, सभी घटनाओं पर, मैं मानता हूं कि प्राकृतिक विफलता

विचारण निकाय में न्याय को पर्याप्तता से ठीक नहीं किया जा सकता है

एक अपीलीय निकाय में प्राकृतिक न्याय। *"63* मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(वित्तीय प्रौद्योगिकी भारत लिमिटेड के रूप में पूर्व में ज्ञात*) v.* यू. ओ. आई. *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जे. मेगारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ओंटारियो हाई द्वारा अनुसरण किया गया था।

रे कार्डिनल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर में कनाडा में अदालत

कॉर्नवाल शहर की पुलिस, *[(1974) 42* डी. एल. आर. *(3* डी*) 323]*। द.

न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय भी विस्लांग में इसी तरह का झुकाव रखता था।

वी. चिकित्सा व्यवसायी अनुशासन समिति, *[(1974) 1 N.Z.L.R. 29]* और इसी तरह न्यूजीलैंड का अपील न्यायालय भी था

रीड वी। राउली *[(1977) 2 N.Z.L.R. 472] "*।

(पीपी में। *1065-1066)*

यह निर्णय यूनियन में टिप्पणी का विषय था।

कार्बाइड निगम बनाम। भारत संघ, *[1991]* पूरक *(1)* एस. सी. आर. *251,* जहाँ इस न्यायालय ने चरण लाल साहू बनाम में निर्णय के बाद अभिनिर्धारित किया। भारत संघ, *(1990) 1* एस. सी. सी. *613* ने कहा कि भोपाल गैस रिसाव से प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के दायित्व का पालन न करने के लिए

केवल इसी कारण से, सरकार द्वारा उनकी ओर से यूनियन कार्बाइड के साथ किए गए समझौते को दूषित किया जाता है। इस न्यायालय ने पारित करते हुए टिप्पणी की कि सिद्धांत लेरी *v* में निर्धारित किया गया है।

नेशनल यूनियन ऑफ व्हीकल बिल्डर्स, *[1971] Ch. 34* सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को छोड़कर, शायद एक बहुत व्यापक सामान्यीकरण हो सकता है। यह श्री शांति भूषण के एक तर्क के जवाब में किया गया एक अवलोकन था, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय का दोष हमेशा मामले की जड़ तक जाता है। अंततः, इस तथ्य को देखते हुए कि निपटान निधि को आयोजित किया गया था

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को उचित मुआवजे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने पर, यह माना गया कि पीड़ितों को पहले नहीं सुनने की शिकायत वास्तव में जीवित नहीं रहेगी। हालाँकि, जो मौलिक महत्व का है वह यह है कि वर्तमान स्थिति में, प्रत्येक सदस्य या लेनदार को एक स्पष्ट वैधानिक अधिकार दिया गया है जो

मुआवजे के निर्धारण के लिए हकदार, पहले निर्धारित प्राधिकारी द्वारा और फिर, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार। ऐसे मामलों में, इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा "गैर-मूल्यांकन" के आदेशों को न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में अधिक उचित रूप से चुनौती दी जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत कार्य करता है।

भारत, यदि धारा *396 (3)* का उल्लंघन पाया जाता है, तो मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मामले को निर्धारित प्राधिकारी को वापस भेज सकता है, जिसके बाद धारा *396* की उप-धारा *(3 ए)* के तहत अपील का अधिकार होगा। वास्तव में, *2014* की रिट याचिका *2743* में, जिसने मसौदा आदेश और समामेलन के अंतिम आदेश दोनों को चुनौती दी थी, अपीलार्थी ने *[2019] 8* एस. सी. आर. को चुनौती देने के लिए अपनी रिट याचिका में संशोधन के लिए एक कक्ष समन निकाला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुआवजे के मूल्यांकन का आदेश, दिनांक *01.04.2015*, जिसे संशोधन की अनुमति दिनांक *16.02.2016* के आदेश द्वारा दी गई थी। इस प्रकार मुआवजे के "गैर-मूल्यांकन" के आदेश को एफ. टी. आई. एल. द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत कार्यवाही में चुनौती दी गई है। यहाँ तक कि अन्यथा, यह एक ऐसा मामला है जहां एफ. टी. आई. एल. के शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों और हितों के मुआवजे का आकलन करने वाले प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता है और जिन्हें अधिनियम की धारा *396 (3)* में संदर्भित किया गया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा *396 (3)* का अक्षर या भाव से पालन नहीं किया गया है।

76. अंत में, हालांकि केंद्र सरकार के विलय की वैधता के संबंध में अन्य व्यापक तर्क दिए गए थे

इस फैसले के आलोक में याचिका का निपटारा किया जाता है। देविका गुजराल

मामलों का निपटारा किया गया।